Vol. 253
No. 20

Monday,
22th March, 2021
1 Chaitra, 1943 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)
(PART-II)

CONTENTS

Reference by the Chair (pages 1-2)

Papers Laid on the Table (pages 2-24)

Messages from Lok Sabha —

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 - *Laid on the Table* (page 24)

The Insurance (Amendment) Bill, 2021 - *Reported* (page 142)

The National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 - *Laid on the Table* (page142)

The Marine Aids to Navigation Bill, 2021-*Laid on the Table* (page 166)

[**P.T.O**

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE: **₹ 100.00**

Statements by Minister —

Status of implementation of recommendations contained in the Second and the Sixth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers - *Laid on the Table* (page 25)

Matters raised with Permission —

Need to set up headquarters of Steel Research and Technology Mission of India (SRTMI) at Ranchi in Jharkhand (pages 25-26)

Need for strengthening cyber security (pages 27-28)

Need for evacuation of surplus rice from Odisha and release of pending subsidy to the State (pages 28-30)

Havoc caused due to flood in Rishi Ganga in Uttarakhand and increased human intervention in the Ganga-Himalaya region (pages 30-32)

Need to take steps to prevent deaths of Asiatic lions due to accidents on railway tracks (pages 32-34)

Need to exempt local farmers from toll tax at Bara toll plaza in Kanpur (pages 34-35)

Need for reissuance of ration cards cancelled on account of not being biometrically linked to Aadhaar (pages 35-37)

Implementation of the Pradhan Mantri Aawas Yojana-Gramin (PMAY-G) in Chhattisgarh (pages38-40)

Need for opening of a Navodaya Vidayalya at Mayurbhanj in Odisha (pages 40-41)

Need for improving facilities at Ajanta- Ellora caves and Devagiri fort at Aurangabad (pages 41-42)

Dilution of constitutional provisions for reservations for SC/ST candidates (pages 43-44)

Low salaries of technical and supporting staff of private hospitals and medical education institutions (pages 53-55)

Welfare of backward classes (pages 55-57)

Special Mentions —

Demand to enact a law for Health Guarantee to provide standardized healthcare (pages 44-46)

Demand to fill the vacancies reserved for OBCs in Government Services on priority basis (pages 46-47)

Demand to develop Pachnada confluence of five rivers in Auraiya and Etawah districts in Uttar Pradesh as a tourist spot (pages 47-48)

Demand to open examination centres for UPSC/other examinations in Imphal, Manipur (pages 49-50)

Demand for the constitution of All India Judicial Services (pages 50-52)

Demand to recognize Odisha's Maritime trade history and utilize its potential in India's foreign policy (pages 52-53)

Oral Answers to Questions (pages 58- 66)

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

Government Bills - *Passed*

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021 (pages 68- 142)

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 (pages 142-166)

Website : http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rsedit-e@ sansad.nic.in

RAJYA SABHA

Monday, the 22nd March, 2021/1 Chaitra, 1943 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

REFERENCE BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, today, i.e., 22nd March, is the World Water Day, a day that is observed to advocate sustainable management of fresh water resources. This year, the United Nation's theme for 'World Water Day' is 'Valuing Water' which highlights the value of water going beyond its mere numerical price. Water has enormous and complex value for our households, food, culture, health, education, economics and integrity of our natural environment. By overlooking these multi-dimensional values, we risk mismanaging this finite, irreplaceable resource and will be unable to save it for the benefit of everyone and for generations to come. ...*(Interruptions)*... Please, Mr. Sanjay, some observation is being made by the Chair, so, nothing should be there, you can do it later; no problem. With the ever-growing population, the demand for water has increased manifold, fulfilment of which is already putting enormous pressure on our limited natural resources and is eventually degrading the environment. The situation has further been exacerbated by the reckless exploitation and imprudent consumption of water. Conservation of water and preservation of our water resources is of utmost importance for our country, given the fact that our country has 16 per cent of the global population, but, only 4 per cent of the world's fresh water.

Almost all civilizations had flourished on the banks of rivers indicating how vital water is for our survival. For us Indians, water is an intrinsic part of our lives and ceremonies from birth to death. We revere rivers as our mothers. The many Vedic hymns like '*Nadi Sukta*' and '*Apah Suktam*' from Rig Veda invoking 'Water' as the bestower of vigour and strength, the nurturer of farmlands, the refreshing presence and the cleanser of both body and spirit, stand testimony to our close association with water. We need to carry this legacy forward by preserving and nurturing our rivers and freshwater resources like lakes, ponds, *etc.*

In line with this year's theme for 'World Water Day', we also need to acknowledge and at the same time develop an active consciousness for the multi-dimensional value that water holds for us as it will help us develop a holistic and

integrated perspective on water conservation.

As parliamentarians, it is our bounden duty to act as role models and trailblazers in water conservation, by adopting sustainable water management practices both in personal and public life and sensitize one and all in inculcating water conservation techniques like rain water harvesting, afforestation of river banks to prevent soil erosion and reduce annual rainwater runoff.

I hope the entire House will join me in supporting the conservation of water resources and ensuring judicious use of water so that while fulfilling our needs, enough is left for our future generations.

MR. CHAIRMAN: I have one appeal to all, whatever you want to talk, you can complete it before entering into the House and whatever you have to talk in the House, i.e., on subjects where you are permitted, that can be performed here. Other responsibilities can be performed in the Lobbies; the Lobbies are meant for that purpose also. So, keep that in mind and particularly when the Chair is making some observation, it is not fair on the part of anybody to disturb the other man, when he is keenly hearing the observation, is not a good thing to follow; please keep this advice in mind.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. **Reports and Accounts (2017-18 and 2018-19) of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patna and related papers**

II. **MoUs between GoI and various Corporations**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Piyush Goyal, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patna, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(ii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Bharat Wagon and

Engineering Company Limited, Patna, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) and (ii) (a) above.

[Placed in Library. For (i) and (ii) *See* No. LT-4181/17/21]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the IRCON International Limited, for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4183/17/21]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4184/17/21]

(iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4186/17/21]

(iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Mumbai Railway Vikas Corporation Limited (MRVCL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4185/17/21]

(v) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Braithwaite & Company Limited, for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4187/17/21]

(vi) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the RailTel Corporation of India Limited, for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4188/17/21]

(vii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Container Corporation of India Limited (CONCOR), for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4182/17/21]

(viii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Railways) and the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTCL), for the year 2020-21.

[Placed in Library. *See* No. LT-4189/17/21]

Report and Accounts (2019-20) of EIL, New Delhi and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I lay on the Table, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Fifty-fifth Annual Report and Accounts of the Engineers India Limited (EIL), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. LT-4096/17/21]

I. Notification of the Ministry of Mines

II. Notifications of the Ministry of Coal

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. G.S.R. 693 (E), dated the 10th November, 2020, publishing the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2020, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

[Placed in Library. *See* No. LT-3902/17/21]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Coal, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, along with Delay Statement:-

(1) S.O. 1766 (E), dated the 5th June, 2020, directing that on and from the date of publication of the Notification in the Official Gazette, the powers of the Central Government under Section 11A of the said Act in accordance with the Coal Blocks Allocation Rules, 2017 shall also be exercisable by the nominated authority appointed under Section 6 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015.

(2) S.O. 2870 (E), dated the 26th August, 2020, publishing Corrigendum to Notification No. S.O. 1766 (E), dated the 5th June, 2020.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. LT-3902/17/21]

I. Report and Accounts (2018-19) of the NSDF, New Delhi and related papers.
II. Report and Accounts (2019-20) of the Dadra and Nagar Haveli Waqf Board, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Kiren Rijiju, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

I. (a) Annual Report and Accounts of the National Sports Development Fund (NSDF), New Delhi, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
(b) Review by Government on the working of the above Fund.
(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-4259/17/21]

II. (a) Annual Report and Accounts of the Dadra and Nagar Haveli Waqf Board, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
(b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library. *See* No. LT-4261/17/21]

Notifications of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Mansukh Mandaviya, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 16 of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017, a copy each (in English only)* of the following Notifications of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, along with delay statements :-

(1) No. G/Amend/12879), dated the 13th February, 2020, amending the Bombay High Court (Original Side) Rules, 1980, to delete/ insert certain entries.

---

*The Chairman, Rajya Sabha has granted exemption to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to lay the aforesaid Notifications in English only, as per PRO 6.1 {Para 4.1(h)} of the Manual of Parliamentary Procedure in the Government of India.

(2) No. 889-X-3/2020/R, dated the 28th August, 2020, publishing the Orissa High Court Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Rules, 2020.

(3) No. SRO C-17/2020, dated the 30th September, 2020, notifying the Rules for regulating the Procedure and Practice in Cases brought before the High Court of Judicature at Madras in the Exercise of its Admiralty Jurisdiction framed by the High Court.

[Placed in Library. For (1) to (3) *See* No. LT-3997/17/21]

Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of General (Retd.) V.K. Singh, I lay on the Table—

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under Section 10 of the National Highways Act, 1956, along with Delay Statements:-

(1) S.O. 1021 (E), dated the 9th March, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(2) S.O. 1054 (E), dated the 13th March, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(3) S.O. 1056 (E), dated the 13th March, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(4) S.O. 1364 (E), dated the 24th April, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(5) S.O. 1365 (E), dated the 24th April, 2020, amending Notification No. S.O. 1726 (E), dated the 26th June, 2015, to substitute certain entries in the original Notification.

(6) S.O. 1366 (E), dated the 24th April, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(7) S.O. 1504 (E), dated the 15th May, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(8) S.O. 1506 (E), dated the 15th May, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(9) S.O. 1666 (E), dated the 27th May, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(10) S.O. 1668 (E), dated the 27th May, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(11) S.O. 1671 (E), dated the 27th May, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(12) S.O. 1734 (E), dated the 3rd June, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(13) S.O. 1735 (E), dated the 3rd June, 2020, amending Notification No. S.O. 5663 (E), dated 8th November, 2018, to substitute certain entries in the original Notification.

(14) S.O. 1954 (E), dated the 18th June, 2020, amending Notification No. S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.

(15) S.O. 1956 (E), dated the 18th June, 2020, amending Notification No.

S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011.

(16) S.O. 1967 (E), dated the 19th June, 2020, amending Notification No. S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.

(17) S.O. 1968 (E), dated the 19th June, 2020, declaring new National Highway No. NE-3 and inserting its description in the Schedule of the Act.

(18) S.O. 1969 (E), dated the 19th June, 2020, rescinding the Notification No. S.O. 1365 (E), dated the 24th April, 2020 with immediate effect.

(19) S.O. 1970 (E), dated the 19th June, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(20) S.O. 2065 (E), dated the 25th June, 2020, declaring new National Highway No. NE-5 and inserting its description in the Schedule to the Act.

(21) S.O. 2163 (E), dated the 30th June, 2020, declaring new National Highway No. 365 BG and inserting its description in the Schedule to the Act.

(22) S.O. 2209 (E), dated the 3rd July, 2020, directing that the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of certain stretch of National Highways specified therein.

(23) S.O. 2210 (E), dated the 3rd July, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(24) S.O. 2211 (E), dated the 3rd July, 2020, amending Notification No. S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, to omit certain entries in the original Notification.

(25) S.O. 2212 (E), dated the 3rd July, 2020, rescinding Notification No. S.O. 1283 (E), dated the 14th May, 2015 with immediate effect.

(26) S.O. 2213 (E), dated the 3rd July, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(27) S.O. 2386 (E), dated the 20th July, 2020, entrusting certain stretch of National Highway NH-31 (New NH-20) to the National Highway Authority of India.

(28) S.O. 2387 (E), dated the 20th July, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(29) S.O. 2406 (E), dated the 21st July, 2020, declaring new National Highway No. 148 NG and inserting its description in the Schedule to the Act.

(30) S.O. 2407 (E), dated the 21st July, 2020, amending Notification No. S.O. 689 (E), dated the 4th April, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.

(31) S.O. 2408 (E), dated the 22nd July, 2020, declaring new National Highway No. 109D and inserting its description in the Schedule to the Act.

(32) S.O. 2566 (E), dated the 31st July, 2020, declaring new National Highway No. 131G and inserting its description in the Schedule to the Act.

(33) S.O. 2643 (E), dated the 6th August, 2020, amending Notification No.

S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(34) S.O. 2644 (E), dated the 6th August, 2020, entrusting certain stretch of National Highways NH-64 (New NH-7) therein to the National Highways Authority of India.

[Placed in Library. For (1) to (34) *See* No. LT-3998/17/21]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(1) S.O. 3180 (E), dated the 17th September, 2020, declaring new National Highway No. NE5A and inserting its description in the Schedule to the Act.

(2) S.O. 3239 (E), dated the 23rd September, 2020, declaring new National Highway No. 166S and inserting its description in the Schedule to the Act.

(3) S.O. 3411 (E), dated the 30th September, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(4) S.O. 3459 (E), dated the 1st October, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(5) S.O. 3460 (E), dated the 1st October, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(6) S.O. 3461 (E), dated the 1st October, 2020, regarding entrustment of new National Highway No. 131G in the State of Bihar to the National Highways Authority of India.

(7) S.O. 3641 (E), dated the 16th October, 2020, declaring new National Highway No. 503D and inserting its description in the Schedule to the Act.

(8) S.O. 3642 (E), dated the 16th October, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(9) S.O. 3643 (E), dated the 16th October, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 to substitute certain entries in the original Notification.

(10) S.O. 3644 (E), dated the 16th October, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 to substitute certain entries in the original Notification.

(11) S.O. 3743 (E), dated the 21st October, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(12) S.O. 3744 (E), dated the 21st October, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 to substitute certain entries in the original Notification.

(13) S.O. 4022 (E), dated the 6th November, 2020, declaring new National Highway No. 167K and inserting its description in the Schedule to the Act.

(14) S.O. 4023 (E), dated the 6th November, 2020, amending Notification No. S.O. 689 (E), dated the 4th April, 2011, to substitute certain entries in the original Notification.

(15) S.O. 4024 (E), dated the 6th November, 2020, declaring new National Highway No. 310AG and inserting its description in the Schedule to the Act.

(16) S.O. 4132 (E), dated the 17th November, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(17) S.O. 4133 (E), dated the 17th November, 2020, declaring new National Highway No. 715K and inserting its description in the Schedule to the Act.

(18) S.O. 4144 (E), dated the 18th November, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(19) S.O. 4145 (E), dated the 18th November, 2020, amending Notification No. S.O. 1055 (E), dated the 12th March, 2020, to omit/substitute certain entries in the original Notification.

(20) S.O. 4182 (E), dated the 23rd November, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(21) S.O. 4282 (E), dated the 27th November, 2020, declaring certain new National Highways as specified in the Notification and inserting their descriptions in the Schedule to the Act.

(22) S.O. 4339 (E), dated the 3rd December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(23) S.O. 4363 (E), dated the 3rd December, 2020, declaring certain new National Highways as specified in the Notification and inserting their descriptions in the Schedule to the Act.

(24) S.O. 4368 (E), dated the 3rd December, 2020, declaring new National Highway No. 342 and inserting its description in the Schedule to the Act.

(25) S.O. 4490 (E), dated the 10th December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(26) S.O. 4491 (E), dated the 10th December, 2020, regarding entrustment of certain stretches (Rewa — Sidhi Section) of National Highway No. 75

(new NH - 39) in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India.

(27) S.O. 4540 (E), dated the 15th December, 2020, declaring new National Highway No. NE 6 and inserting its description in the Schedule to the Act.

(28) S.O. 4580 (E), dated the 17th December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(29) S.O. 4581 (E), dated the 17th December, 2020, regarding entrustment of certain stretch (Bhopal - Bioara Section) on National Highway No. 12 (new NH - 46) in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India.

(30) S.O. 4582 (E), dated the 17th December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(31) S.O. 4583 (E), dated the 17th December, 2020, directing that National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch of National Highways as specified therein.

(32) S.O. 4682 (E), dated the 23rd December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(33) S.O. 4733 (E), dated the 28th December, 2020, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(34) S.O. 11 (E), dated the 1st January, 2021, declaring new National Highway No. NE 7 and inserting its description in the Schedule to the Act.

(35) S.O. 41 (E), dated the 5th January, 2021, amending Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005, to substitute certain entries in the original Notification.

(36) S.O. 42 (E), dated the 5th January, 2021, entrusting certain stretch of National Highways as specified therein to the National Highways Authority of India.

(37) S.O. 451 (E), dated the 29th January, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 7.960 to K.M. 39.340 (Paniyala Mor — Narnaul Section) and from 28.000 to K.M. 51.460 (Narnaul bypass Section) of National Highway No. 148B and from K.M. 68.700 to K.M. 79.000 (Narnaul — Pacheri Kalan Section) of National Highway No. 11 in the State of Haryana and Rajasthan.

(38) S.O. 452 (E), dated the 29th January, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 506.950 to K.M. 551.000 (Dhalkhola — Islampur Bypass — Ghoshpukur Section) of National Highway No. 31 in the State of West Bengal.

(39) S.O. 453 (E), dated the 29th January, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretches from K.M. 300.193 to K.M. 337.693 (Pileru — Puthalapattu Section) of National Highway No. 40 (old NH-18) in the State of Andhra Pradesh.

(40) S.O. 509 (E), dated the 3rd February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 309.150 to K.M. 359.120 (Byprapura — Challakere Section) of National Highway No. 150A in the State of Karnataka.

(41) S.O. 528 (E), dated the 4th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 424.650 to K.M. 487.693 (Gooty — Tadipatri Section) of National Highway No. 67 in the State of Andhra Pradesh.

(42) S.O. 555 (E), dated the 5th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 59.500 to K.M. 132.300 (Manneguda – Ravulapally Section) of National Highway No. 163 in the State of Telangana.

(43) S.O. 556 (E), dated the 5th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 97.487 to K.M. 137.250 (Naghbid – Amrori Section) of National Highway No. 353D in the State of Maharashtra.

(44) S.O. 557 (E), dated the 5th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 0.000 to K.M. 62.920 (Hyderabad Outer Ring Road Junction – Medak Section) of National Highway No. 765D in the State of Telangana.

(45) S.O. 616 (E), dated the 10th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 130.770 to K.M. 228.630 (Jhajjar – Loharu Section) of National Highway No. 334B in the State of Haryana.

(46) S.O. 617 (E), dated the 10th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretches from K.M. 60.000 to K.M. 90.000 (Sultanpur – Pratapgarh Section) of National Highway No. 96 (new NH-330) in the State of Uttar Pradesh.

(47) S.O. 618 (E), dated the 10th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 450.000 to K.M. 486.775 (Allahabad – Mirzapur Section) of National Highway No. 76E (new NH-35) in the State of Uttar Pradesh.

(48) S.O. 619 (E), dated the 10th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 44.425 to K.M. 97.785 (Risod – Hingoli Section) of National Highway No. 461B in the State of Maharashtra.

(49) S.O. 649 (E), dated the 11th February, 2021, regarding rate of fee to be

collected from users of the stretch from K.M. 316.1 to K.M. 423.4 (Bhopal – Biaora Section) of National Highway No. 12 (new NH-46) in the State of Madhya Pradesh.

(50) S.O. 707 (E), dated the 17th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 213.00 to K.M. 322.840 (Giddalur – Vinukonda Section) of National Highway No. 544D in the State of Andhra Pradesh.

(51) S.O. 790 (E), dated the 19th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 101.000 to K.M. 263.460 (Raisinghnagar – Poogal Section) of National Highway No. 911 in the State of Rajasthan.

(52) S.O. 945 (E), dated the 26th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 1080.263 to K.M. 1184.322 (Baran Bypass Section) of National Highway No. 76 in the State of Rajasthan.

(53) S.O. 946 (E), dated the 26th February, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 102.819 to K.M. 141.400 (Akkalkot – Solapur Section) of National Highway No. 150E in the State of Maharashtra.

(54) S.O. 1013 (E), dated the 3rd March, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 12.000 to K.M. 88.000 (Varanasi – Gorakpur Section) of National Highway No. 29 in the State of Uttar Pradesh.

(55) S.O. 1053 (E), dated the 5th March, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 320.104 to K.M. 375.000 (Karodi – Telwadi Section) of National Highway No. 211 in the State of Maharashtra.

(56) S.O. 1098 (E), dated the 10th March, 2021, regarding rate of fee to be collected from users of the stretch from K.M. 0.000 to K.M. 27.199

(Ralegaon – Sirasgaon – Vadner Section) of National Highway No. 361B in the State of Maharashtra.

(57) S.O. 1099 (E), dated the 10th March, 2021, regarding rate of fee to be collected from the users of the stretch from K.M. 0.000 to K.M. 53.710 (Morshi – Chandurbazar – Achalpur Section) of National Highway No. 353J in the State of Maharashtra.

(58) S.O. 1100 (E), dated the 10th March, 2021, regarding rate of fee to be collected from the users of the stretch from K.M. 408.100 to K.M. 414.900 (Alappuzha bypass Section) of National Highway No. 66 (old NH-47) in the State of Kerala.

[Placed in Library. For (1) to (58) *See* No. LT-3998/17/21]

(iii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road Transport and Highways, under Section 37 of the National Highways Authority of India Act, 1988, along with Delay Statements:-

(1) S.O. 1022 (E), dated the 9th March, 2020, regarding entrustment of stretch from K.M. 50.000 to K.M. 216.350 (Patiala –Sangrur-Barnala-Bhatinda Section) on National Highway No. 64 (New National Highway No. 7) in the State of Punjab to the National Highways Authority of India.

(2) S.O. 1055 (E), dated the 13th March, 2020, regarding entrustment of certain stretches of National Highways in the State of Maharashtra as mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(3) S.O. 1116 (E), dated the 17th March, 2020, regarding entrustment of certain stretches of National Highways as specified therein to the National Highways Authority of India.

(4) S.O. 1363 (E), dated the 24th April, 2020, regarding entrustment of stretch from K.M. 14.000 to K.M. 40.000 (Pune – Solapur Section) on National Highway No. 65 (Old National Highway No. – 9) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India.

(5) S.O. 1505 (E), dated the 15th May, 2020, regarding entrustment of certain stretches of National Highways in the State of Tamil Nadu as mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(6) S.O. 1507 (E), dated the 15th May, 2020, regarding entrustment of certain stretches of National Highways in the State of Kerala as mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(7) S.O. 1508 (E), dated the 15th May, 2020, regarding entrustment of stretch from K.M. 0.000 to K.M. 45.878 [Maharashtra/Karnataka border (Vanamarpalli Village) — Aurad — Bidar Ringh Road and upto Ambedkar circle (Bidar) (Entire National Highway)] on National Highway No. 161 A in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India.

(8) S.O. 1667 (E), dated the 27th May, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(9) S.O. 1669 (E), dated the 27th May, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

(10) S.O. 1670 (E), dated the 27th May, 2020, regarding entrustment of certain stretches of the National Highways mentioned therein to the National Highways Authority of India.

[Placed in Library. For (1) to (10) *See* No. LT-3998/17/21]

Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Babul Supriyo, I lay on the Table—

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(1) G.S.R. 263 (E), dated the 22nd March, 2018, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(2) G.S.R. 96 (E), dated the 29th January, 2018, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(3) G.S.R. 568 (E), dated the 18th June, 2018, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(4) G.S.R. 1095 (E), dated the 9th November, 2018, publishing the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(5) G.S.R. 1241 (E), dated the 28th December, 2018, publishing the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(6) G.S.R. 5 (E), dated the 3rd January, 2019, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 along with Delay Statement.

(7) G.S.R. 952 (E), dated the 26th December, 2019, publishing the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2019 along with Delay Statement.

(8) G.S.R. 48 (E), dated the 24th January, 2020, publishing the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2019 along with Delay Statement.

(9) G.S.R. 47 (E), dated the 24th January, 2020, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2019 along with Delay Statement.

(10) G.S.R. 641 (E), dated the 16th October, 2020, publishing the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2020.

(11) G.S.R. 662 (E), dated the 22nd October, 2020, publishing the Environment (Protection) Amendment Rules, 2020.

(12) G.S.R. 742 (E), dated the 27th November, 2020, publishing corrigendum to Notification G.S.R. 662 (E), dated the 19th October, 2020.

(13) G.S.R. 47 (E), dated the 27th January, 2021, publishing the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2021.

[Placed in Library. For (1) to (13) *See* No. LT-4088/17/21]

(ii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, issued under sub-section (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(1) S.O. 2522 (E), dated the 15th July, 2019, amending Notification No. S.O. 5120 (E), dated the 3rd October, 2018 to substitute certain entries in the original Notification, along with Delay Statement.

(2) S.O. 382 (E), dated the 27th January, 2020, in supersession of Notification No. S.O. 5120 (E), dated the 3rd October, 2018, notifying the re-constitution of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority along with its powers and functions, along with Delay Statement.

(3) S.O. 2587 (E), dated the 5th August, 2020, in supersession of Notification No. S.O. 382 (E), dated the 27th January, 2020, notifying the reconstitution of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority and its powers and functions, along with Delay Statement.

(4) S.O. 3659 (E), dated the 19th October, 2020, amending the Notification No. S.O. 2587 (E), dated the 5th August, 2020, to substitute certain entries in the original Notification.

(5) S.O. 4640 (E), dated the 22nd December, 2020, amending the Notification No. S.O. 489 (E), dated the 30th April, 2003, to substitute certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. For (1) to (5) *See* No. LT-3421/17/21]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Notification No. S.O. 4259 (E), dated the 27th November, 2020, regarding the constitution of the 'Apex Committee for Implementation of Paris Agreement (AIPA)' with its composition, issued under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library. *See* No. LT-4303/17/21]

(iv) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, along with Delay Statements:-

(1) S.O. 3023 (E), dated the 22nd August, 2019, designating the Council of Scientific and Industrial Research — National Physical Laboratory (CSIR-NPL) as national verification agency for certifying instruments and equipments for monitoring emissions and ambient air.

(2) S.O. 4278 (E), dated the 27th November, 2019, amending Notification No. S.O. 3023 (E), dated the 22nd August, 2019, to substitute/insert certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. LT-3421/17/21]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, issued under sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986:-

(1) G.S.R. 906 (E), dated the 12th December, 2019, amending Notification No. G.S.R. 45 (E), dated the 19th January, 2018, to substitute certain entries in the original Notification, along with Delay Statement.

(2) G.S.R. 113 (E), dated the 14th February, 2020, amending Notification No. G.S.R. 45 (E), dated the 19th January, 2018, to substitute certain entries in the original Notification, along with Delay Statement.

(3) G.S.R. 714 (E), dated the 13th November, 2020, amending Notification No. G.S.R. 45 (E), dated the 19th January, 2018, to add certain entries in the original Notification.

(4) G.S.R. 46 (E), dated the 25th January, 2021, amending Notification No. G.S.R. 45 (E), dated the 19th January, 2018, to substitute/add certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. LT-3421/17/21]

(vi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, issued under clause (b) of

sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986, along with Delay Statements:-

(1) S.O. 5768 (E), dated the 16th November, 2018, amending Notification No. S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007, to substitute/insert certain entries in the original Notification.

(2) SO. 3744 (E), dated the 18th October, 2019, amending Notification No. S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007, to substitute/insert certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. LT-4304/17/21]

Report and Accounts (2019-20) of IIM, Udaipur and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Dhotre Sanjay Shamrao, I lay on the Table—

(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 23 and sub-section (4) of Section 28 of the Indian Institute of Management Act, 2017:—

(a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Udaipur, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-4305/17/21]

Statements showing action taken by Government on the various assurances, promises and undertakings given during the Session

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements showing action taken by Government on the various assurances, promises and undertakings given during the Session shown against each:-

1. Statement No. XXVIII Two Hundred and Fourteenth, 2008

[Placed in Library. *See* No. LT-4306/17/21]

2. Statement No. XXVIII Two Hundred and Twenty Fourth, 2011

[Placed in Library. *See* No. LT-4307/17/21]

3. Statement No. XXIII Two Hundred and Thirty Second, 2014

[Placed in Library. *See* No. LT-4308/17/21]

4. Statement No. XXII Two Hundred and Thirty Third, 2014

[Placed in Library. *See* No. LT-4309/17/21]

5. Statement No. XX Two Hundred and Thirty Fifth, 2015

[Placed in Library. *See* No. LT-4310/17/21]

6. Statement No. XII Two Hundred and Forty Second, 2017

[Placed in Library. *See* No. LT-4311/17/21]

7. Statement No. IX Two Hundred and Forty Fifth, 2018

[Placed in Library. *See* No. LT-4312/17/21]

8. Statement No. VIII Two Hundred and Forty Sixth, 2018

[Placed in Library. *See* No. LT-4313/17/21]

9. Statement No. VII Two Hundred and Forty Seventh, 2018-19

[Placed in Library. *See* No. LT-4314/17/21]

10. Statement No. VI Two Hundred and Forty Eighth, 2019

[Placed in Library. *See* No. LT-4315/17/21]

11. Statement No. V Two Hundred and Forty Ninth, 2019

[Placed in Library. *See* No. LT-4316/17/21]

12. Statement No. IV Two Hundred and Fiftieth, 2019

[Placed in Library. *See* No. LT-4317/17/21]

13. Statement No. III Two Hundred and Fifty First, 2020

[Placed in Library. *See* No. LT-4318/17/21]

14. Statement No. II Two Hundred and Fifty Second, 2020

[Placed in Library. *See* No. LT-4319/17/21]

15. Statement No. I Two Hundred and Fifty Third, 2021

[Placed in Library. *See* No. LT-4320/17/21]

Report and Accounts (2019-20) of TRIFED, New Delhi and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shrimati Renuka Singh Saruta, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Federation.

[Placed in Library. *See* No. LT-4321/17/21]

Notifications of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, on behalf of Shri Pratap Chandra Sarangi, I lay on the Table, under sub-section (3) of Section 29 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, alongwith Delay Statements:-

(1) S.O. 5621 (E), dated the 2nd November, 2018, issuing instructions that all Companies registered under the Companies Act, 2013 with turnover of more than Rs. 500 crores and all Central Public Sector Enterprises shall be required to get themselves onboarded on the Trade Receivables Discounting System platform and other related matters.

(2) S.O. 5622 (E), dated the 2nd November, 2018, directing that all Companies who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payments to micro and small enterprise suppliers exceed forty five days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provisions of the Act, shall submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs as per conditions mentioned therein.

[Placed in Library. For (1) and (2) *See* No. LT-4322/17/21]

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General, Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 19th March, 2021."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

STATEMENTS BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in the Second and the Sixth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I lay the following statements regarding:-

(i) Status of implementation of recommendations contained in the Second Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

(ii) Status of implementation of recommendations contained in the Sixth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to set up headquarters of Steel Research and Technology Mission of India (SRTMI) at Ranchi in Jharkhand

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): धन्यवाद, सभापति जी। महोदय, आज भारत इस्पात निर्माण के क्षेत्र में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाई धर्मेन्द्र प्रधान जी की अगुवाई में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में करीब 100 मिलियन टन है और यह लक्ष्य पूरा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।

महोदय, भारत सरकार ने इस्पात उद्योग में अनुसंधान और उसकी प्रक्रिया में इस्पात उत्पादक उद्यमी जो निजी क्षेत्र में हैं, उनकी भागीदारी का महत्व समझा है। इसलिए उनके सहयोग Steel research technology mission of India अर्थात् 'SRTMI' का गठन किया है। इस महत्वपूर्ण और दूरगामी पहले के लिए मैं माननीय इस्पात मंत्री जी को को धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, ज्ञात हुआ है कि 'SRTMI' के संचालन के लिए सोसाइटी का गठन हो चुका है। मेरा मानना है कि इसके मुख्यालय और लैब के लिए झारखंड की राजधानी रांची सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में प्रचुर मात्रा में लौह, कोयला आदि सभी तरह के इनपुट्स हैं, इसके अलावा रांची एक ऐसी जगह पर स्थित है- झारखंड में निजी क्षेत्र के कारखाने टाटा स्टील, जेएस स्टील इत्यादि हैं। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बुरहानपुर इत्यादि पब्लिक सेक्टर के कारखाने भी रांची से कुछ घंटों की दूरी पर हैं। इसके अलावा वहां पर विश्व की मानी हुई रिसर्च लैब संस्थान भी हैं, जैसे सेल का आर.एंड डी. और National Metrology Institute जमेशदपुर में उपलब्ध हैं। वहां पर एक लोक उपक्रम एचईसी भी है। वह अच्छी हालत में नहीं है, जबकि उसके पास काफी मात्रा में जगह, भवन और अन्य सुविधाएं भी हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में लो ग्रेड कोल और लो ग्रेड ऑयरन ओर के स्टॉक में भारतीय तकनीकी के साथ छोटे तथा मध्यम प्लांट्स में करीब-करीब 60 प्रतिशत इस्पात का उत्पादन होता है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हो रहा है। इन क्षेत्रों में भी यदि आर. एंड डी. का सपोर्ट मिल जाए, तो बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है। पूर्व इस्पात मंत्री जी से उस समय के मुख्य मंत्री रघुवर दास जी के साथ मैं भी मिला था और हमने उनसे 'SRTMI' का मुख्यालय रांची में खोलने की बात कही थी। उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि 'SRTMI' का मुख्यालय रांची में खोलने की प्रक्रिया शीघ्र की जाए, क्योंकि इसमें देरी देश के लिए अच्छी नहीं होगी।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI NEKKANTI BHASKAR RAO (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Need for strengthening cyber security

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity to speak. Sir, I would like to invite the attention of this august House to a very serious problem. Cyber terrorism or cyber attacks on critical informational infrastructure is a matter of grave concern. Critical information infrastructure typically includes those facilities, those systems, those functions, whose incapacity or destruction can weaken the national security, governance, economy and overall well-being of the country. Sir, cyber attacks on CII can lead to huge financial loss, can cause huge environmental damage and pose a threat to defence security and integrity of the country.

Sir, the recent cyber attacks on Mumbai's power grid is a reminder of the vulnerability of India's key installations. As reported in the international media, a hacker group called Red Echo--one can guess the country of its origin--has repeatedly targeted the control rooms of Power System Operation Corporation Limited. The Maharashtra Government Cyber Police have found evidence of Trojan infiltration of the server of the Maharashtra State Electricity Board. Reportedly, another hacker group--this time the name is Stone Panda; no award for guessing the country of origin--has recently aimed its cyber modes at Serum Institute and Bharat Biotech to exfiltrate intellectual property.

Sir, this is nothing but proxy warfare. I don't want to be an alarmist but there is a non-trivial possibility that this could escalate even to a nuclear plant meltdown! I strongly urge the Government to strengthen our cyber security demonstrably. Some experts say that this was just a signal. I don't want to be a jingoist. But the time has come to give an effective, return signal. We must demonstrate to any country which is threatening our national security what we are capable of. Thank you very much, Sir.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra Odia.

Need for evacuation of surplus rice from Odisha and release of pending subsidy to the State

DR. SASMIT PATRA (Odisha): *"Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak in my mother tongue Odia.

---

* English translation of the Original speech delivered in Odia.

Sir, Odisha is the fourth biggest State in our country in terms of supply of food grain. Every year Odisha consumes around 24 Lakh Metric Ton (MT) rice and during this Kharif season, around 30 Lakh MT rice is required to be lifted by FCI. If we look at the figures till 13 March of the current year, we will find that only 6 Lakh 65 thousand MT rice has been lifted by FCI. If things move at this pace, FCI will not be able to meet the required target of procuring 30 Lakh MT rice during this Kharif season.

If we compare it with the last year, only 17 Lakh MT rice was lifted. Had the same amount of rice been procured, around 13 Lakh MT rice would still remain stored in the State leading to a situation where Odisha will incur a loss to its State exchequer to the tune of Rs. 4,160 Crores.

Sir, through you I would like to request the government that first of all there is a requirement of lifting of 30 Lakh MT rice this Kharif season by FCI and that process should be accelerated. Secondly, on account of the provisional and advance subsidy, an amount of Rs. 5,616 cores is owed to the State of Odisha. This is the amount which the Central government reimburses in due course to the Odisha Civil Supply Corporation after they have procured the paddy.

Therefore, through you, Sir, first of all, I urge upon the Central Government that arrangement to lift 30 Lakh MT rice by FCI should be made with immediate effect during this Kharif season itself. Secondly, immediate steps should also be taken to release the pending subsidy of Rs. 5,616 Crore that is owed to the state of Odisha.

This is my humble request through you, Sir, to the Government." Thank you.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: His subject was 'Evacuation of surplus rice from Odisha and release of pending subsidy to the State.' Now, Ch. Sukhram Singh Yadav, could you wait for a few minutes? Shri Rewati Raman Singh has requested to speak now.

CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Okay, Sir.

Havoc caused due to flood in Rishi Ganga in Uttarakhand and increased human intervention in the Ganga-Himalaya region

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है।

मान्यवर, गंगा और हिमालय हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। इनका बहुत बड़ा व्यवसायीकरण किया जा रहा है। एक तो हिमालय कच्चा पहाड़ है और इस कच्चे पहाड़ में अंधाधुंध ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पूरा पहाड़ हिल जाता है। अभी वहाँ पर जो व्यवसायीकरण हो रहा है - 19 बाँध पहले से बने हुए हैं, उनके अलावा 8 नये बाँध और बनाये जा रहे हैं। चार धाम यात्रा के लिए सड़क चौड़ी की गयी है, जिसमें एक लाख पेड़ काटे गये हैं। ये पेड़ ऐसे हैं, जो कि दोबारा वहाँ पर फिर से नहीं लगाये जा सकते। पूरे हिमालय में 400 गुना ज्यादा कार्बन ग्लेशियर में जमा हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर इतने बड़े पैमाने पर टूट रहे हैं कि एक बार तो केदार धाम में त्रासदी हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गये और अभी ऋषि गंगा में कम से कम 200 लोग मारे गये और आज तक उनका अता-पता नहीं लग पाया।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हिमालय में हो रहा है, उसको तत्काल रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, मैं उसका भी उद्धरण आपको देना चाहता हूँ और एक-आध मिनट में सुषमा स्वराज जी, जो उस समय लोक सभा में नेता विरोधी दल थीं, उनका भी उद्धरण आपके सामने पढ़ना चाहूँगा।

मान्यवर, यह जो कंक्रीट का निर्माण हो रहा है, यह हिमालय की जलवायु को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि अकेले चार धाम यात्रा में लगभग एक लाख से ज्यादा बाँझ, देवदार, कैल, पदमा, तोन जैसे अनमोल पेड़ काट दिये गये हैं। मान्यवर, मैं बस एक मिनट में खत्म करूँगा। ये पेड़ फिर दोबारा लगाये नहीं जा सकते। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो जलवायु-परिवर्तन हो रहा है और पानी का संकट हो रहा है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 60 परसेंट ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Time is over. ...*(Interruptions)*...धन्यवाद, रेवती रमन जी। ...(**व्यवधान**)...

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री रेवती रमन सिंह: सर, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ऐसा नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)... आपको मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया था। श्री शक्तिसिंह गोहिल।

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूँगा। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, इस पर कभी चर्चा करवा दीजिएगा।

श्री सभापति: ठीक है। ...(**व्यवधान**)... ठीक है। प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

चौधरी सुखराम सिंह यादव: सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपने उनके लिए अपने preference का त्याग किया, उनको दे दिया, बाद में आपका भी नम्बर आयेगा। श्री शक्तिसिंह गोहिल।

Need to take steps to prevent deaths of Asiatic lions due to accidents on railway tracks

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़ी गम्भीर समस्या के प्रति आपके ज़रिए सरकार का और इस गृह का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, एशियाटिक लायंस, एशिया के शेर हमारी धरोहर हैं। पूरी दुनिया में अगर गिर फॉरेस्ट की पहचान है, तो गिर के अन्दर पाये जाने वाले इन rarest एशियाटिक लायंस से है। उनकी वजह से हमारे पूरे गुजरात और गिर का सौभाग्य तथा गौरव भी है। वर्ष 2020 में मूनलाइट पर सर्वे होता है, उस सर्वे के हिसाब से, ज़ू और गिर फॉरेस्ट, दोनों में मिला कर Asiatic Lion की कुल आबादी सिर्फ 674 है। मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि रेलवे की पटरियों पर अकस्मात एक्सिडेंट्स से वर्ष 2018 में 193 शेर और वर्ष 2019 में 200 शेर मारे गए। मान्यवर, हम इन दो सालों का भी आंकड़ा ले लें, तो आज Asiatic Lion जो आबादी है, उसमें 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती, अगर accidents से इतने शेर नहीं मारे गए होते। इसके लिए व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए एक प्लान भी बना था, Experts ने भी इसके लिए सुझाव दिए थे कि किस तरह से Asiatic Lions को रेलवे की पटरियों पर एक्सिडेंट से बचाए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके ज़रिए सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि इसका तुरंत प्रबंध किया जाए - यही मेरा अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, शक्तिसिंह जी। यह महत्वपूर्ण विषय है, जिनको associate करना है, वे अपना नाम भेज दें।

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अहमद अशफाक करीम (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।
†**جناب احمد اشفاق کریم (بہار)** : مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع سے سمبدّھہ کرتا ہوں۔

† Transliteration in Urdu script.

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला (गुजरात) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Need to exempt local farmers from toll tax at Bara toll plaza in Kanpur

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका दिया। महोदय, मैं कानपुर से आता हूँ और पहले कानपुर नगर और कानपुर देहात, दोनों मिलाकर एक ही जिला था। जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने कानपुर नगर को कानपुर देहात का मुख्यालय बनाया और कानपुर देहात को अलग जिला बना दिया। ज्यादातर लोग कानपुर में रहते हैं और वे प्रतिदिन कानपुर से कानपुर देहात के लिए आते हैं, जहाँ उसका मुख्यालय है। रास्ते में बारा एक टोल प्लाज़ा पड़ता है। बारा टोल प्लाज़ा पर आए दिन झगड़े होते हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि इसके पहले जहाँ पर टोल प्लाज़ा लगाया गया था, वह शहर के नजदीक था, लेकिन अब उसको कानपुर और कानपुर देहात के बीच में स्थानांतरित किया गया है। ज्यादातर किसान, जो आस-पास के गाँवों में रहते हैं, उनका रोज मुख्यालय में आना-जाना होता है और मुख्यालय आने-जाने में रोज़ विवाद होते हैं।

महोदय, मेरी माँग है कि पहले जहाँ पर टोल प्लाज़ा स्थापित था, अगर उसी स्थान पर फिर से इसको स्थापित कर दिया जाएगा, तो ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि टोल प्लाज़ा को बारा से हटाकर पूर्व की भांति सिकन्दरा के पास काल्पी रोड पर स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि रोज़ की ये समस्याएँ, झगड़े खत्म हो जाएँ। जो टैक्स देना हो, वह दे, न देना हो, न दे, यह उसकी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन इससे समस्याएँ पैदा नहीं होंगी। रोज़ आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि आज वहाँ झगड़ा हुआ, आज वहाँ झगड़ा हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर माननीय मंत्री जी को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि समस्या खत्म हो सके।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Need for reissuance of ration cards cancelled on account of not being biometrically linked to Aadhaar

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे पुनः एक महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में लाने के लिए परमिशन दी है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, कोरोना के इस दौर में बड़ी चिंताजनक कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँची हैं। तीन से चार करोड़ राशन काड्र्स कैंसिल कर दिए गए हैं। पहले कहा गया कि ये सारे बोगस हैं, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि इनमें से अधिकांश इसलिए कैंसिल हुए थे, क्योंकि जो biometric linkage है, वह नहीं हो पा रहा था, मसलन iris identification, thumb prints आदि और technological system से बिना इस बात की पड़ताल किए हुए कि ट्राइबल और रूरल एरियाज़ में इंटरनेट का क्या हाल है? इसकी वजह से कई जगह से hunger deaths की भी reports आईं। अगर हमारे मुल्क में इतनी संपदा के बाद भुखमरी से मौत हो रही है, तो यह हम सब पर एक बेहद ही अशोभनीय सी टिप्पणी है कि हम किस प्रकार का समाज और निज़ाम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि इन सारी तकनीकी खामियों, तकनीकी दिक्कतों को खारिज करते हुए यह व्यवस्था की जाए कि तमाम जो राशन काड्र्स कैंसिल किए गए हैं, उनको बहाल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह यह है कि लोगों ने right to food बड़े संघर्ष के बाद हासिल किया, उस कानून के तहत अलग-अलग राज्यों में district level पर nodal officers appoint होने थे। Unfortunately, किसी भी राज्य में nodal officer appoint नहीं हुआ है, किसी को additional charge दे दिया गया है और उनमें से अधिकांश लोग food supply department से आ रहे हैं।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फूड सिक्युरिटी एक्ट का जो तत्व है, जो उसके प्राण हैं, जो उसकी आत्मा है, उसके मद्देनज़र कैंसिल काड्र्स रीइश्यू किये जाएं और साथ ही साथ एक कमिटमेन्ट भी आए कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा महज एक कागज पर लिखी इबारत नहीं है, उसे हम जमीन पर उतारना चाहते हैं, ताकि अगर एक भी हंगर डेथ होती है तो एक सभ्य समाज के बारे में यह अच्छी टिप्पणी नहीं है, शुक्रिया, जयहिन्द।

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अहमद अशफाक करीम (बिहार)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†**جناب احمد اشفاق کریم (بہار)** : مہودے، میں بھی مانّئے سدسئے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبدّھہ کرتا ہوں۔

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार)ः महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

---

† Transliteration in Urdu script.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री सभापति: श्री राम विचार नेताम और उसके बाद श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार बोलेंगे, इनका सब्जेक्ट एक ही है, स्टेट्स अलग हैं, लेकिन एक के बाद एक बोलेंगे।

Implementation of the Pradhan Mantri Aawas Yojana-Gramin (PMAY-G) in Chhattisgarh

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़)ः सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी प्रधान मंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किन्तु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एक माननीय सदस्य: सर, यह एलिगेशन है।

श्री राम विचार नेताम: यह एलिगेशन नहीं है, मैं आगे बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: आप सुनिये, यदि कोई आरोप है, तो मैं देखूंगा।

श्री राम विचार नेताम: महोदय, वर्ष 2019-20 में 1,51,100 और 2020-21 में 6, 48,863 आवासों के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति का लक्ष्य मिला था, परन्तु राज्य सरकार ने मात्र 1,20,000 आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार लगभग 8,60,000 आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे। पीएम आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा साठ फीसदी राशि और राज्य सरकार द्वारा चालीस फीसदी राशि के अनुपात से स्वीकृति दी जाती है। विगत दो वर्षों के पीएम आवास योजना की राशि के लगभग एक हज़ार करोड़ राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं कराये जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन अभी तक असमर्थ रहा है। प्रदेश के गरीब व आवासहीन वर्ग, जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग...

श्री सभापति: सुझाव दीजिए।

श्री राम कुमार नेताम: सामान्य वर्ग के अति गरीब लोग हैं। इनके खाते में राशि नहीं आने से वहां की गरीब जनता ऑफिसेज़ के चक्कर लगाते-लगाते परेशान है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय को गम्भीरता से लेते हुए केन्द्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवासों को स्वीकृति देने एवं सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को पुनः निर्देश जारी करें, धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, in the State of Andhra Pradesh, 27,350 houses were constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin Scheme during 2017-18; and in 2018-19, 18,679 houses were constructed, whereas, in 2019-20 and 2020-21, no house has been constructed despite the release of funds by the Central Government. I came to know that the Central Government has released Rs. 300 crores but the State Government did not release its share and no house has been constructed, and the funds have to be utilized. Earlier the State Government planned to identify the beneficiaries and was also planning to construct 10 lakh houses in the rural areas, but out of which 6.2 lakh houses have been cancelled by the present Government and the beneficiaries have also lost their right to get the houses. Likewise, in the urban areas also, as per the shear wall technology issued by the Ministry of Urban Development, Government of India, 2,62,216 houses have been constructed, almost completed, but, unfortunately, the possession of these houses is not delivered to the beneficiaries till now.

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion? Please keep in mind the time.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Therefore, I request the Central Government to take the necessary steps and direct the State Government to deliver possession of the houses immediately and also take steps to construct the houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin Scheme in order to render development and welfare to the poor people in the State of Andhra Pradesh.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: When two people's names are there, the first Member will get two minutes and the second person will get one minute. Keep that in mind. Now, Shrimati Mamata Mohanta.

Need for opening of a Navodaya Vidayalya at Mayurbhanj in Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर माता-पिता की तमन्ना होती है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर खूब बड़ा बने और दुनिया में खूब नाम रोशन करे। इन स्वप्नों को पूरा करने में जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी संदर्भ में, मैं सरकार का ध्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सबडिवीज़न में एक नवोदय विद्यालय की माँग की ओर आकर्षित कर रही हूँ। मयूरभंज के जनसाधारण कृषि और कृषि श्रम के आधार पर जीवनयापन करते हैं। यह जनजाति बहुल पिछड़ा जिला है और अधिकांश लोग गरीब हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में बहुत रुचि रखते हैं, पर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्राइवेट स्कूल से शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। वह जिला बहुत बड़ा है। वहाँ एक नवोदय विद्यालय है, लेकिन ज्यादा छात्र होने से कई प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेकर ओडिशा के मयूरभंज जिला के रायरंगपुर सबडिवीज़न में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र करवाने की कृपा करें।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : सर, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for improving facilities at Ajanta- Ellora caves and Devagiri fort at Aurangabad

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र):* सर, मैं मराठी में बोलना चाहता हूँ । कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

पिछले सप्ताह इस सदन में पर्यटन मंत्रालय पर चर्चा हुई थी। उसमें सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकास पर अपने विचार रखे। देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, विश्व प्रसिद्ध अजंता-एलोरा गुफाएँ औरंगाबाद संभाजीनगर शहर के करीब है। अजंता गुफाएँ लगभग ढाई हज़ार साल पुरानी और एलोरा गुफाएँ लगभग दो हज़ार साल पुरानी है। महोदय, अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म के विविध रूप, सभागृह, प्रार्थना गृह, संस्कृति, निवास व्यवस्था आदि का चित्रण दीवारों पर और छतों पर चित्रों में दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन के अलग-अलग प्रसंग और बौद्ध देवताओं के अनेक चित्र यहाँ मिलते हैं।

महोदय, 1983 में यूनेस्को ने वैश्विक सर्वेक्षण किया। उसमें हमारे देश के सिर्फ चार पर्यटन स्थलों को चुना गया था । इन विश्व धरोहर स्थलों मे अजंता, एलोरा गुफाएँ और ताजमहल तथा आगरा का किला का समावेश किया गया है । एलोरा में 34 गुफाएँ हैं। उनमें से 1 से 10 गुफाओं में बौद्ध धर्म के बारे में, 13 से 20 गुफाओं में हिंदू धर्म के बारे में तथा 30 से 34 क्रम की गुफाओं मे जैन धर्म के बारे में जानकारी दी गई है।

एलोरा गुफाओं में सोलहवें क्रम की जो कैलाश गुफा है, वो एक ही पत्थर में ऊपर से नीचे तक खुदाई करते-करते बनाई गई हैं।

इन गुफाओं को देखने के लिए हर साल करीब 24 लाख पर्यटक आते है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि इन गुफाओं के परिसर में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की जरूरत है। इससे और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे।

इन सुविधाओं में साउंड और लाइट शो की व्यवस्था की जाए, रोपवे का निर्माण किया जाए। इसी तरह हेलीपैड का काम भी होना चाहिए। इसके अलावा इसके promotion के लिए किसी कला महोत्सव का आयोजन या किसी टीवी, यूट्यूब पर इसका विज्ञापन दिया जाना भी बेहतर रहेगा।

इसके साथ—साथ, देश और विदेश के बौद्ध स्थानों से औरंगाबाद-संभाजीनगर शहर की एयर कनेक्टेविटी बढ़ायी जाए तो और अच्छा होगा। ऐसा करने के बाद पर्यटक सीधे संभाजीनगर शहर आ सकेंगे।

---

* Hindi translation of the Original speech delivered in Marathi.

महोदय, आखिर में, मैं आप के माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि पर्यटन स्थलों का विकास, संवर्धन, संरक्षण और अनुसंधान करने के लिए देश में एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की जाए तो सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी उससे मिलेगी। इसके लिए मैं आप के माध्यम से विनती करता हूँ और मैं, आपसे और सभागृह के अन्य सदस्यों से यह विनती करता हूँ कि आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार आकर एलोरा और अजंता गुफाएँ अवश्य देखिए। इतनी विनती करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।"

सर, मैं आपसे और सभागृह के सदस्यों से विनती करता हूँ कि आप लाइफ में कम से कम एक बार जाकर एलोरा एवं अजंता देख लीजिएगा। इतनी विनती करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सभापति : आपको बहुत- बहुत शुभकामनाएँ।

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Dilution of constitutional provisions for reservations for SC/ST candidates

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Hon. Chairman, Sir, my subject is 'Concern over dilution of constitutional provisions for reservations for SC/ST candidates.' This is the direct violation of the provisions of Articles 15(4) and 16(4) of the Constitution of India. On 4th August, 2020, the UPSC released the list of selected candidates for the Civil Services Examination, 2019. A total of 829 applicants have been selected. Among the selected candidates, 129 were SC candidates and 67 were ST candidates. As per the statement of the UPSC, another 66 candidates have been put on the provisional list, while the result of 11 candidates has been withheld. On 4th January, 2021, instead of 66 candidates, a reserved list of 89 candidates was released. With the release of this list, the result of total 918 candidates out of 927 vacancies has been declared by the UPSC so far. As per the percentage of reservation prescribed by the Government of India and the Central Services for SC and ST candidates, there must be selection of 139 from SC candidates and 69 from ST candidates. But, unfortunately, only 130 candidates from SCs and 67 from STs have been selected. Further, on 5th February, 2021, the Government of India issued a notification for lateral recruitment of Joint Secretary level and Director level posts on contract basis without any reservation for SCs and STs. These ten vacancies advertised for direct entry are curtailed from SC and ST quota. Isn't it another ploy to sideline and reduce the reservations for deprived sections? The Government of India is strategically hammering on affirmative provisions of the Constitution like the reservations for deprived communities. It is my humble request, through you, to ensure the fulfilment of constitutional provisions of reservations for SCs and STs.

SHRI RAJEEV SATAV (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shri Surendra Singh Nagar; not present. Ms. Saroj Pandey; not present. Now, we are taking up the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Demand to enact a law for Health Guarantee to provide standardized healthcare

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Hon. Chairman, Sir, the responsibility to provide healthcare is enshrined in the Constitution. Today, however, it seems that the healthcare sector has become a business sector. People are reluctant to go to Government-run hospitals because of the casual approach of the staff towards the patients in many hospitals. People go to a Government-run hospital only when they absolutely cannot afford treatment in a private hospital. They would prefer to sell off

gold or property to go to a private hospital rather than a Government-run hospital. The Government should enact a health guarantee law and guarantee the provision of health facilities to all the people through the Government. The criteria for health facilities should be decided by the Government. It is necessary to determine SOPs for healthcare. Currently, such a procedure does not exist. The responsibility of the treating doctors, nurses and other staff also needs to be determined. Moreover, there is a great need for transparency. Placing the diagnosis, laboratory reports and reports of other tests, the time-wise treatment provided by the hospital in a place accessible to the relatives of the patient should be made mandatory. This could be made more transparent by designing a software or using a digital method. Healthcare personnel must be trained in courtesy and polite behaviour. It would greatly reduce angry attacks on healthcare personnel, for which safeguards are designed by Governments. Healthcare ought to be the right of every citizen. As this is a matter related to public importance, I request the Government to consider it.

SHRI RAJEEV SATAV (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

Demand to fill the vacancies reserved for OBCs in Government Services on priority basis

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) **:** सभापति महोदय, समाज के आरक्षित समुदाय के हितों की रक्षा करना तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को उनकी आबादी के अनुपात में वृद्धि करना सरकार का पवित्र दायित्व है, लेकिन यह दुखद है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में बड़ी संख्या में इन समुदायों के लिये आरक्षित पद रिक्त हैं। एक अनुमान के अनुसार मार्च, 2020 की स्थिति यह थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आरक्षित कुल 20,444 पदों में से 10,859 पद रिक्त थे। इसका अभिप्राय यह है कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित लगभग 50 प्रतिशत पद खाली हैं। एक विशेष अभियान चलाकर इन रिक्त पदों को भरा जाये अन्यथा जिस आशा और उम्मीद से इन पदों को इस समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किया गया था, वह लक्ष्य हासिल नहीं हो पायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य सरकारों द्वारा अपने कार्यालयों में दिए जाने वाले आरक्षण में भी समयबद्ध आधार पर विशेष अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, तभी हम इस वंचित समुदाय के लोगों के साथ न्याय कर पायेंगे।

श्रीमान्, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया है तथा समय- समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाकर उन वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाता है ताकि सर्वत्र उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व बरकरार रहे, उसी तरह से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों को भी भरा जाना चाहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand to develop Pachnada confluence of five rivers in Auraiya and Etawah districts in Uttar Pradesh as a tourist spot

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान ऐसे स्थान की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो विश्व में एकमात्र स्थान है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया जनपद में प्रकृति द्वारा एक उपहार है, जिसमें पाँच नदियों का संगम है, जिसे "पचनदा" के नाम से जाना जाता है। यह यमुना, कुवारी, सिंधु, पहुज व चम्बल नदियों का संगम है, इसे ज्ञान का स्थान भी कहा जाता है। *

श्री सभापति : आपने मुझे जो टेक्स्ट दिया है, वही टेक्स्ट पढ़ना है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा :*

श्री सभापति : गीता जी, आपने मुझे जो टेक्स्ट दिया है, वही टेक्स्ट पढ़ना है।

---

* Not recorded.

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : सर, वही है।

मान्यवर, पांच नदियों के इस संगम स्थल पर पर्यटन व अन्य परियोजनाओं की बहुत सी संभावनाएं हैं। कुछ समय पूर्व, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पचनदा को बांध परियोजना के रूप में विकसित करने का ऐलान किया व इस परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपये की धनराशि का बजट में प्रावधान भी किया है।

प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के आस्था से जुड़े हजारों, लाखों श्रद्धालु संगम स्थल पर एकत्रित होते हैं और ईश्वर की साधना करते हैं।

महोदय केंद्र सरकार द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन योजनाओं से पचनदा को जोड़ा जाए, जिससे संगम स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में और तेजी से विकसित किया जा सके। साथ ही बुंदेलखंड, औरैया, इटावा, कानपुर देहात व जालौन जिलों के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने के साथ इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री सभापति : आप लोग मेरे पास जो स्पेशल मेंशन लिखकर भेजते हैं, जिसे हमारा कार्यालय अप्रूव करता है, उसी को सदन में पढ़ना है, उससे हटकर पढ़ना allowed नहीं है। यह सुझाव केवल गीता जी के लिए ही नहीं, बल्कि सबके लिए है। आपने जो लिखकर भेजा है, उसी को सदन में अनुमति मिलने के बाद यहां पढ़ना है। नहीं, तो सभा पटल पर रखना है। प्लीज़, रामदास जी, अभी स्पेशल मेंशन्स के विषय चल रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप मुझे लिखकर भेजते। I would have definitely considered it.

Demand to open examination centres for UPSC/other examinations in Imphal, Manipur

SHRI MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA (Manipur): Sir, every year many aspirant students of Manipur appear in UPSC Prelims Examination in Manipur. But at the time of Mains Examination, the examination centre has been shifted from Imphal to Aizawl, Shillong and Guwahati for reasons not known. This makes the poor and the middle-class aspirant candidates very disappointed as they cannot afford expenses of travelling, lodging and food, etc. In the last five years, Mizoram and Nagaland could not produce any qualified candidate, but Manipur is producing qualified candidates every year. In 2020, as many as 30 candidates of Manipur qualified in the Prelims Examination, whereas only one candidate each from Mizoram and Meghalaya could qualify there. As of now, no examination centre of UPSC/similar examination for Mains has been opened in Manipur, Imphal. Our students are facing hardship in appearing in these examinations. Therefore, I, on behalf of the students of Manipur, urge the Government of India to open the examination centre of UPSC/similar examination in Manipur, Imphal, as soon as possible.

MR. CHAIRMAN: Did you have the examination centre there earlier? वहां examination centers पहले थे।

श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा : सर, वहां पर preliminary examination centre है, लेकिन Mains Examination के लिए नहीं है।

श्री सभापति: मुझे यह लगा कि आपने कहा कि वह शिफ्ट किया है। शिफ्ट नहीं किया है। जो एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखकर भेजें।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand for the constitution of All India Judicial Services

SHRI SUSHIL KUMAR MODI (BIHAR): Sir, in the year 1976, Article 312 of the Constitution was amended by 46th Constitution Amendment for providing constitution of All India Judicial Service on the pattern of IAS, IPS and other All India Services.

It may be recalled that the Law Commission's 14th Report 1958 and 116th Report 1986, and the National Commission to Review the Working of the Constitution Chaired by Justice H.R. Khanna, and Justice Shri B.P. Jeevan Reddy and Shri K. Parasaran as members, also recommended that All India Judicial Service should be formed.

Even after 45 years of 46th Constitution Amendment, All India Judicial Service has not seen the light of day. Today, there is negligible representation of SCs, STs and OBCs in the Judiciary. We also wish that proper reservation to SCs, STs and OBCs be given in All India Judicial Service.

When earlier efforts were made, there was opposition from the judiciary and some raised language as a barrier for such an All India Service. But I think language should not become a hindrance in such a service because IAS officers also go to different States and language never becomes a hurdle in their way.

Now time has come to constitute All India Judicial Service. I urge the Government of India to take this initiative and take all the stakeholders into confidence and fulfil the demand of All India Judicial Service. Like the GST and the IBC, this will go down in the history as a milestone in judicial reforms.

श्री सभापति : जो भी माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, क्योंकि वह रिकॉर्ड में जाएगा।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री जयप्रकाश निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री समीर उरांव (झारखंड) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

डा. अशोक बाजपेयी (**उत्तर प्रदेश**) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री हरद्वार दुबे (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) **:** महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI IRANNA KADADI (Karnataka): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand to recognize Odisha's Maritime trade history and utilize its potential in India's foreign policy

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Mr. Chairman, Sir, as the maritime space re-emerges as the theatre for geopolitical competition, it is imperative to tap into the great potential that Odisha's rich ancient maritime civilization has to offer, and use that information to strengthen our cultural diplomacy.

Odisha was instrumental in shaping the history and culture for South-East Asia. Kalinga had maritime trade links with South-Asian, East-African, and certain Arab countries. This maritime trade not only helped in economic development, but also led to greater socio-cultural assimilation of the whole region. For instance, Odisha played a significant role in the evolution of Hindu culture in Bali.

The trade routes, discovered by our forefathers in Odisha, have not only socio-cultural significance, but geo-political consequence as well, in today's day and age. The impact that maritime trade of Odisha had created in the Indo-Pacific region 'then'

could provide an edge for India to negotiate diplomatically 'now' in a better way, if we develop this perspective. Therefore, I urge the Government to promote further research and study, as there is lack of information about the ancient maritime history of Odisha. Most of it remains unexplored. Tapping into the ancient maritime culture oF Odisha will provide a whole new dimension to India's strength in cultural diplomacy and soft power in harbouring greater ties with South-East Asia.

We also need proper archaeological and scientific survey of coastal Odisha which will help in locating the unidentified ports.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION - Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Harnath Singh Yadav to raise his Zero Hour submission on the issue of low salaries of technical staff. ...*(Interruptions)*... इनका Zero Hour वाला विषय है। जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं।

Low salaries of technical and supporting staff of private hospitals and medical education institutions

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निजी चिकित्सालयों में सेवारत सहयोगी व तकनीकी स्टाफ की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत सात वर्षों में सरकार ने देशवासियों को श्रेष्ठतम चिकित्सा सुविधाएं देने के अथक प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि नागरिकों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में सभी प्रकार के चिकित्सालयों में तकनीकी व अन्य सहयोगी स्टाफ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और ये वर्ग अपनी श्रेष्ठ सेवाएं रोगियों को तभी दे सकते हैं, जब वे मानसिक तनाव से पूरी तरीके से मुक्त हों।

महोदय, देश भर में निजी चिकित्सालयों में सहयोगी व तकनीकी कर्मचारियों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 80 लाख से अधिक है, परंतु इन कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होता है। मोटे तौर पर कहूं तो इन्हें 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपये तक वेतन मिलता है। आप कल्पना करें कि आज के इस महंगाई के युग में इतने कम वेतन में कोई भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर सकता है। इसके साथ-साथ इस श्रेणी के लोगों में नौकरी से निकालने की एक अद्दश्य तलवार इनकी गर्दन पर हर समय लटकती रहती है। वे अल्प वेतन और असुरक्षा की भावना के कारण से तनाव में रहते हैं। परिणामतः वह रोगियों को अच्छी सेवाएं देने में भी असमर्थ रहते हैं। कोई भी चिकित्सालय अच्छे एक्स-रे टेक्नीशियन, पैथेलॉजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, फार्मेसिस्ट तथा अच्छे प्रशासनिक ढांचे के बिना उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकता।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि निजी चिकित्सालय रोगियों के उपचार में मोटी रकम वसूलते हैं, परंतु वे चिकित्सा सेवाओं के असली नायकों का बहुत अधिक आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न करते हैं। यह मुद्दा आम नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि देश भर के निजी चिकित्सालयों का श्रेणीकरण करके प्रशासनिक व तकनीकी तथा अन्य सहयोगी स्टाफ के न्यूनतम वेतन एवं उनकी सेवा सुरक्षा नियमावली निर्धारित करने की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह वर्ग स्वस्थ मन से 'स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत' के मंत्र को साकार करने में अपनी भूमिका प्रकट कर सके।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री सभापति : श्री रामचंद्र जांगड़ा, आप बोलिए। आपका Backward Classes का विषय है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सभापति जी, मैंने तो ज़ीरो ऑवर के लिए बोला था।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आपको सेम मौका दिया है ।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। ..(**व्यवधान**)..

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : सभापति जी, मुझे भी बोलना है। ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : उन्होंने लिखकर दिया है, जिन्होंने लिखकर नहीं दिया है, वे नहीं बोल सकते हैं। यह बात सबको मालूम है कि ऐसा नियम है।

श्री रामदास अठावले : सभापति महोदय ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : प्लीज़ आप सुनिए।

Welfare of Backward Classes

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : सभापति महोदय, मैं पिछड़े वर्गों के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ..(**व्यवधान**)..

महोदय, जब से केंद्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से पिछड़े वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। यह इस देश की 54 परसेंट आबादी है। पीछे की हुकूमत में जो पार्टियाँ रही हैं, उन्होंने इसे एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : आपका सुझाव क्या है? ..(**व्यवधान**).. आपको एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन नहीं करनी है। ..(**व्यवधान**)..आपका क्या सुझाव है? ..(**व्यवधान**)..आपने लिखकर दिया है। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सभापति महोदय, केंद्र में Backward Classes Commission को संवैधानिक दर्ज़ा दे दिया गया है, लेकिन राज्यों में Backward Classes Commission के गठन नहीं हुए हैं। मेरा यह सुझाव है कि राज्यों को निर्देशित किया जाए कि वहाँ पर Backward Classes Commission के गठन हों और उन्हें संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त हो, ताकि जातियों को भी चिह्नित किया जा सके और उनकी जो grievances हैं, उनके redressal के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। मेरा केंद्र सरकार को ऐसा सुझाव है कि राज्यों को निर्देशित किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : रामचंद्र जांगड़ा जी, आपका धन्यवाद। श्री श्वेत मलिक - नहीं हैं। श्री कुमार केतकर - नहीं हैं।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): सभापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, आपको जो बोलना है, वे चाहे मंत्री हों या सदस्य हों, उन्हें रूल के मुताबिक पहले मुझे लिखकर देना पड़ेगा। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामदास अठावले : सभापति जी, मैं आपको लिखकर दे दूंगा। ..(**व्यवधान**).. .

श्री सभापति : हाँ, दे दीजिए, मैं जरूर देखूंगा। ..(**व्यवधान**).. .

श्री रामदास अठावले : सभापति जी..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : आप मंत्री हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामदास अठावले : सभापति जी, मैं पार्टी का लीडर हूं। ..(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : पार्टी के लीडर हैं, तो मैं अभी क्या करूँ? बिना नोटिस nothing shall go on record. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : *

श्री राकेश सिन्हा : *

श्री सभापति : वे वही चाहते हैं। ..(**व्यवधान**)..वे वही चाहते हैं..(**व्यवधान**)..आप उनकी मदद कर रहे हैं। ..(**व्यवधान**).. Nothing will go on record from both sides. ...*(Interruptions)*... Today, we had 13 Zero Hour submissions and six Special Mentions.

श्री संजय राउत :*

* Not recorded.

श्री जयराम रमेश :*

श्री सभापति : यह कोई तरीका नहीं है। ..(**व्यवधान**)..यह क्या हो रहा है? ..(**व्यवधान**).. What is happening? ...*(Interruptions)*... Nothing shall go on record except what has been permitted by the Chair. *(Interruptions)* Nothing shall go on record. *(Interruptions)*What is happening? ...*(Interruptions)*...प्लीज़ बैठ जाइए। ..(**व्यवधान**)..आप बैठ जाइए। ..(**व्यवधान**)..ऐसा मत कीजिए।..(**व्यवधान**).. ऐसा मत कीजिए।..(**व्यवधान**).. आप बैठ जाइए। ..(**व्यवधान**).. Both sides must understand that nothing will be shown and nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अठावले : *

श्री राकेश सिन्हा : *

श्री शिव प्रताप शुक्ल : *

श्री सभापति : आप लोग अपना समय ऐसे क्यों बरबाद कर रहे हैं? ..(**व्यवधान**).. ऐसे allow नहीं होगा।..(**व्यवधान**).. I am not allowing anybody to make a mention of any State and make allegation. *(Interruptions)*I have not received any notice. *(Interruptions)* Without notice, how can I allow anybody? *(Interruptions)* No, no. This is not the way. ... *(Interruptions)* ... You are not achieving any purpose. *(Interruptions)* What can I do? ...*(Interruptions)*...प्लीज़, आप बैठ जाइए।..(**व्यवधान**).. अचानक क्या हुआ? ..(**व्यवधान**).. प्लीज़, आप बैठ जाइए।..(**व्यवधान**).. This is not the way. ...*(Interruptions)*.... मैंने अलाऊ नहीं किया तो फिर हल्ला करने से क्या होगा...(**व्यवधान**)... You are not understanding. ...*(Interruptions)*... I have not allowed anybody. ...*(Interruptions)*... I have not allowed them. ...*(Interruptions)*... क्या करें...(**व्यवधान**)... You advise me. ...*(Interruptions)*... I have not allowed them. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Time over. ...*(Interruptions)*... Now, Question Hour. ...*(Interruptions)*... ...*(Interruptions)*... Please आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... Question Hour. ...(**व्यवधान**)... Please. ...*(Interruptions)*... आप बैठ जाएं।...(**व्यवधान**)... सब लोग बैठ जाएं और भी विषय हैं।...(**व्यवधान**)... कृपया बैठ जाएं।...*(Interruptions)*... No, no; it is Question Hour time. ...*(Interruptions)*... Question Hour, Q.No.271. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

12.00 **Noon**

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

Minority administered engineering institutions

*271. SHRI RAKESH SINHA: Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of minority administered engineering colleges in the country, State- wise;

(b) the total strength of students and faculty members, permanent and contractual in these colleges;

(c) the number of students in these colleges who belong to non-minority groups or are not of the same minority group of which the college belongs to;

(d) how many of them get subsidies or the State grants/aid;

(e) the criterion for establishing an engineering college in minority category; and

(f) whether some geographical distance or demographic factors are being taken into consideration to establish such colleges?

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The State-wise number of Minority Institutions which are declared minority by National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) and approved by All India Council for Technical Education (AICTE), number of minority students and number of faculty members (permanent and contractual) is given at Annexure.

(d) This information is not maintained centrally.

(e) The criteria for establishing an engineering college in minority category is given as under:

(i) The Institutions/ Society should comply with criterion for establishing an engineering college as specified in "Chapter-I" of Approval Process Handbook (APH) AY 2020-21 of AICTE which is available at: www.aicte-india.org › sites › default › files › APH 2020_21.

(ii) In addition to the above, the Society / Institution should be in possession of Government Order of Concerned State/ UT/ NCMEI declaring them as Minority Institution/ Society.

(f) No, Sir.

Details of institutions which are declared Minority by NCMEI and approved by AICTE, No. of students and Faculty.

State	No. of Institutes	Total Approved Intake	Total Enrollment of students	No. of Non Minority students	No. of Minority Enrollment	Regular Faculty	Contractual Faculty
Andhra Pradesh	5	1,560	780	559	221	281	1
Bihar	2	570	363	320	43	65	0
Delhi	1	600	469	321	148	46	31
Goa	1	300	235	123	112	54	12
Haryana	3	510	152	134	18	98	0
Karnataka	2	930	388	175	213	191	6
Kerala	36	14,592	8,705	5,375	3,330	3008	98
Madhya Pradesh	4	1,560	859	671	188	278	74
Maharashtra	3	1,200	1,115	874	241	211	9
Meghalaya	1	420	245	123	122	86	0
Tamil Nadu	6	3,600	1,468	1,208	260	567	0
Telangana	10	3,660	1,428	458	970	650	0
Uttar Pradesh	6	2,280	803	651	152	291	40

Uttarakhand	2	480	155	136	19	130	0
West Bengal	1	600	47	38	9	62	0
Grand Total	83	32,862	17,212	11,166	6,046	6018	271

MR. DEPUTY CHAIRMAN: First supplementary, please. ...*(Interruptions)*... कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... Question Hour, please. ...(**Interruptions**)... सब लोग बैठ जाएं और भी विषय हैं।...(**व्यवधान**)... Q.No. 271, Shri Rakesh Sinha. ...*(Interruptions)*... First supplementary, please. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... प्रश्न संख्या 271 के अलावा और कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।..(**व्यवधान**)... राकेश सिन्हा जी, आप पहला पूरक प्रश्न पूछें।..(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएं। इस तरह खड़े होकर न बोलें, आप बैठ जाएं।...(**व्यवधान**)... राकेश सिन्हा जी, प्रश्न पूछें। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएं।।...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हाः माननीय उपसभापति जी, देश में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं...(**व्यवधान**)... सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में फैसला भी दिया है।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only Question Hour and nothing else. ...*(Interruptions)*... आप सवाल पूछें।

श्री राकेश सिन्हाः महोदय, मैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नॉन माइनॉरिटीज़ के एडमिशन के बारे में जानना चाहता हूं...(**व्यवधान**)... क्या इन संस्थानों में गैर अल्पसंख्यकों को भी एडमिशन मिलता है या नहीं?...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, जवाब दें। सिर्फ मंत्री जी का जवाब रिकॉर्ड पर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः महोदय, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के संकल्प और लक्ष्य को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार काम कर रही है।...(**व्यवधान**)... पहले जो तुष्टिकरण की सियासत होती थी, वह हमारी सरकार के इस लक्ष्य और संकल्प के साथ काम करने से छूमंतर हो गई है।...(**व्यवधान**)... मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस समय देश में टोटल 1 लाख, 32 हजार, 755 बच्चे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एनरोल हुए हैं...(**व्यवधान**)... उनमें से 13,457 बच्चे...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...(**Interruptions**)... सिर्फ मंत्री जी का जवाब रिकॉर्ड में जा रहा है, उसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए किसी तरह का 'नो एंट्री' का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ...(**व्यवधान**)... हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत समाज के सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास तथा सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ काम कर रही है।...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हाः श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है...(**व्यवधान**)... लेकिन कई जगह और कई छात्र-छात्राओं को यह छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है...(**व्यवधान**)... जबकि केन्द्र सरकार द्वारा यह छात्रवृत्ति दी जाती है...(**व्यवधान**) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां यह स्कॉलरशिप इन छात्र-छात्राओं तक नहीं पहुंच पा रही है?...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः माननीय सदस्य ने काफी जायज़ सवाल किया है। ...(**व्यवधान**)... सरकार समाज के सभी वर्गों को बराबर तरक्की में भागीदारी देने में विश्वास करती है।...(**व्यवधान**)... इस समबन्ध में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण की योजनाएं और कार्यक्रम बनाए हैं। उस कार्यक्रम के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात कही, हमें इस बात को कहने में दुख है कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है, जो पिछले दो वर्षों से ...(**व्यवधान**)... जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिस्ट भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और पारसी भाई हैं, ...(**व्यवधान**)... उनकी scholarship केवल इसलिए नहीं ले रहा है कि उसमें मोदी जी का ठप्पा न लग जाए। ...(**व्यवधान**)... हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी, हमने पश्चिमी बंगाल की सरकार से कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, ये जो बच्चे हैं, आप उन बच्चों को scholarship दीजिए। ...(**व्यवधान**)... यह केन्द्र सरकार की scholarship है। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को ...(**व्यवधान**)... जिस तरह से उसने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को पश्चिमी बंगाल में लागू नहीं किया, ...(**व्यवधान**)... उसी तरह से जो 27 लाख बच्चे हैं, ...(**व्यवधान**)... पश्चिमी बंगाल के अल्पसंख्यक समाज के, वे शिक्षा से वंचित रह गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मनोज कुमार झा। ...(**व्यवधान**)... आपका सवाल। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ सवाल और जवाब रिकॉर्ड पर जाएँगे, और कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... . It is Question Hour. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झाः माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि खास तौर पर बीते 6 वर्षों में minority institutions को लेकर क्या कोई नई योजना लाई गई है

...(**व्यवधान**)... और वहाँ जो appointments pending हैं, उनके लिए क्या pro- active initiatives लिए गए हैं?

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः महोदय, जैसा कि मनोज जी जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं का, ...(**व्यवधान**)... जो notified Minorities हैं, उनका हम संचालन कर सकते हैं, ...(**व्यवधान**)... उनमें अल्पसंख्यकों के साथ-साथ अन्य वर्गों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर वहाँ पर किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है, तो उस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय में व्यवस्था है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय हरनाथ सिंह यादव। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादवः महोदय, संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए ...(**व्यवधान**)... शिक्षण, भर्ती तथा छात्रों के प्रवेश में ...(**व्यवधान**)... आरक्षण करने का प्रावधान है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... और कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... यह Question Hour है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरनाथ सिंह यादवः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ...(**व्यवधान**)... शिक्षण, भर्ती व छात्रों के प्रवेश में संविधान में प्रदत्त आरक्षण के प्रावधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली पर भी लागू होते हैं? ...(**व्यवधान**)... यदि हाँ, तो इसकी जमीनी हकीकत का पूर्ण ब्योरा क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः महोदय, जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, मैंने अभी आपको बताया कि उनमें अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त अन्य समाज के लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। समाज के अन्य वर्गों के बारे में आपने जो दूसरी चीज कही, तो केन्द्र सरकार अलग-अलग scholarship की योजनाएँ चलाती है। 2016 में प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने एक Scholarship Portal का गठन किया। Department of Empowerment of Persons with Disabilities, यह scholarship योजना चलाता है; Ministry of Social Justice and Empowerment, यह scholarship योजना चलाती है; Ministry of Labour & Employment, यह scholarship योजना चलाती है; Ministry of Tribal Affairs, यह scholarship योजना चलाती है; Ministry of School Education & Literacy, यह scholarship योजना चलाती है; Ministry of Higher Education, यह scholarship योजना चलाती है; Ministry of Home Affairs, यह scholarship योजना चलाती है; इसी तरह से Ministry of

Railways और Ministry of DoNER, जो North-East के राज्यों के लिए है, वे scholarship योजनाएँ चलाती हैं। इसलिए Ministry of Minority Affairs के अतिरिक्त अन्य Ministries भी जो समाज के कमजोर तबके हैं, समाज के पिछड़े तबके हैं, समाज के वंचित तबके हैं, उनके शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएँ चलाती हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जो सभी scholarships हैं, उनके लिए 2016-17 में एक National Scholarship Portal शुरू किया, जिसमें जो भी अलग-अलग departments की scholarships हैं, सभी scholarships एक साथ एक जगह पर आती हैं। इससे किसी तरह की leakage और किसी तरह का duplication बंद हुआ है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Question No. 272.

Damage to crops due to wild animals

†*272. SHRIMATI CHHAYA VERMA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the fact that wild animals roaming outside the forest are causing harm to farmers' crops;

(b) whether Government has developed any mechanism to compensate for the loss caused by wild animals/ live stocks, in view of their increasing population in forest;

(c) the ex-gratia amount released under the schemes sponsored by Central Government for the compensation of the loss to the crops due to animal nuisance in last three years; and

(d) whether Government is proposing to control the population of wild animals by applying birth control measures on them so that the crops destruction may be reduced?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As a result of concerted efforts made for protection and conservation of wildlife, the population of several wildlife species like Tigers, Elephants, Asiatic Lion, Rhino

† Original notice of the question was received in Hindi.

etc. in the country has increased. There are reports of wild animals moving out of the forests leading to human wildlife conflict situations including crop damage. The Ministry is implementing Centrally Sponsored Schemes – 'Development of Wildlife Habitat', 'Project Elephant' and 'Project Tiger' which inter-alia aim to improve the natural habitat of wild animals so as to minimize their movement to human habitations. Further, improvement of degraded forests and augmentation of fodder and water are major components for use of Compensatory Afforestation Fund available with States/UTs. These components also help in improving natural habitats of wild animals and preventing their movement to human habitations.

(b) The compensation mechanisms for the crop damage due to wild animals vary from State to State. The Ministry provides financial assistance to the States/UTs under the Centrally Sponsored Schemes – 'Development of Wildlife Habitat' and 'Project Elephant', which also include assistance for payment of compensation for loss of crops due to damage by wild animals.

Further, the Ministry has increased the ex-gratia payment in connection with wildlife depredation.

Under the revamped operational guidelines of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), issued by the Government of India (effective from the year 2020), States can provide add-on coverage for crop loss due to attack by wild animals.

(c) During the last three years, ex-gratia amount of Rs. 1,777.915 lakhs was released under the Centrally Sponsored Scheme 'Project Elephant' and Rs. 478.40 lakhs under 'Development of Wildlife Habitats' scheme, to the States.

(d) Ministry has sanctioned a project for immuno-contraception to control birth of wild animals to Wildlife Institute of India, Dehradun and National Institute of Immunology, New Delhi. The project envisages using contraceptives to control populations of Rhesus macaque, Nilgai, Wild pig and elephants. The objective of the project is to develop appropriate methods for population control of above species in select sites, to reduce human wildlife conflict.

श्रीमती छाया वर्मा : माननीय उपसभापति जी, जंगली जानवरों के कारण फसलों के नुकसान से सभी राज्य सरकारें चिंतित हैं। पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने 26 फरवरी को अपने 'मन की बात' में भी चिंता जाहिर की थी और वे कह रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब से मैं इसे जान रहा हूँ, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम

से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो किसान गरीबी की वजह से या अज्ञानता की वजह से फसल बीमा नहीं करा पाते हैं ...

श्री उपसभापति : प्लीज़ पीछे बैठ कर बात न करें। प्लीज़ बात न करें।

श्रीमती छाया वर्मा: जब जंगली जानवर उनकी फसल को पूरी तरह से चौपट कर देते हैं तो क्या उस किसान को शासन की तरफ से शत-प्रतिशत ...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापतिः प्लीज़, पीछे बैठकर बात न करें, प्लीज़, आप बैठिये, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**).. राकेश जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। प्लीज़, मंत्री जी आप बैठिये। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती छाया वर्मा: सर, वे सुन नहीं रहे हैं, फिर जवाब क्या देंगे? ...(**व्यवधान**).. यह इतनी गम्भीर समस्या है।...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापतिः कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, only the question. ...*(Interruptions)*....

श्रीमती छाया वर्मा: सर, वे सुन नहीं रहे हैं, इतनी गम्भीर समस्या है, ये अपनी बातों में भी मशगूल हैं। सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें।...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप हैडफोन लगायें और सवाल सुनें। ..(**व्यवधान**)...

श्रीमती छाया वर्मा: आप हल्ला बंद करें और हाउस को शान्त रखें...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आप हैडफोन लगायें ...*(Interruptions)*... Please put on the headphone. ...*(Interruptions)*...आप पूछिये। Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती छाया वर्मा: मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जंगली जानवर जो किसानों की फसलों को चौपट कर देते हैं, क्या उन किसानों के नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार के किसी नियम के अधीन हो पायेगी?..(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record.

श्री प्रकाश जावडेकर: माननीय सदस्या क्या पूछ रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया। मुम्बई में पुलिस ने ...(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। ...(**व्यवधान**)... सदन दो बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

The House then adjourned at eleven minutes past twelve of the clock.

\-\-\-\-\-\-\-\-

The House re-assembled at two of the clock.
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

GOVERNMENT BILLS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, as per the List of Business that was circulated, the Appropriation (No.2) Bill, 2021 was to be taken up. But, now the Supplementary List of Business lists the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021 and the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021. We would like to propose that the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021 may be taken up first, and following that, the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021. There is a broad consensus also on that issue. We would also propose, and there has been a request that instead of three hours that has been allocated by BAC, it may be extended to three-and-a-half hours. If the House broadly agrees to that; we have no objection.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, in BAC, we have discussed that the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021 is a very important Bill and it requires not less than four to five hours. The decision was taken, and then we thought that we need not discuss it at all. What we said is, "We will send it to a

Select Committee". So, our request to the Government was at least agree to this and send it to a Select Committee, so that hours need not be discussed. To conclude, now three hours have become three-and-a-half hours, as if, a mercy has been bestowed, this is bad in expression. But, nonetheless, very change of subject from the Appropriation (No. 2) Bill, 2021 to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021, which is a very important thing, where you are taking away the entire powers of states is wrong. A Bill should come where all the powers of the Centre should go to States, then, we will agree to such a Bill. Sir, this is an important Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, a large number of parties; Congress party, TRS, TDP, RJD, Shiv Sena, CPI, CPM and many other parties are opposed to this Bill. We are not against the discussion on the Bill; we are opposed to this Bill. We are opposed to the provisions of this Bill, which are going to snatch away the powers of the States. This is a Council of States. That is why our request is that this should go to a Select Committee. This is the request that we are making.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Having said that, hon. Deputy Chairman, Sir, my principal observation on this is that when we decide something in the BAC, there is no point going against it. I was there on that day, time was not set and many people believed, many parties believed that it should go to a Select Committee. Having said that, if at all it opens for discussion, I think, if you read the Bill, it cannot be rushed through in three-and-a-half hours. Thank you, Sir.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, even YSRCP is against it.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)... मैंने amendments दिये हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF RAILWAYS; THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI PIYUSH GOYAL): We are open to a longer discussion as is suggested by Prof. Manoj Kumar Jha.

श्री उपसभापति: हाँ, आपके amendments आये हुए हैं, we will take up. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह : सर, एक मिनट। आप मेरी बात सुन लीजिए।

महोदय, खनिज के विषय पर हमें कम से कम चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए और stakeholders के साथ चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए। लाखों-करोड़ों परिवार खनिज के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हर बार, 2015, 2016 और 2021 में आप इसमें stakeholders के साथ चर्चा करने का अवसर हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी को सौंपने की आवश्यकता है, ताकि हम सारे stakeholders के साथ चर्चा कर सकें। जो मसले अदालत में चले जायेंगे और अदालत में जाकर ...(**व्यवधान**)... इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इसे सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सदन के नियमों की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अन्तर्गत बिल को प्रस्तुत करके, consideration करके, उस पर चर्चा तो प्रारम्भ हो। चर्चा प्रारम्भ करना एक आवश्यक विषय है।

दूसरा, वर्तमान सरकार के द्वारा अधिकतम बिलों को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है। यह भी एक ऐसा बिल है ...(**व्यवधान**)... आप पूरा सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... यह भी एक ऐसा बिल है ...(**व्यवधान**)... यह भी एक ऐसा बिल है, जिसको पिछली बार amendment करते समय इसी सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। उसने उस पर पूरा विचार किया था। अगर अभी मंत्री जी कोई बिल लेकर आये हैं, तो उसमें कुछ administrative सुधार का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिल पर एक बार already इस सदन की Select Committee के द्वारा विचार किया जा चुका है। यह अलग बात है कि नया amendment आया है, परन्तु बिल पर Select Committee और stakeholders ने कभी चर्चा ही नहीं की है, ऐसा नहीं है।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी।

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, we are ready for a full discussion on this Bill. Many suggestions had come up in the BAC, but, ultimately, the decision of the BAC was that the time allocation is three hours. Now that can be increased and half-an-hour increase has already been requested, and it has been agreed upon. If any request or further requirement is there, we will take a decision on the basis of that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. We now take up the Mines and Minerals (Development and Regulations) Amendment Bill, 2021 and Shri Pralhad Joshi to move a motion for consideration of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Amendment Bill, 2021.

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I move:
"that the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Amendment by Shri Digvijaya Singh. Are you moving your Amendment?

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I move:

"that the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Prof. Manoj Kumar Jha
2. Shri T.K.S. Elangovan
3. Shrimati Vandana Chavan
4. Shri Sanjay Singh
5. Shri Binoy Viswam
6. Shri Elamaram Kareem
7. Shri Digvijaya Singh
8. Shri Syed Nasir Hussain
9. Shrimati Chhaya Verma
10. Shri Naranbhai J. Rathwa
11. Shri Sanjay Raut

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill and the Motion are now open for discussion. माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय उपसभापति महोदय, खनिज क्षेत्र में लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और जिसमें.....

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, hon. Minister would like to speak on the motion.

श्री उपसभापति : क्या मोशन मूव करने के बाद आप बोलना चाहेंगे?

श्री प्रहलाद जोशी : जी हाँ, सर।

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़, आप बोलिए।

श्री प्रहलाद जोशीः सर, आपने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। सर, भारत में after South Africa and Australia बहुत बड़ी मात्रा में minerals हैं। There are very rich minerals. India is a mineral-rich State. We produce approximately 95 minerals. हम जिन minerals का खनन कर सकते हैं, these are around 95 minerals. We produce minerals of around Rs.1.25 lakh crores, we extract rather. We import around Rs. 2.5 lakh crores worth minerals. Approximately, it is estimated that, Geological Survey के अनुसार जो assessment हुआ है, उसके अनुसार, we have around 500 million tonnes of gold. But still we import around 983 tonnes of gold every year, which is of around Rs. 22.9 thousand crores worth. जैसा आप सब जानते हैं, India has the fourth largest reserve for coal, but still we import coal. जहाँ we share the similar potential like South Africa and Australia where their contribution to GDP is around 7.5 per cent. Australia is around 7 per cent and South Africa is above 7 per cent whereas India is about 6 per cent. After agriculture, this sector, as such, is the biggest employment generator also. Despite such mineral potential, India is under-explored and under-performed in attracting the investment. I would not like to go into detail but I would like to say that our Government, under the leadership of Shri Narendra Modi, brought an amendment in 2015 introducing the transparent and non-discretionary method for allotting the minerals for auction.

पहले यह discretion पर होता था। जहाँ भी discretion की पावर रहती है, वह चाहे ऑफिसर के साथ हो या मंत्री के साथ हो, then there will be corruption. अगर इसके लिए इस देश में कोई पूरा एक ट्रांसपरेंट सिस्टम लाए हैं, तो वह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लाए हैं। शायद, उस समय पीयूष गोयल जी मंत्री थे। इसके साथ ही, इससे पहले भी कोल और माइन्स के क्षेत्र में क्या-क्या हुआ था, हम वह भी जानते हैं। अभी इस कोविड के समय में आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधान मंत्री जी ने हमारे पास जो भी एनर्जी है, उसे चैनल करने के लिए कहा, इसलिए यह माइनिंग और कोल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए है। सर, बहुत interactive सैशन भी हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट से consultation हुआ है, कई स्टेकहोल्डर्स से consultation हुआ है और हम कह सकते हैं कि इन सब consultations के बाद हम इसमें लगभग आठ मेजर रिफॉर्म्स लाए हैं। इसमें major objective यह है कि अभी हम जो प्रावधान ला रहे हैं, after the approval of this House, if we put all together, we may get around 55 lakh direct and indirect employment. Now the contribution of mining to GDP is around one point seven five per cent (1.75%), all put together. We want to take it up to 2.5 per cent. This is our

commitment in the manifesto. This was the promise of our party, by way of manifesto. The Prime Minister's direction was to reform, perform and transform. With this mantra, we are going ahead. Let us try to understand the major reason as to why we are lacking in the mining sector. One of the major reasons is that we don't have sufficint number of explored blocks or explored mines. Only 10 per cent of Obvious Geological Potential, जिसे ओजीपी बोलते हैं, we have explored so far. Out of that 10 per cent of OGP, only 1.5 per cent is mined by us whereas in Australia, it is around 70 per cent, in South Africa it is around 70-80 per cent. The reason is because only the Government agencies are engaged in mining--like GSI, MECL or CMPDIL. We want to bring even private players into it because we know that we have rich minerals. We have coal, we have gold, and we have silver. But, we are not able to bring them out. That is why we are bringing some changes in this. That is why we are trying to redefine exploration. और exploration में empanelment करने के लिए और exploration में जो हमारा National Mineral Exploration Trust, NMET है, उस National Mineral Exploration Trust को हम एक autonomous body बनाकर, whoever is interested in the exploration, we are providing funds from NMET. NMET will be the most professional and an autonomous body. आज के दिन जी2 लेवल पर we are giving mining licenses, we want to take that up to G3 level for surfacial mineral. For composite license, we are taking it up to G4 level where RPL, हम जो prospective license देते हैं, seamless transfer of ML will also be there. Otherwise, he has to apply for the mining license, again.

These are the few important changes and I would like to apprise you. I will try to cover the remaining points in my reply. Federal structure के बारे में और withdrawal of power from the States के बारे में कहा गया है। It was initially observed, and I would like to remind this House through you, Sir; before 2015, the previous approval of the Central Government was required before granting any mining lease or prospecting licence by the State Government. In 2015, during the earlier regime of our Government, under the guidance of Narendra Modiji, Piyush Goyalji had withdrawn that. Today, the State can give permission directly. They can give the mining lease. Believing in cooperative federalism, we have given that power in 2015. Now also we don't want to take away, Keshava Raoji, any power. I would like to assure you on the floor of this House. I have assured on the floor of the House of Lok Sabha also.

DR. K. KESHAVA RAO: Karnataka should be convinced. That is enough.

SHRI PRALHAD JOSHI: Karnataka is also convinced. Karnataka has given in writing that they appreciate this move. I would just like to place before this House that in the last five years, 105 blocks have been auctioned. Two States have auctioned the working mines, which expired in 2020. I would like to place it on record that 143 original mines were handed over to various States. Out of these, only seven have been auctioned in the last six years. Is it not our responsibility to think over? What we are saying is, if State Governments do not auction, if they do not have the capacity or have a constraint to auction, then, first in consultation with the State Government, we fill fix the time; "आप एक बरस ले लो, दो बरस ले लो, लेकिन आप कृपया auction करो। If you do not auction, then, Centre in consultation with the States is going to auction it." What is wrong in it? The entire revenue goes to the State Government. Not even a *naya paisa* comes to the Central Government. Ultimately, the Central Government, for doing this auction, हमको माइन मंत्रालय में एक यूनिट establish करना पड़ेगा, एक nominated authority को लगाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ consultation करनी पड़ेगी, उसके लिए अधिकारियों को लगाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर बातचीत करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा खर्चा होता है। In fact, we incur the expenditure, but the revenue goes to the State. What is wrong in it? Ultimately, if you are doing it, then, we don't come in your way. We will give all types of support. I am assuring from this House, we will give all support to the State Governments to auction because we can't do it. We will also naturally have constraints. Let us try to understand and I have to once again repeat that before 2015, in every allotment, the Centre used to give permission. Without the previous approval of the Centre, not a single mine was allocated in the State. And in 2015, हमने चेंज किया। अभी भी हम उसको touch नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृपया इसको आप सेंट्रल-स्टेट का इश्यू मत बनाइए। हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है। Majority of the States have supported it, and as Keshava Raoji was specifically referring to, first, they were under confusion, but subsequently, the Karnataka Government has also supported this move and many non-BJP States have supported this move. Let me make it clear in this House. It is in the national interest. Sir, 334 merchant mines expired in 2020 and, out of them, 46 mines were working. They were producing and dispatching the production. हमने अब तक एक वर्ष में पूरी clearances transfer कर दीं, पूरी सुविधा दी, बातचीत की और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोशिश भी की। Out of 46, after all clearances were transferred without any condition to new lessee, only 28 have been auctioned. In between, there was shortage of iron ore! क्या देश को ऐसे ही चलाना है, क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम डीएमएफ के बारे में भी बदलाव ला रहे हैं, इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत complaints आयी हैं, Members of Parliament, चाहे वे लोक सभा से हों या

राज्य सभा से हों, we are trying to include a Member from the Rajya Sabha who identified that district as his nodal district in the Committee headed by the DM. Also, affected areas में काम ज्यादा हो और नेशनल प्रोग्राम के लिए ज्यादा priority हो, हम उसके लिए direction देने की पावर रख रहे हैं। इसमें जो कुछ भी पैसा खर्च होगा we are spending. डीएमएफ भी हमारे ही काल में आया है। डीएमएफ पहले कहीं नहीं था, क्योंकि before Modiji came, everything was under discretion. कहीं से चिट्ठी आती थी, तो allotment हो जाता था। हम एक transparent system लाए हैं, हम उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और यह Sub-section (2)(b) of Section 10A के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। There are 572 cases. Out of these 572 cases, only a few might have invested. But, we cannot run two regimes. In all the State Governments, especially under Sub-section (2)(b) of Section 10A, there were 572 cases allotted before 2015. There are some cases where allotments were made in 1980, but nothing has been done! ऐसे ही पड़ा है। यह वर्ष 1990 में allot हुआ, वर्ष 2000 में allot हुआ था। We wanted to withdraw that provision, wanted to bring them under auction and this has been the demand of all the State Governments; there is not even a single exception, including States ruled by opposition parties. Sir, every party and every Government demanded for this. ऐसे रेवेन्यु बढ़ जाएगा और आप एक तरफ ऑक्शन कर रहे हैं, price discover हो रहा है, प्रीमियम 100 से 150 परसेंट तक जा रहा है। जो वर्ष 1980 से allot हुआ है, हम उसे जीवित नहीं रख सकते हैं और इसमें जो कुछ भी investment किया है, हम उसके लिए पैसा वापस देने का जो NMET है, उसमें हम प्रावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। The Government does not want that any businessman who has really done the work should not feel that he is ditched or deceived. So, we wanted to make things very clear. And, out of these 572 mines, without any premium, if you calculate it on the basis of royalty, it comes to around Rs. 27 lakh crores. And, the land involved is around 4.6 lakh hectares. वर्ष 2015 से इतनी बड़ी मात्रा में जो चल रहा है, उसके बाद हम ऐसे ही बोलें कि आप ले लो, चलेगा, तो level-playing field नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की डिमांड थी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की डिमांड को fulfill करते हुए हम इसमें कुछ बदलाव लाए हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। This is the most progressive Bill. This will bring a big change. We are allowing 50 per cent sale; we are eliminating the difference between captive and non-captive. I would like to place it on record, in the entire world, if at all there is captive or non-captive, यह captive merchant system भारत में ही है। इसलिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। हम either auction or allocation के रूप में दे रहे हैं। In captive, for example, iron ore, वह 58 से 62 ग्रेड तक यूज़ करते हैं, बाकी पहाड़ की तरह उधर ही पड़ा है। It has become an environmental hazard too. Now, we are saying that after meeting your requirement in your plant, you can sell 50 per cent of it. Also, the 'captive' and 'non-captive' is creating a lot of problem because sometimes we give some mine and किसी कारण

प्लांट बंद हो जाएगा, तो माइन भी बंद हो जाएगी। बरसों तक स्टेट गवर्नमेंट ने mines के ऊपर decision नहीं लिया और हमारे पास भी नहीं भेजा, जिससे हमारे natural minerals waste हो जाते हैं और कभी-कभी हम इम्पोर्ट भी करते हैं। इसलिए उसके लिए यह 50 परसेंट allow कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने discretion नहीं रखा है। We are also fixing a mechanism to calculate the extra royalty in the Schedule of the Act itself. And, again, they have to pay it to the State Government. वर्ष 2015 से पहले allotment route से दिया था, उस पर specially transfer करने के लिए restriction था। वे कोर्ट में जाते थे; बंद पड़े थे; हमने यह सोचा कि इसको transfer के लिए भी allow करते हैं, जिससे वे जीवित हो जाएंगे। इसलिए we have allowed it without any charges, क्योंकि मैं कुछ property खरीदता हूं, तो हम उसको दस वर्ष के बाद बेच सकते हैं। यह सभी बिज़नेस में allowed था, लेकिन mines में allowed नहीं था। We are trying to bring that system through this legislation. We want to bring a transparent system. इससे बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार मिलेगा। We want to take it to a level where there is, at least, 2.5 per cent addition to the GDP by the mineral sector. This is a big reform. We are trying to bring big changes through it. कई मेम्बर्स पूछ रहे थे कि आप बार-बार अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं? पीयूष जी, 2015 में कोल में अमेंडमेंट लाए थे और आप 2017 में लाए हैं। यह तो ongoing process है, क्योंकि 2015 से पहले ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, क्या यह मंत्री जी का जवाब है?

श्री प्रहलाद जोशी : मैं बोल रहा हूं। जयराम जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैं जवाब देता हूं।

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठकर न बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, मैं complete कर रहा हूं, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, सीट पर बैठकर न बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशी: मुझे इसलिए बोलना पड़ा, क्योंकि शुरू से ही कुछ लोगों ने objection raise किए; otherwise, I would have mentioned all these things in the end only. वर्ष 2015 से पहले बार-बार अमेंडमेंट क्यों नहीं आता था? ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि ये लोग discretion भी यूज़ करते थे। कई पोलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस से चिट्ठियां भी आती थीं, तो उधर से देते थे। हम तो बदलाव ला रहे हैं। जहां बदलाव लाने की कोशिश होती है, वहां अमेंडमेंट लाना ही पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और फिर से आश्वस्त कर रहा हूं -- जयराम जी, दिग्विजय सिंह जी आप बोलने वाले हैं -- मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। Keshava Rao*ji*, please support this Bill. It is in your benefit. It is good for your State. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: By taking away all the powers? ...*(Interruptions)*...

SHRI PRALHAD JOSHI: No; no, we are not taking away powers. I have explained it in detail. If you auction, or, even the Centre also wants to auction, we will definitely consult with you. Let me tell you. Sir, please give me one more minute.

Even if we auction, अगर हम auction करते हैं, स्टेट cooperate नहीं करता है, pollution clearance नहीं देता है, land नहीं देता है, तो क्या होने वाला है? So, ultimately, the point is, we want to work with the State Governments. In a federal structure, in a cooperative federalism, we want to work. Please try to understand the spirit of this Amendment, and kindly support this Bill. With these words, I appeal to the House to kindly pass it unanimously. Thank you.

The questions were proposed.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, what is the time allotted?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The time allotted is three-and-a-half hours.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, please make it four hours.

SHRI PRALHAD JOSHI: You make it four hours.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत व्यापक विषय है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जिक्र किया। हमारा यह देश भी नैसर्गिक साधनों से सम्पन्न है, लेकिन यह भी एक बड़ी विडम्बना है कि जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, वहीं सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश जो क्षेत्र हैं, वे आदिवासी क्षेत्र हैं। उन लोगों का क्या हाल है, इसका आपकी नेशलन माइनिंग पॉलिसी, 2019 में जिक्र तक नहीं है। आप लोगों ने जो नेशनल पॉलिसी बनाई, उसमें land oustees और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो खनिज हैं, उनके बारे में आपने उल्लेख तक नहीं किया। उपसभापति महोदय, आज यह विषय इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र Scheduled Areas में हैं और Scheduled Areas में PESA लागू है। PESA लागू होने के कारण क्या आपको हर केस में ग्राम सभा की मंजूरी नहीं लेनी चाहिए? यह इतना साधारण विषय नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने शुरू से यह मांग की है कि खनिज जैसा

विषय व्यापक तौर पर चर्चा में आना चाहिए। आपने नेशनल माइनिंग पॉलिसी बनाई, संसद में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय भूपेन्द्र यादव जी ने कहा कि यह सेलेक्ट कमेटी गया था। 2015 में सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया, 2017 में नहीं गया और 2021 में नहीं गया...(**व्यवधान**).... I am not yielding. मैं इस विषय में आपसे कहना चाहता हूं और मैं आपको इस मामले में चुनौती देता हूं...(**व्यवधान**)...आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... I am not yielding.

श्री भूपेन्द्र यादव: उपसभापति महोदय...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Bhupender*ji*, I am not yielding. आप अपना जवाब दीजिएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bhupender*ji*, he is not yielding.

श्री दिग्विजय सिंह: आप यदि सेलेक्ट कमेटी में भेजते हैं, तो उसमें हर तरह से, हर पहलू पर चर्चा हो सकती है। उसमें एक करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। वे तो casual labour हैं, उस मामले में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसी बात पर यूपीए सरकार ने तय किया था और माननीय मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार competitive bidding का concept इस देश में कोई लाया था, तो वह 2004 में डॉ. मनमोहन सिंह जी लाए थे। उस समय आपके मुख्यमंत्रियों ने - झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था कि competitive bidding में नहीं जाना चाहिए और यही नहीं है, share in profitability of mines का concept यूपीए सरकार 2010 में लाई थी। उन लोगों का भी हक होना चाहिए, जिन लोगों की ज़मीन आप ले रहे हैं। Profit में उन लोगों का भी हक होना चाहिए, जिनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। इसीलिए Group of Ministers का गठन प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें profit का 26 प्रतिशत share उन लोगों को देना चाहिए, जिनकी ज़मीन उसमें गई है।

माननीय उपसभापति महोदय, यह concept था। आप हम लोगों को इसी concept और इसी विचारधारा पर मौका दें, हम इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहते हैं। आपको बिना चर्चा के जो लाना है, लाइए। आप ऑर्डिनेंस ले आइए, पास करा दीजिए, आपके पास बहुमत है, आप पास करा दीजिए। आपने बड़ी योजना बताई है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ग़रीब लोग सबसे ज्यादा rich natural resources क्षेत्र में रहते हैं और यह हमारे सामने एक विडम्बना है।

सर, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि Government of India का Socio-Economic Caste Census है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि 5 हज़ार से कम आमदनी वाले लोग किन क्षेत्रों में हैं। इनमें ओडिशा है - हमारे बीजेडी के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, वे कृपया इस ओर भी देखें कि 90.6 per cent of people in Keonjhar are earning less than Rs. 5,000, Sundargarh, 89.8 per cent people living in that district are earning less than Rs. 5,000 per month. West Singhbhum, Jharkhand में 53.8,

Chatra में 83.2, those who are living below 5,000 rupees per month. This is an issue. मंत्री जी, केवल पैसा कमाना ही नहीं है, आप जो पूंजीपतियों को सहयोग कर रहे हैं, वह इसमें परिलक्षित होता है, इसलिए हम आपसे यह चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए, ताकि हम लोग ग़रीबों के हित, मजदूरों के हित और आदिवासियों के हित की भी उसमें चर्चा कर सकें। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा में - सर, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा iron ore mines पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पर 94.7 per cent of people are living below 5,000 rupees per month. Korba, 91.3 per cent; Rajasthan, Bhilwara, 82.5 per cent. मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह Socio-Economic Survey Caste Census, Government of India का है और मैं उसी के आधार पर आपसे ये बातें कह रहा हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, उनमें पूंजीपतियों के पक्ष में पूरे तरीके से यह सरकार लगी हुई है। आप लोगों ने जो Captive mines हैं, उनमें भी सेल करने का 50 परसेंट तक का जो अधिकार दिया है, वह इसका एक और लक्षण है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। आप लगातार अमेंडमेंट ला रहे हैं, मैं उसका उल्लेख कर ही चुका हूं, किंतु मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो मौजूदा कानून लाए हैं, उसमें यह कह रहे हैं कि इसमें राज्यों का अधिकार नहीं छिन रहा है। मैं आपका ध्यान Section 10, Section 11 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने राज्यों को District Mineral Foundation में आवंटन का अधिकार दिया है, लेकिन आपने उसमें यह अमेंडमेंट कर दिया है कि "Central Government will give the direction." आप एक क्लॉज़ बता दीजिए - मैं आपको बता रहा हूं कि Clause 10, Clause 11, ये दोनों क्लॉज़ेज़ हैं, जिनमें आप राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं।

महोदय, District Mineral Foundation में भी डायरेक्शन कहाँ से आएगा? यह केंद्र सरकार से आएगा। सर, यह कंपोजिशन में भी है। कंपोजिशन में - ठीक है, हमारा पक्ष यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, किंतु आप उनको उसमें डालते क्यों नहीं हैं? आप कंपोजिशन में किसको डालेंगे? आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, जिनके हित उसमें समाहित हैं, उनको ही इसमें रखेंगे. सर, मैं क्लॉज़ 10 पढ़ रहा हूं, "Provided that the Central Government may give directions regarding composition and utilization of funds." क्या आप यह राज्यों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं? माननीय मंत्री जी, आप हम लोगों को इतना गुमराह मत किया कीजिए। ऐसे और भी कई विषय हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं। नरेन्द्र मोदी जी का शुरू से ही यह concept है - 'One Nation, One Leader, One Party' बाकी सब जाएं।..(**व्यवधान**)..उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कहा है, अगर आप उसमें पूरे तरीके से देखेंगे, तो पाएंगे कि District Mineral Foundation का उपयोग किसके लिए हुआ है?

यह बेनिफिशरीज़ के लिए नहीं है, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है, जहां कलेक्टर साहब के लिए और वहां के अधिकारियों के लिए कमीशनबाजी हो जाती है। यह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पूरी तरह से अधिकारियों के कब्जे में है, जहां कमीशन के आधार पर बंटवारा होता है।

उपसभापति जी, आप झारखंड से आते हैं, वहां के जो लैंड आउस्टीस हैं, आपने उनकी पीड़ा देखी है, गरीबी देखी है। क्या उनका अधिकार नहीं बनता है ? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन

का हज़ारों-करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसका इतना बड़ा फंड है, आपकी उस पर आंख लगी हुई है, केन्द्र सरकार की उस पर नीयत लगी हुई है। इस वजह से आप यह संशोधन बिल लेकर आए हैं। आप अपने जवाब में यह बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंतर्गत कितने निजी हितग्राहियों को आपने फायदा पहुंचाया है? मेरे हिसाब से मुश्किल से पांच प्रतिशत भी नहीं होंगे, जबकि इसकी प्राथमिकता आपको उन लोगों को देनी चाहिए थी, जो वहां के गरीब लोग हैं। मैं कोबरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, जिनमें से कइयों को तीन-तीन बार उठाकर विस्थापित किया गया, जो बेचारे गरीबी की हालत में जी रहे थे, उन पर भी ध्यान देना चाहिए था। यूपीए सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। आपने कहा कि 'NMET' का उपयोग कहां से होगा, आप डिस्ट्रक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए पैसा भी 'NMET' से लेंगे। वह क्यों लेंगे ? पहले सारा खनन प्राइवेट पार्टीज करती थीं। वहां पर भी आप हितग्राहियों का पैसा छीन रहे हैं, गरीबों का पैसा छीन रहे हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पर हक बनता है। क्लॉज़ 13 में आपने विस्तार से अपनी बात कही है। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आप सनसेट क्लॉज़ लाए हैं। आपने स्वयं कहा कि 572 ऐसे प्रकरण आएंगे। लेकिन मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि सारे के सारे प्रकरण अदालत में जाएंगे। पहले भी जो आप कानून लाए थे, उसे लेकर 200 से ज्यादा प्रकरण अदालत में लम्बित हैं और वहां माइनिंग नहीं हो पा रही है। कोल ब्लॉक्स के मामले में भी केन्द्र सरकार का जो रवैया था, जहां माइनिंग हो रही थी, उनकी लीज़ आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कैंसिल कर दी। आज जितने भी एनपीए नज़र आ रहे हैं, उन लोगों को माइनिंग लाइसेंस मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपने उनका लाइसेंस कैंसिल करवाकर सभी लोगों का एनपीए करा दिया। इसलिए यह केवल 572 लोगों के लाइसेंस की बात नहीं है, एक-एक लाइसेंसी के पास लगभग 100-200 लोग काम करते हैं। इस प्रकार से हज़ारों लोग वहां बेरोज़गार हो जाएंगे, अगर आपने बिल पास होने के बाद उनकी लीज़ कैंसिल कर दी, तो वे सिर्फ न बेरोज़गार होंगे, बल्कि बहुत से मामले अदालत में जाएंगे। अगर वे अदालत में जाएंगे तो आपका ऑक्शन धरा का धरा रह जाएगा। आपने कहा कि इन्होंने दो साल में क्यों नहीं कराया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतना ही पता लगा लें कि किसने नहीं होने दिया। क्या राज्य सरकार ने उनकी मदद की, क्या केन्द्र सरकार ने उनकी मदद की? आपने खुले ढंग से कह दिया कि हमने सारे अधिकार राज्यों को दे दिए है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से अधिकार राज्यों को दिए हैं ? क्या एन्वायर्वमेंट क्लियरेंस का अधिकार राज्यों को दिया है? क्या आपने आरपी के, प्रॉस्पेक्टिव लाइसेंस के अधिकार, माइनिंग लीज़ के अधिकार राज्यों को दे दिए हैं ? आप केवल सदन को ही गुमराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को भी गुमराह कर रहे हैं। आप जब 2015 में यह बिल लाए थे, तो आपने कहा था कि इतने लाखों-करोड़ रुपयों का रेवेन्यू आएगा। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जितने ऑक्शंस किए हैं, पिछले-छः-सात साल में कितना रेवेन्यू आया है? आप 'NMET' की बात कर रहे हैं, ज़रा बता दीजिए किए 'NMET' से कितना पैसा राज्यों से आपके पास आएगा और कितने पैसे का उपयोग पिछले छः साल में आपने एक्सप्लोरेशन के लिए किया है, आप कहते हैं कि हम लोग 10 प्रतिशत एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ठीक है पिछली सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं आपसे

पूछना चाहता हूं कि आपने 'NMET' के अंदर ट्रस्ट बनाया है, उसके अंदर कितना पैसा आया और कितना पने एक्सप्लोर किया, उसकी जानकारी हमें बता दीजिए।

इसके बाद मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने अपने भाषण में अभी कहा है कि हमें नीति आयोग और सभी ने support किया है। मैं आपके सामने दो पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह नीति आयोग का 19 मई, 2020 का पत्र है। जोशी जी, डा. राजीव कुमार, वाइस-चेयरमैन ने आपको पत्र लिखा है where he has opposed the amendment which you are proposing in Section 10A(2)(b) of the MMDR Act. With your permission, I quote: "Therefore, any move to delete the provisions of 10A (2)(b) without deciding 572 pending cases will defeat the very purpose for which these provisions were brought in when the amendment to the MMDR was introduced. Otherwise also, any such a move adversely impacts the investor's confidence on policy predictability and judicious implementation of provisions of the Act in a definite time-frame." This is the view of the NITI Ayog. माननीय मंत्री महोदय, यही नहीं है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Memorandum, dated 28th December, 2020, उसने लिखा है, "There are potential risks of inviting dispute claims under the Bilateral Investment Promotion Protection Agreements (BIPAs). On the one hand, the amendment will unlock the sector, it might also derail the process by inviting litigation." मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ। Finally, "We are likely to lose such cases and incur compensation in litigation costs."

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण)** *पीठासीन हुईं।*]

श्रीमान्, मोदी पुराण पढ़ने की बजाय थोड़ा-बहुत आप अपने विभाग का भी अध्ययन कर लीजिए। आपको आपका विभाग, आपका मंत्रालय, Department of Economic Affairs क्या कह रहा है, नीति आयोग क्या कह रहा है, आप ज़रा उसका भी अवलोकन कर लिया करिए। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपसे विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहता हूँ, आज इस पूरे विषय में आपने कहा है कि 4 लाख हेक्टेयर जमीन unlock हो जाएगी और 25 लाख या 23 लाख करोड़ revenue आ जाएगा। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह सब्ज़बाग दिखाते-दिखाते 6 साल बीत गए, आप यह सब्ज़बाग अब आगे मत दिखाइए। You can fool some people some time or some people all the time, but not all the people all the time. माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, अगर आप देखेंगी, तो ये लोग पूरे federal rights को encroach कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आपने कहा है कि हमने pre-legislative consultation किया है। Pre-legislative consultation का time span कम से कम 30 दिन होना चाहिए, जबकि इस एक्ट के सम्बन्ध में आपका pre-legislative consultation यह था कि 9 फरवरी को आपने इसका notification किया और 24 फरवरी को बंद कर दिया। लगभग 12 हजार लोगों ने उसके अन्दर applications दीं, आपने उनका निराकरण नहीं किया। जो आपको मीठी-मीठी बात का सुझाव

देता रहा, वह आपने incorporate किया, लेकिन जो वास्तविक realities थीं, उनके बारे में आपने कोई उल्लेख नहीं किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You have to wind up now; you have two minutes.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I will just conclude. The point that I am trying to make is that there is a contradiction in the thinking of the Government. I would like to conclude with a very interesting observation which has been made by Prime Minister, Narendra Modi*ji*. मैं आपको नरेन्द्र पुराण से पढ़ कर बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे मोदी पुराण का उल्लेख कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि spectrum ...(**व्यवधान**)... spectrum का auction करने के बारे में सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, ज़रा प्रधान मंत्री जी से भी पूछ लीजिए कि spectrum natural resource है कि नहीं है और यदि यह natural resource है, तो क्या मोदी जी ने उसका भी auction करने पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है? मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ और मंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि ज़िद मत करिए। भूपेन्द्र यादव जी, आजकल आप इस भारतीय जनता पार्टी के अन्दर सर्वेसर्वा हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, भूपेन्द्र यादव जी, आप किसान परिवार से आते हैं, अगर आपने किसानों के बिलों को Select Committee में भेजा होता, तो आज लाखों किसान, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन Ordinance, एक हुकुम, नरेन्द्र मोदी, नरेन्द्र मोदी, नरेन्द्र मोदी, इससे सरकार चल सकती है, लेकिन देश नहीं चल सकता है। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you hon. Member for speaking perfectly within time limit. Now, Shri Ashwani Vaishnaw.

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदया, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि असत्य की बुनियाद पर सारी चीज़ें सही नहीं होतीं। इन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया था, उसमें मेरा नाम लेकर कहा था कि माइन्स एंड मिनरल्स बिल सेलेक्ट कमिटी को नहीं गया। यह 18 मार्च, 2015 की रिपोर्ट है, मैं ही उस कमिटी का चेयरमैन था, DMF से लेकर सारे प्रोविज़न्स आए थे, तो इनके जो भी विषय इस असत्य पर आधारित हैं, उन्हें कार्रवाई में से निकाला जाए।

दूसरा विषय यह है कि सदन में कोई भी सदस्य बोलते समय किसी भी माननीय सदस्य के संबंध में व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकता है। मेरे खिलाफ जो टीका -टिप्पणी की गई है, वह व्यक्तिगत है, उसको भी सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): It will be checked. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: महोदया, जो कुछ भी मैंने कहा है, वह तथ्यों के आधार पर कहा है और मैं उस पर आज भी कायम हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, it will be checked and accordingly, steps will be taken. Now, Shri Ashwini Vaishnaw.

SHRI ASHWINI VAISHNAW (Odisha): Madam Chairperson, at the outset, I would like to disclose that I have interest in a steel sector company which uses the raw materials from various mines like iron ore, limestone, dolomite and many such minerals.

महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज सदन के सामने है। हमारी सरकार इम्प्लॉयमेन्ट पर सबसे ज्यादा फोकस रखकर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है। अगर इम्प्लॉयमेन्ट को देखें, तो इम्प्लॉयमेन्ट जेनरेशन के लिए तीन सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, कन्सट्रक्शन, मेन्युफेक्चरिंग और माइनिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि पुराने प्रोजेक्ट्स चालू हो सकें। मेन्युफेक्चरिंग के लिए पीएलआई और बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं। माइनिंग में किस तरह से इम्प्लॉयमेन्ट बढ़े, उसके लिए ये रिफॉर्म्स लाये गये हैं। ये रिफॉर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा - माइनिंग सैक्टर में 1 करोड़ 10 लाख लोग इम्प्लॉयड हैं। देश की जीडीपी का करीब-करीब 1.3 परसेन्ट माइनिंग सैक्टर से आता है। 2 लाख 70 हज़ार करोड़ का जीडीपी माइनिंग सेक्टर से आता है। आज हमारे सामने यह चुनौती है कि किस तरह से इस रोजगार को, इस प्रोडक्शन को डबल कर सकें। अगर प्रोडक्शन और रोजगार को डबल करना है तो इसके लिए हमें तीन महत्वपूर्ण काम करने पड़ेंगे। पहला यह है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में क्या-क्या बाधाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा।

दूसरा यह है कि नये प्रोजेक्ट्स किस तरह से आगे आ सकें, चालू हो सकें, नये प्रोजेक्ट्स में कैसे और ज्यादा इन्वेस्टमेन्ट आए, लोगों को रोजगार मिले, प्रोडक्शन बढ़े।

तीसरा यह है कि भविष्य के लिए इंटर-जनरेशनल इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, एनवॉयर्नमेन्टल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, किस तरह से एक सस्टेनेबल रोड मैप बने। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह मिनरल रिफॉर्म्स बिल बनाया गया है। बिल के बारे में मेरे वरिष्ठ सांसद महोदय बोल रहे थे कि कोई कन्सल्टेशन नहीं हुआ, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एक्सटेन्सिव कन्सल्टेशन हुआ है। करीब-करीब एक साल से ऊपर कन्सल्टेशन हुआ है। करीब 15 राज्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी ओपिनियन्स दी हैं। सारे के सारे मुद्दों को एकदम ट्रान्सपेरेन्ट वे में वेबसाइट पर रखा गया था, सभी राज्यों के साथ डिस्कस किया गया और चार हज़ार से अधिक ओपिनियन्स को कंसिडर करके यह बिल बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि

कन्सल्टेशन नहीं हुआ, वेरी एक्सटेंसिव कन्सल्टेशन के बाद आज यह बिल सदन के सामने है। यह बहुत थॉटफुल बिल है। एक-एक प्वाइंट पर गहराई से सोच-विचार करके बनाया गया है। मैं बहुत विस्तार से किसी भी सदस्य के साथ इस पर चर्चा कर सकता हूं। कहीं पर किसी भी तरीके से इसमें राज्यों के अधिकार को लेने की बात नहीं है।

इसमें जो 13 रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में एक-एक करके विषय रखूंगा। सबसे पहला रिफॉर्म, जैसा मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग माइन्स में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करना जरूरी है। सबसे पहला रिफॉर्म है - defining 'mine' as a legal entity. इसकी जरुरत क्यों पड़ी? 1957 से यह एक्ट चल रहा था, लेकिन माइन की डेफिनिशन केवल एक फिजिकल एन्टिटी की तरह थी, लीगल एन्टिटी की तरह नहीं थी। लीगल एन्टिटी क्या थी? लीज़ थी। लीज़ क्या है? लीज़ एक टेम्पोरेरी चीज़ है। जिस दिन लीज़ खत्म होती है, उस दिन सारी की सारी जो परमिशन्स होती थीं, चाहे ईसी की हो, एफसी की हो, एक्सप्लोसिव्ज़ की हो, लेबर लाइसेंस की हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो या वाटर कनेक्शन हो। कुल मिलाकर 23 परमिट और लाइसेंसेज़ होते हैं। वे सारे के सारे खत्म हो जाते थे, जिस दिन लीज़ खत्म हो जाती थी।

यह बड़ा अद्भुत स्ट्रक्चर था। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया में देखिए, सब जगह जैसे ही कोई lease खत्म होती है, नया lessee आता है, तो केवल notification दे देने मात्र से सारी की सारी permissions transfer हो जाती हैं। तो इस बिल में यह एक major reform लाया गया है, जिसमें माइनिंग को एक legal entity की तरह define किया गया है। माइन की definition इस तरह से की गयी कि जिस दिन से मिनरल आना चालू हुआ, उससे जब तक मिनरल लाना economically feasible है, जब तक mineral production होना, उस पूरे पीरियड को माइन की लाइफ कहा गया है। उस पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, हर बार auction process से उसके नये lessees हो सकते हैं। लेकिन एक lessee से दूसरे lessee के बीच में कोई disruption न हो। क्योंकि अगर disruption होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को होता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान उनको होता है, जो लोग उस mine पर dependent हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे truck drivers, electricians, fitters आदि। अभी वरिष्ठ सांसद कह रहे थे कि जो आदिवासी भाई उस माइन पर, उस खनिज पर dependant हैं, सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है, इसलिए disruption बिल्कुल भी ठीक नहीं होना चाहिए। तो इस बिल में यह प्रावधान लाया गया है, जिससे कि एक lessee से दूसरे lessee तक एक seamless transfer हो सके। यह सबसे पहला बड़ा रिफॉर्म है। मैडम चेयरपरसन, इसकी importance इसलिए है कि अगले 10 सालों में 904 mines expire होने वाली हैं। अगर 904 mines में disruption होता है, तो सोचिए कि उसका economic परिणाम कितना होता है, उसका human angle कितना खराब होता है, इसलिए जरूरी था कि advance में, properly सोच-विचार करके इस पर एक प्रोविज़न लाया जाए, जिससे कोई disruption नहीं हो। यह तो पहले सुधार की बात हुई।

दूसरा सुधार regarding captive mines है। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, एक unique व्यवस्था हमारे यहाँ थी कि mines को हम captive define करते थे। यानि इस mine से जो production होगा, उसका उपयोग केवल एक xyz plant में ही हो सकता है। लेकिन ऐसा होता

नहीं है। नेचर है, नेचर अपने तरीके से काम करता है। धरती माँ जब हमें खनिज देती है, उसमें कई तरह के grades होते हैं, कई तरह के products होते हैं। मैं Steel Authority का एक example देता हूँ, जो government का एक PSU है। मैंने उन क्षेत्रों में as a Sub-collector काम किया है। मैंने उन क्षेत्रों में काफी extensively काम किया है। SAIL की जो mines हैं, उनमें iron-ore की कई grades आती हैं, manganese भी आता है। SAIL के जो प्लांट्स हैं, जो 1950, 1960 और 1970 में designed हैं, उन प्लांट्स में केवल lump ore - यानी बड़े-बड़े पत्थरों जैसा ore होता है, fine powder जैसा नहीं - उनमें केवल lump ore use कर सकते हैं। तो power जैसे ore का आप क्या करेंगे? अगर आप सुंदरगढ़ के कई एरियाज़ में, पास में झारखंड के कई एरियाज़ में और छत्तीसगढ़ के कई एरियाज़ में जाएँगे तो पायेंगे कि वहाँ fines के बड़े-बड़े पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं। जब बारिश आती है, तब क्या होता है - fines के उन पहाड़ों से fines नीचे बह कर आता है, नदी में जाता है और गाँव के लोगों को परेशानी होती है। मैंने स्वयं कई बार यह समस्या देखी है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो fines SAIL के लिए उपयोग में नहीं आयें, वे fines अगर किसी और के उपयोग में आयें, तो उसको दे दिये जाएँ? बहुत सीधी सी बात है। Iron के साथ हमेशा manganese आता है, manganese का steel में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जिसके लिए manganese का उपयोग है, उसको दे दिया जाए। आज हम manganese import करते हैं। दुनिया में South Africa से, Zimbabwe से हम लोग manganese import करते हैं। उसके बजाय हम भारत में ही पैदा हुआ manganese क्यों न उपयोग में लें? कितनी अजीब सी विसंगति थी। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विसंगति को पहचाना, इसका अध्ययन किया, हर राज्य को इसके लिए consult किया और सभी राज्यों ने इसका सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के बाद आज ये एक प्रावधान लाये हैं, जिसमें captive mines को allow किया गया है कि वे अपने excess minerals को sale कर सकें।

मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण और देना चाहूँगा। आज भारत में हम करीब 248 मिलियन टन कोयला इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 1 लाख, 58 हज़ार करोड़ है। यह उस देश में, जिस देश में 3 लाख, 26 हज़ार मिलियन टन के coal reserves हैं। ऐसा क्यों - captive वाली व्यवस्था के कारण। आज यह captive वाली व्यवस्था हटेगी, तो हमारा estimate है कि 248 मिलियन टन में से कम से कम 100 मिलियन टन ऐसा कोल होगा, जो कि imports का substitute बनेगा, देश में ही पैदा हुआ कोल देश में ही काम में आयेगा।

3.00 P.M.

Madam, the third reform is with regard to re-defining mining operations. Mining operation की जो definition 1957 से चली आ रही थी, उस definition का बहुत लोग misuse कर रहे थे। उस definition में इस तरह था कि अगर आप एक छोटा-सा गड्ढा भी खोदते हैं, एक छोटी-सी रोड भी बना लेते हैं, तो उसको mining operation मान लिया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर माइनिंग लीज़ मिली, तो कानून में प्रावधान है कि दो साल के अंदर-

अंदर प्रोडक्शन चालू करना है। अब प्रोडक्शन क्यों चालू करना है? जब प्रोडक्शन होगा, तब इससे रेवन्यू जेनरेट होगा, employment होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, इसलिए प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा था। इसका मिसयूज़ हर कोई कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर में 2,904 माइनिंग लीज़ेज़ हैं, उनमें से 1,999 non-working mines हैं और पब्लिक सेक्टर में 267 माइनिंग लीज़ेज़ हैं, उनमें से 150 non-working हैं। अगर ये non-working mines प्रोडक्शन में आएं, तो बेनिफिट किसको होगा? इससे सबसे पहले रोज़गार बढ़ेगा, रेवेन्यू जेनरेट होगा और रेवेन्यू किसको जाएगा? रेवेन्यू स्टेट्स को जाएगा। ओडिशा, झारखंड के मेरे मित्र बैठे हैं, रेवेन्यू सबसे पहले स्टेट्स को जाएगा। इसमें यह व्यवस्था है, जिसमें mining operation की definition को चेंज करके क्लीयर कहा गया है कि आपको दो साल के अंदर-अंदर प्रोडक्शन करना है। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कीजिएगा, तो आपकी यह माइन terminate होगी। इस तरह का कानून में प्रावधान लाया गया है और एकदम क्लीयर तरीके से समझाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि यह इतनी बारीक चीज़ थी, जिसका इतना मिसयूज़ होता था, उस मिसयूज़ को वे इसके माध्यम से रोक रहे हैं। इस मिसयूज़ को रोकने के कारण, अगर अंदाज़ लगाएँ, तो देश में कम से कम 2,050 के आस-पास माइन्स, जो non-working थीं, उनके वर्किंग में आने की संभावना है।

महोदया, चौथा रिफॉर्म transfer से related है। आज किसी के भी पास कोई असेट हो, मान लीजिए कि मेरे पास कोई घर है, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस घर को या तो किराए पर दूँगा या फिर उसको बेच कर, जहाँ पर मुझे शिफ्ट होना है, वहाँ पर शिफ्ट करूँगा। एक अजीब सा प्रावधान था, जिसके तहत आप माइनिंग लीज़ को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति हो या कोई आर्थिक असुविधा हो, जिसके कारण कोई प्रोडक्शन में नहीं ला सके, तो उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए, जैसा सभी असेट्स में होता है। घर हो, गाड़ी हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, हर असेट के लिए यह परमिशन रहती है कि अगर कोई असेट मेरे काम नहीं आए, तो यह जिसके काम आए, उसको दे दूँ। इसमें यह एक बाधा थी, जिसको इस रिफॉर्म के माध्यम से दूर किया गया।

महोदया, पाँचवाँ रिफॉर्म Government sector के पीएसयूज़ से रिलेटेड है। जब गवर्नमेंट सेक्टर के पीएसयूज़ का mining period खत्म हो जाता है, तो उसको extension देने का प्रावधान है। लेकिन कई राज्यों में एक्सटेंशन देने में यह समस्या आ रही थी कि एक्सटेंशन क्यों दिया जाए? कुछ राज्य कहते थे कि पीएसयूज़ को एक्सटेंशन नहीं देकर वहाँ पर भी auction कर दिया जाए। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया कि Public Sector Units के लिए विशेष प्रावधान एवं विशेष सहायता देने की जरूरत है, क्योंकि उनका एक स्पेशल रोल है। specially mining sector में उनका बहुत important role है, एक stabilizing role है, इसलिए इस रिफॉर्म बिल में क्लीयर प्रावधान लाया गया कि पीएसयूज़ को उनकी माइनिंग लाइफ खत्म होने पर एक्सटेंशन दिया जाएगा। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई dispute नहीं हो, किसी का discretion नहीं रहे, इसके लिए इस बिल में एक अलग शेड्यूल लाया गया है, जिसमें इससे

संबंधित प्रावधान रहेंगे, किन conditions में ट्रांसफर होंगे - ये सब लॉ के अंदर ही define कर दिया गया है, ताकि किसी का कोई discretion नहीं रहे।

महोदया, छठा रिफॉर्म यह है कि इस माइनिंग एक्ट में एक टर्म है, without lawful authority - माइनिंग लॉ में यह term अति vague construct था कि अगर किसी माइन के अंदर -- अगर आप traffic violation करते हैं, Air Act का violation करते हैं, Water Act का violation करते हैं, किसी भी कानून का violation होता है, तो पूरे के पूरे प्रोडक्शन को illegal ठहराया जा सकता है। ऐसा प्रोडक्शन, जिसके लिए mining lease holder ने transit permit लिया हो, सारे परमिशन्स लिए हों, रॉयल्टी दी हो, way bill दिया हो, complete GST दी हो, ऐसे प्रोडक्शन को भी illegal करार दिया जा सकता है। मैं नाम नहीं लूँगा, अभी एक राज्य ने किसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट पर दस हज़ार करोड़ रुपए की पैनल्टी लगा दी है। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस vagueness के कारण, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, लेकिन देश में एक जो बहुत अच्छी माइनिंग कंपनी थी, उन्होंने अपना माइनिंग का बिज़नेस इसलिए खत्म कर दिया कि भरोसा नहीं कि कल माइन के अंदर जाएँ और हॉर्न गलत बजा दें, तो हमारी सारी की सारी माइनिंग illegal declare हो जाए, without lawful authority declare कर दिया गया, तो लेने के देने पड़ जाएँगे। मैडम, यह एक ऐसी समस्या थी, जिसका समाधान किया गया है और lawful और without lawful authority को clearly define किया गया है। यह छठा रिफॉर्म है।

मैडम, सातवां रिफॉर्म है - हम सब जानते हैं कि 2015 से पहले माइंस कैसे एलोकेट होती थीं - 'पहले आओ, पहले पाओ' और 'पहले आओ, पहले पाओ' के पीछे क्या होता था, वह हम सबको पता है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने उस पूरे सिस्टम को चेंज किया और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आए। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जिसमें सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 2015 से पहले prior approval सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था। अभी सांसद महोदय मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि क्या PL का अधिकार स्टेट को दिया गया है? जी हाँ, PL का अधिकार भी स्टेट को ही दिया गया है। अभी वे प्रेज़ेंट नहीं हैं, मैं उनकी absence में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 2015 में स्टेट को सारी की सारी पावर दी गई।

मैडम, जब auction का प्रोसेस चालू हुआ, जैसे कि जब किसी भी जगह पर किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, तब शुरू-शुरू में irrational bidding होती है, लोगों को लगता है कि जैसे भी हो, मैं किसी भी तरह से maximum से maximum bid करके यह माइन ले लूँ। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की एक फीलिंग होती है और ऐसा हुआ भी। इसमें फिर वही human angle का point है कि अगर कोई mine successfully auction नहीं हो पाई, उसका प्रोडक्शन किसी कारण से रोकना पड़ा, वह auction फेल हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? इसमें बहुत सोच-विचार करके एक non-discretionary, totally transparent and rational decision लिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को स्टेट की recommendation पर, स्वयं नहीं, स्टेट की recommendation पर, वह माइन किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को दस साल के लिए दे दी जाए, जिससे कि वह उसे चलाए, प्रोडक्शन को stabilize करे, लोगों का रोज़गार खत्म न हो और कहीं कोई discontinuity नहीं हो। मैडम, माइंस पर बहुत लोग dependent होते हैं, उनका एक पूरा ecosystem होता है - trucking, operators, electricians, mechanics,

fitters, etc. जिस federal structure की बात अभी माननीय सदस्य कर रह थे, यह उसका एक उदाहरण भी है। । वे मुझसे वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे मित्र हैं। Federal structure का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ओडिशा के माननीय सदस्य बता सकेंगे, ओडिशा सरकार ने ऐसी दो failed auctioned mines का recommendation दिया और 20 दिन के अंदर-अंदर, तीन सप्ताह भी नहीं, माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री का आदेश लेकर उन्हें State PSU, Odisha Mining Corporation को allocate कर दिया। इसके लिए स्टेट को भी धन्यवाद कि वह भी उसमें बहुत जल्दी प्रोडक्शन लाए। यह होता है Cooperative Federalism! इसी Cooperative Federalism के कारण आज सेक्टर्स बचे हुए हैं। ऐसी बात कौन करता है? आप किस तरह से कह सकते हैं कि federalism नहीं है, आप किस तरह से कह सकते हैं कि राज्यों के सारे अधिकार लिए जा रहे हैं? आप एक्ट को ढंग से पढ़िए, इसे समझिए, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसके द्वारा we are taking away the powers of the States. There is absolutely no such thing. There is not even a thought like that. माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया, it is actually a pain for the Centre to do an auction. It is not easy. Auction is not an easy process. It is a very complex process. Who would like to take that pain? It is not like that. If you read it very carefully, you will find that there is no such provision which takes away the States' powers.

मैडम, आठवां रिफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है seamless transition from exploration to production. दुनिया भर में इस तरह से होता है कि अगर किसी को भी पहले exploration का licence दिया जाता है और वहाँ mineral मिलता है, तो seamless transition होता है कि आप exploration से production में जाइए। इस एक्ट में यह एक असुविधा थी कि exploration के बाद application का सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। अब इसे सारा चेंज करके seamless कर दिया गया है।

मैडम, नवां रिफॉर्म लीगेसी केसेज़ के बारे में है, जिसके बारे में माननीय सदस्य अभी बहुत डिटेल में बोल रहे थे और नीति आयोग के पत्र की चर्चा भी कर रहे थे। मैडम, 2015 में जब यह डिसाइड हुआ कि हमें 'पहले आओ, पहले पाओ' वाली व्यवस्था से दूर होकर ट्रांसपेरेंट auction में जाना है, तब इसके लिए तीन निर्णय लिए गए थे। पहला, ऐसी जितनी भी applications हैं, जिसमें अभी किसी को कोई राइट नहीं दिया गया है, उन सबको 11th January, 2015 की midnight को extinguish किया गया। दूसरी कैटेगरी, ऐसी एप्लिकेशंस की है, जो थोड़ी-थोड़ी आगे प्रोसेस हो चुकी हैं। माननीय सदस्य अभी असत्य तथ्य दे रहे थे कि इन 572 केसेज़ में हरेक माइन के साथ 400-400, 200-200, 300-300 लोग जुड़े हुए हैं।

ऐसा नहीं है। इनमें से किसी एक की भी mining lease execute नहीं हुई है। जब mining lease ही execute नहीं हुई, तो वहाँ production कहाँ से होगा और वहाँ 200-300 लोग कैसे जुड़े होंगे? शायद उनको इस तथ्य की जानकारी नहीं होगी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... ऐसा नहीं है। जो RP से PL की तरफ गए हुए थे -- अच्छा, कानून में बहुत क्लियर प्रोविज़न है कि RP या PL की लाइफ मैक्सिमम 5 साल हो सकती है। अभी माननीय मंत्री जी जैसा बता रहे थे, लोग 1980 से ऐप्लिकेशंस देकर या RP लेकर अथवा PL लेकर बैठे हुए हैं।

जब इस तरह से कोई precious natural resources पर बैठा रहेगा, तो फिर रोज़गार कैसे generate होगा, लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? क्या यह उचित नहीं है कि हम इस तरह के legacy cases को, disputes को समाप्त कर आगे बढ़ें और फिर हमने सभी के लिए जो transparent व्यवस्था सोची है, वही transparent व्यवस्था उनके लिए भी लागू की जाए? नीति आयोग को शुरू में doubt था, लेकिन एक बार समझाने के बाद वे भी समझ गये। जब सारे तथ्य उनके सामने रखे गए, तब वे भी समझ गए। 14-15 स्टेट्स ने इसको सपोर्ट किया है और ओडिशा ने तो पहले अपनी तरफ से लिखा था कि आप इन दोनों सेक्शंस को पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस anachronistic हैं। जब हमने एक तरफ auction की व्यवस्था लागू कर ली है, तो फिर 'पहले आओ, पहले पाओ' वाली व्यवस्था क्यों रखनी है? उन्होंने साल भर पहले अपनी तरफ से खुद यह लिखकर दिया था। यह बहुत जरूरी reform था और इस पर legal reforms इसलिए जरूरी थे, क्योंकि यह पक्की बात है कि इसमें कुछ लोग कोर्ट जाएँगे। जब वे कोर्ट जाएँगे, तो कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन हमारी तरफ से कानून में उसकी पूरी व्यवस्था होनी जरूरी थी।

मैडम, 10वाँ reform है- regarding auction process. जैसा, माननीय मंत्री जी ने बताया, 142 माइंस के ब्लॉक्स बनाकर राज्यों को दिए गए, जिनमें से मात्र 7 माइंस के auctions हुए। मार्च, 2020 में जो 334 माइंस एक्सपायर हुईं, उनमें से मात्र 28 माइन्स का, केवल दो राज्यों- ओडिशा और कर्णाटक में auction हो पाया। बहुत सारे राज्यों ने informally कहा है कि हमारे यहाँ auction करने की capability नहीं है। It is a very complex process. आप यह capability एक जगह पर develop कीजिए, आप auction कीजिए और auction करके lease हमें दे दीजिए, हम execute करेंगे, हम revenue लेंगे, हम revenue share लेंगे, हम royalty लेंगे, लेकिन जो auction का pain है, वह auction का pain आप हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा informally कई स्टेट्स ने बोला है। उसके बाद भी यह pain हम सेंटर में नहीं लेना चाहते थे, यह माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, लेकिन फिर भी यह लिया गया, लेकिन इसकी legal drafting में विशेष ध्यान रखा गया। ओडिशा से बहुत क्लियर प्रस्ताव आया था कि 'consultation' word को कानून में ही रखिए, उसको आप रूल्स में मत छोड़िए, उसे किसी की intent पर मत छोड़िए, उसको आप कानून में ही clearly define कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी एवं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसकी पूरी legal drafting चेंज की और 'consultation' word को वे कानून में ही लाए, Bill में ही लाए, ताकि कल को उस पर कोई dispute न कर सके और उसमें कोई बदलाव न कर सके। हमारी सोच ऐसी है कि किस तरह से राज्य और केन्द्र साथ चलें, किस तरह से दोनों का विकास हो। अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, तो क्या वह सेंटर में होता है? सेंटर क्या है? सेंटर तो एक concept है। जब एक स्कूल बनता है, तो वह कहाँ बनता है? स्कूल किसी न किसी गाँव में बनता है। गाँव कहाँ होता है? गाँव पंचायत में होता है। पंचायत कहाँ होती है? पंचायत डिस्ट्रिक्ट में होती है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट राज्य में होता है। इस तरह, जो कुछ भी होता है, वह ultimately राज्य में ही होता है। जो भी डेवलपमेंट होता है, वह ultimately राज्य में ही होता है। इसलिए इसमें यह सोच नहीं है कि centralize किया जाए। इसमें राज्यों के अधिकार लेने की कोई भी मानसिकता नहीं है, यह स्पष्ट जान लीजिए। मैडम, auction

के प्रोसेस में बदलाव, जिसमें Centre after consultation with the States, उसको auction कर सके, उसको 11 स्टेट्स ने सपोर्ट किया है और केवल एक स्टेट ने अपोज़ किया है। ऐसा नहीं है कि consultation नहीं हुआ है।

मैडम, 11वाँ reform है- Power to direct for proper use of DMF. DMF के फंड्स छोटे फंड्स नहीं हैं। ओडिशा जैसे राज्य में 11,984 करोड़ DMF funds हैं, छत्तीसगढ़ में 6,329 करोड़ के फंड्स हैं, झारखंड में 6,533 करोड़ के फंड्स हैं। Total Rs.45,000 and odd crore के DMF funds हैं। अभी माननीय सांसद यह कह रहे थे कि जिन जिलों में ज्यादा मिनरल्स हैं, उन्हीं जिलों में ज्यादा गरीबी है। 1947 से यही परिस्थिति थी। 2015 में कोई नेता आते हैं और इसको बदलते हैं, DMF लाते हैं।

डीएमएफ किसके लिए है? DMF लोकल एरिया के लिए है, उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हर mine owner डीएमएफ (District Mineral Foundation) को अपना पैसा contribute करता है, उस contribution से आज 45 हज़ार करोड़ रुपये की पूंजी generate हुई है। उस 45 हज़ार करोड़ रुपये के फंड से कितने स्कूल्स बन गए हैं, बन भी रहे हैं, कितने रास्ते बन रहे और कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वे hospitals, रास्ते और वे स्कूल्स किसके काम आ रहे हैं? वे उन्हीं आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए काम आ रहे हैं। क्या वह सेंटर लेकर जा रहा है? यहां एक बात बहुत ज़रूरी है - एक तो public representatives का, जैसा कि मान्यवर दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि केवल ऑफिसर्स ही रह गए हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, अभी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे उसको specify करें, clear करें कि इसमें किस तरह से राज्य सभा सांसद हों, लोक सभा के सांसद हों और किस तरह से MLAs का भी जुड़ाव हो सके, जिससे कि फैसले जनता के हित में लिए जाएं। दूसरा यह कि जहां पर भी भारत सरकार की नज़र में ऐसा कोई विषय आता है, जिसमें DMF funds का misuse हो रहा हो - मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि उसमें भारत सरकार को यह power होनी चाहिए कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों का पैसा कोई भी हड़प कर ले जाए। आज किसी की भी सरकार कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को व्यवस्था पर भरोसा बने। ये दोनों reforms इसमें DMF के बारे में लाए गए हैं, इसमें कहीं कोई राज्यों के अधिकार लेने की बात नहीं है, केवल direction देने का अधिकार है, वह direction specify किया गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।

महोदया, 12वां reform बहुत महत्वपूर्ण और strategic reform है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से चाइना ने एक बार rare earths के कारण पूरी दुनिया को झुका दिया था, जापान को झुका दिया था, यू.एस. को झुका दिया था। भारत में luckily, rare earths का दुनिया भर के resources का करीब 20 से 22 परसेंट reserve resources हैं, लेकिन उनका proper उपयोग नहीं हो पा रहा था, वह क्यों नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे कई कारण हैं। इस बीच करीब 10 साल पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आयी थीं, जिसमें thorium को illegally export करने की घटनाएं सरकार की नज़र में आयी थीं, इसलिए यह reform लाना बहुत ज़रूरी था। जब यह बिल एक्ट बन जाएगा, उसके बाद strategic minerals जो कि rare earths और atomic minerals हैं, उसमें केवल public sector units ही mining कर सकते हैं, उसमें एक threshold के बाद किसी

भी private sector को mining की permission नहीं दी जाएगी। यह देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, 13वां और last reform है- भविष्य में हम किस तरह से projects की ऐसी pipeline तैयार करें, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता रहे, intergenerational equity बनी रहे, जिससे कि एक sustainable development हो, environmental concerns proper रखे जाएं, इसके लिए again - मेरे वरिष्ठ सांसद मित्र को शायद तथ्य पता नहीं थे, उन्होंने कहा कि NMET का पैसा भी DMF से लिया जाएगा। यह क्या बात हुई! आप इतने बड़े सांसद हैं, एक राज्य के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? NMET की एकदम अलग व्यवस्था है, यह भी वर्ष 2015 में माननीय मोदी जी ने की है। NMET क्यों किया गया? National Mineral Exploration Trust भविष्य के बारे में सोचकर बनाया गया है कि आपका कुछ-कुछ पैसा mine owners से एक fund में इकट्ठा होता जाए, जिससे और exploration बढ़े, technology लायी जाए, टेक्नोलॉजी लाकर नए blocks develop किए जाएं, जिससे कि future में projects की pipeline बनी रहे, इसके लिए लाया गया था। कोई DMF से funds लेने की बात नहीं है। सदन के सामने इस तरह से गलत तथ्य रखना उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी ने NMET को देखा, अब तक जो 2,699 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए हैं, उसमें से मात्र 308 करोड़ रुपये का उपयोग हो पाया है, मात्र 142 mines blocks develop हो पाए, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि कानून में इस तरह की व्यवस्था थी कि NMET का उपयोग केवल GSI, MECL, CMPDI, इस तरह के तीन-चार डिपार्टमेंट ही कर सकते हैं। मैं भी सरकारी कर्मचारी रह चुका हूं। हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के हाथ-पांव बंधे होते हैं। आप हाथ बांध लें, पांव बांध लें, उसके बाद कहें कि तैरो। CAG, CVC, कई तरह के रूल्स और कानून इस तरह से होते हैं कि कोई सरकारी अफसर काम कैसे कर पाएगा, काम करना कोई आसान नहीं है। विशेषकर टेक्नोलॉजी, जिसमें पता नहीं होता है कि किसी वस्तु का उपयोग कैसे होगा, क्या कॉस्ट होगी? इसके लिए ज़रूरी था कि इसमें private sector को भी involve किया जाए। आज technology इतनी ... मैडम, मैं थोड़ा-सा अधिक समय लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You have just two minutes left to speak.

श्री अश्वनी वैष्णव: मैं अपनी पार्टी का टाइम लूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You all have divided it amongst yourselves as thirty-minutes....

श्री अश्वनी वैष्णव: वह हम चेंज कर लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): We will adjust. No problem. It can be adjusted in the time of other speakers of your party.

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, ठीक है। हम पांच मिनट अश्वनी जी को दे देते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): I have no problem.

श्री अश्वनी वैष्णव: इसके लिए बहुत जरूरी था। मैडम, आज हम देखते हैं कि शरीर में बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई कट लगाए diagnostics की ऐसी-ऐसी technologies हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि पेट में पथरी कहां पर है, शरीर में कोई रोग है, तो वह कहां पर है? इस तरह remote diagnostics की जो technologies हैं- X-Rays, MRI, इन सब diagnostics के equivalent geo-sciences में बहुत सारी technologies develop हुई हैं। Unfortunately, Government organizations because of their limitations, they are not able to use many of those. उसको justify करना मुश्किल होता है, उसके estimates बनाना, किसी तरह से उसकी बिलिंग होगी, यह सब बहुत मुश्किल होता है। Private sector के पास flexibility होती है।

महोदया, मंत्री जी ने बहुत सोच-विचार करके, एक सुविचारित तरीके से NMET को autonomous body बनाने का निर्णय लिया है और उसमें किस तरह से private sector और विशेषकर technology-intensive exploration को develop किया जाए, उन्होंने इसमें उसकी व्यवस्था की गई है।

ये 13 reforms आज हमारे सामने हैं। मैडम चेयरपर्सन, भारत में किस मिनरल का potential नहीं है, हर मिनरल का है। Iron ore 22 हज़ार मिलियन टन, जो कि अगले 100-150 साल तक हमारे लिए sufficient है। कोल 3 लाख, 26 हज़ार मिलियन टन है। वह 200 साल, 300 साल, 400 साल तक भी खत्म नहीं होगा। क्रोम 340 मिलियन टन है, गोल्ड 505 मिलियन टन, यानी 50 करोड़ टन, तोला नहीं टन, इतना गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स सब हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें बदलाव करना बहुत जरूरी थी, जिससे कि ये सारे resources unlock हो सकें और unlock होकर, इसका जो human angle है, उससे employment generate हो सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोज़गार मिले, यह व्यवस्था इस रिफॉर्म में लाई गई है।

Madam, Chairperson, मैं last point ओडिशा के संबंध में बोलूंगा। भगवान जगन्नाथ ने ओडिशा को बहुत आशीर्वाद दिया है। वहां हर तरह के resources हैं, सबसे बड़े human resources हैं। साढ़े चार करोड़ मेरे उड़िया भाई-बहन, जो कि अति मेहनती, अति talented हैं, आज उनके talent को natural resources के साथ जोड़ा जाए। हमारी कोस्ट लाइन 480 किलोमीटर है, rivers हैं, sufficient land है, talented लोग हैं, hardworking लोग हैं, अगर उन्हें जोड़ा जाए, तो ओडिशा बड़े आराम से एक करोड़ employment generate कर सकता है। मैं वही vision आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरे सांसद मित्रों के जरिए निवेदन करूंगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को request करें कि कानून में इस तरह की व्यवस्था लाएं। अगर हम iron ore और coal को यूज़ करेंगे, तो हम 100 मिलियन टन स्टील बना सकते हैं, पांच लाख करोड़ रुपये

का investment ला सकते हैं। अगर bauxite और coal यूज़ करते हैं, तो विश्व में 50 मिलियन टन टोटल एल्युमिनियम बनता है, तो हम 10 मिलियन टन ओडिशा में कर सकते हैं। It is a huge achievement. It can be a very big achievement. हम 50 हज़ार करोड़ रुपये का investment ला सकते हैं। अगर हम beach sand यूज़ करें, तो 10 मिलियन टन के rare earths ले सकते हैं। कोल यूज़ करके देश भर के power का requirement अकेले ओडिशा से और पड़ोस के राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं। हम 10 लाख करोड़ रुपये की investment ओडिशा में ला सकते हैं।

महोदया, प्रधान मंत्री जी का vision है। पूर्वोदय होगा, तो राष्ट्रोदय होगा। इसलिए पूर्वोदय के लिए हमें हमारे human resources और natural resources को जोड़ना पड़ेगा। यह बिल इसी जोड़ने की कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी टीम को rock solid support दिया। यहां पर टीम बैठी हुई है। कितनी दिक्कतें आईं, कितनी प्रॉब्लम्स आईं, किस तरह की lobbies ने काम किया, इसके बारे में मुझे पता है। कैसे ups and downs हुए? इस बिल को इस परिस्थिति में लाने में डेढ़ साल लगा है।

महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने rock solid support दिया है। वे फौलाद की तरह, चट्टान की तरह सबके साथ जुड़े रहे। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उनका एकदम clear vision है, जो रोज़गार पैदा करता है, वह policy हमें लानी है, चाहे कोई भी विरोध करे। जहां रोज़गार पैदा होता है, वह economic policy हमारे लिए सबसे पहली पॉलिसी है। यह बिल इसी vision की एक उपलब्धि है। मैं सभी सांसद बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इसे unanimously pass करें। यह देश के लिए बहुत अच्छा है। विशेषकर सदन के उस हिस्से में बैठे मेरे मित्र और इस हिस्से में बैठे मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): I request Dr. M. Thambidurai to make his intervention. You have six minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): I will finish even two minutes earlier. Madam, I thank you very much for giving me the opportunity to express certain views about this Bill. The hon. Minister just now moved the Bill and spoke about the importance of the Bill. Anyhow, the Minister is here...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please be silent. Let the hon. Member speak.

DR. M. THAMBIDURAI: I am not questioning the intention of the hon. Minister when he proposed the Bill. There is one point which most of the hon. Members referred to. They spoke about the auction system of the minerals or natural resources of the

country. The objective of the Bill, as he said, by way of amending certain things, is that they can generate more employment opportunities. That is the objective that they have said. And revenue can also be generated and given to the States also; that is another objective.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Kindly observe silence on that side. Let the hon. Member speak.

DR. M. THAMBIDURAI: There is one thing that I want to say about the hon. Minister and the Treasury Benches. They said that they are going to face a lot of problems in auction. I accept that. Why I am saying this is that it concerns cooperative federalism. I belong to a regional party and I have to protect the rights of the State also, that way I am speaking now. Regarding auction, there are a lot of problems and they quoted 2G spectrum case also. What happened in 2G spectrum case sort of auction? I am the man who raised this issue in 2010 in Parliament, in Lok Sabha, and also for constitution of JPC to deal with this matter. Because of the problems which the Central Government faced, this side completely changed to that side. You are here now, from that side because of the problem in the auction of 2G spectrum. Nobody denies that. That is where the problem first started. Then afterwards, the coal problem and others things came step by step. The mistakes which the previous Government made, Modi*ji* came in 2014 and he changed everything. I appreciate his intention and the laws that he brought. That is good for the country. Here, what they are stating in the Bill is that they are going to allow the State Government to auction and their right is there, but at the same time, if there is delay and if they are not going to auction, then the Central Government will request, consult the State Government and they will auction. That is what the Bill says. The Minister said in his introductory speech that they were to auction nearly 115 mines, but they have not done and auctioned only seven. Why? There is an elected Government in Tamil Nadu. In Andhra also, there is an elected Government. In Telangana, there is an elected Government. In Maharashtra, there is an elected Government and so also in Madhya Pradesh. All are elected Governments. There are elected Governments. Why could they not do it? There are so many issues involved in it. Farmers' issue is the main issue. Wherever you are taking the mines for auctioning, farmers are agitating. The Government is facing local problems. Our hon. leader, Shri Navaneethakrishnan, who is sitting here, knows about methane He comes from Thanjavur area. There, methane gas was extracted. At that time, the Central

Government and the State Government, the then ruling party, accepted that. Then afterwards, they are putting the blame on AIADMK party. It was done by Congress and DMK at that time. We are not responsible for that. After doing that, the farmers' agitation started. Then our hon. Chief Minister, Edappadi K. Palaniswami made it very clear that we have to protect the farmers' interest. That is our concern. He, himself, is a farmer, and he said, "I am a farmer and the farmers' interest is more important".

Extracting methane from Thanjavur belt will affect the agricultural farmers. Therefore, he brought a legislation in the Assembly to protect the farmers' interest saying that the Cauvery delta area cannot be used for establishing industries or for creating these kind of mines. That is why, the State Governments are not in a position to auction certain things. But, if the Central Government wants to interfere and consult within the stipulated period, then, how can you do that? When the State Government is not giving consent, how can you do an auction? You cannot do that. Then, afterwards, if you force or by some other way, you want to auction it, then, you are taking the rights of the State Government. That way I am telling, if you want real cooperative federalism, you have to give power to the State Government. They are also elected people as we are elected here. We, Members, are here to protect the State's interest. Land is a State Government's subject. Therefore, you cannot take the rights of the State Government. When the Central Government was auctioning, you said, "since the State Government is not giving the consent, you are not going to auction, you are going to take the consent and with the consent you are going to auction it." And you say that more revenue will come to the State Governments. The State Government also has the responsibility to raise the income.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*]

I am not questioning the intention of the Bill. You have come with a good intention to generate employment, which is the Prime Minister's vision. We appreciate that vision, and we are also a part of NDA, we are not against that. But, my only concern is about the State's rights.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thambidurai*ji,* please conclude.

श्री जयराम रमेश : सर, मंत्री जी को तो बैठाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मंत्री जी आ रहे हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, whatever he said regarding other countries, they are doing seven per cent in South Africa and other countries. I want to raise one point and conclude it. The developed country, USA, they know very well about the minerals and crude oil. From where are they getting it? They are getting it from the Gulf countries; they want to preserve their own wealth.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, you are saying that it is seven per cent in other countries. But, in our country, it is one per cent. It means, we have to see that our natural resources should be preserved for a long time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am only talking about the State interest. I am not saying anything against the NDA, even though, I am part of the NDA Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: So, I request the Minister to see that the rights of the State Governments are not taken away. That is my only concern.

श्री जयराम रमेश : सर, मंत्री जी कहाँ हैं? इस बिल पर बहस हो रही है और मंत्री जी नहीं हैं, यह कैसे होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मंत्री जी अभी आ रहे हैं, वॉशरूम गए हैं।..(**व्यवधान**).. प्रकाश जावडेकर जी नोट ले रहे हैं। Javdekar*ji* is there, he is taking notes.

श्री जयराम रमेश : सर, यह गलत प्रथा है। जो कंसर्न्ड मंत्री हैं, वे हैं ही नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Dr. K. Keshava Rao.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, on what basis, are you dividing time? How much time have we given?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You have six minutes.

DR. K. KESHAVA RAO: No; what is the total time that is allotted? I am asking you this because I will not take much time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): You have six minutes; the total time is three-and-a-half hours.

DR. K. KESHAVA RAO: I know Ashwini*ji* has made sixteen points.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it has been agreed for four hours.

DR. K. KESHAVA RAO (Telangana): Sir, hon. Member, Ashwini*ji* has made a big list of the advantages of this Bill. Who is denying that? We have not denied it. In one of the passing references, he said, 'We are not taking away powers, we are just giving directions'. If that is the distinction between power and direction, then, I think, I am at loss to understand what exactly I should say here. All the sixteen points that you have made have a solid base; we all are agreeing to that. What we are trying to say is, as Thambidurai*ji* has just now said, we are also elected representatives; we are as much responsible as you are. Since, you have come, I would like to start with one sentence. We thought our Minister is a top diplomat, he knows how to manage all the parties here, which he does with us, but today I have come to know that he is a good lawyer too who can put even a weak brief in such a fashion that it would seem that we have missed some really strong point.

Ashwini*ji* supported him with all the 16 advantages that this Bill has. Sir, we are not differing at all with you, you are for more, but, particularly, if you still want me to say, and take much time, because I don't want to repeat what is already said, I say you are not only infringing, you are violating, you are deceiving, backstabbing the powers of the State Governments. Now, what exactly is this? You are just nodding or you are refusing to agree to our points. As you yourself have said, the power and direction. We take one small example. You have your DMF. DMF has been with us. Now you want to say that you will give the guidelines. It will still be with me but with your directions. The Minister says, not only with you, even the MPs will also be there.

But direction will come from me. Now this is the kind of federalism you are preaching us. We are not for such federalism. We have our own ideas of federalism to which everybody agrees. Secondly, let me not go into detail, Mr. Thambidurai has made a very important point. Though it is mining, it has something to do with land. You give me land. After a day, you will want me to vacate that land. Do you know for what? You will say under this land, there is a mine, एक घर नहीं दिया गया, उन्हें जगह नहीं दी गई और कह दिया कि यहां से भागो। यह झारखंड में हुआ है, क्योंकि झारखंड में मैं तीन साल तक इंचार्ज था। झारखंड में पूरी प्रॉब्लम यही थी कि आपने उन्हें लैंड दिया और फिर थोड़े दिनों के बाद सबसे खाली करवा लिया। सवाल यह है कि लैंड तो दी, लेकिन माइनिंग नहीं दी, नीचे कोल है, हम कोल ले रहे हैं इसलिए आप वापस ले रहे हैं। That is what exactly is happening as far as farmers are concerned. सही बात है कि there is mine there, we also want to exploit that mine, that area, but there is resistance and we have a human face because we are elected by the same people. So, these are the two difficulties which you must understand. Sitting somewhere 1800 miles away from Telangana or Hyderabad, you cannot decide which land should be taken for mining. Bayyaram mines are there, which you have not touched. But, you told us that the grade is not good. Your Government, the NDA Government, has not taken up the Bayyaram mines although it is there in the Act, the Reorganisation Act. The only answer is that grade is not good. So, you will decide it. We thought as a State we will decide, if grade is not good, we will use it not for other steel. We will perhaps use it for something else. So, first of all, let you understand that we are as much responsible and we know the things as much as you do. केन्द्र सरकार का मतलब यह नहीं है कि आप लोग आसमान से उतरे हैं और हम लोग ज़मीन से आते हैं। आप भी वही सोचते हैं, हम भी वही सोचते हैं, We are not *per se* against the Bill, please, *per se*. A few of the powers that are being taken away, we are afraid is not right. Because this is not for the first time. It started with education. You would like to give us the syllabus from Delhi as to what my tribal boy in Hyderabad should learn. उसे आप बताएंगे stevenson का lesson कि how to run the aeroplane. The English book of 7th Class has an aeroplane as the first lesson.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Dr. Keshava Raoji, please address the Chair.

DR. K. KESHAVA RAO: Sorry, Sir. मेरा मतलब यह है कि जिस दिन आप समझ जाते हैं कि हम भी उतने जिम्मेदार हैं, जितने आप जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे कि एक के बारे में बताएं, मैं कहना चाहता हूं कि आप 10 (1) देख लीजिए, आप 14 (3) देख लीजिए। आप किस तरीके से हमारी पावर्स को usurp कर रहे हैं। आपने किस तरीके से स्टेकहोल्डर्स को शामिल नहीं किया। आपने

अभी तक ग्राम सभा की मीटिंग नहीं बुलाई। पर्यावरण की बात करते हैं तो कैसे आप माइंड करते हैं? इन सबको डिसकस करने के लिए, if we were to have wider support. As Yadavji has said, they have sent it earlier too to a Select Committee. That is another matter; I don't want to go into that controversy at all. But, if you think you have to take all people along in this, please, let us send it to a Select Committee. That was exactly our opinion. You send it to a Select Committee, this was discussed even in the BAC. It is not because we do not want to discuss this subject. Digvijayaji talked, perhaps, Jairam Rameshji will also speak. I can also talk because I have got lot of material. But what is the use? You have a majority.

What is the use even if I repeat all these eleven pages and also rebutt, if not all the sixteen, at least five or six of your points; It will not be of any use at all, because you have a majority and the Bill will be through. With our Parliamentary Minister, it will certainly be through. अब क्या करेंगे? यह ऐसी चीज है, उस dilemma में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यह mistake मत कीजिए, जो आपने Farm Bills में किया है। उस दिन आप उसको Select Committee में नहीं जाने दे रहे थे। At least, आप farmers' leaders को यह बोलते कि "देखिए, हमने discuss किया है, आप ही के लोगों से discuss किया है, दो महीने discuss किया है, फिर और क्या सवाल है?" ऐसे ही इसके बारे में भी है, यह people जो involved है। आप जैसा बोल रहे हैं that you come from Odisha; you have got much resources; you have got the human resource too; yet, you are poor. I am not trying to find fault with the State Government at all. But if all the powers were given to the State, allowing the State to do what it likes, I am assuring you--knowing their Government and knowing the leader of that State--Odisha would have certainly programmed by leaps and bounds. This is what I am saying. Like you, I have got eight points, which are strong, which are being repeated. So, I would not like to repeat them. My plea is that you may try to send it to a Select Committee and let there be a wider discussion on this. Tomorrow, if anything happens, you can say that we have discussed all these things. Don't go by what Yadavji says, that 'It is already discussed!' After what Yadavji discussed, you have brought seven amendments, to which I have an objection. I have an objection to Clauses 10(i), 11, 14(iii) and 4. We have objections. What is the use of my saying all these? मिनिस्टर साहब, आपसे मेरी विनती यही है कि nothing is lost if we send it to a Select Committee. ये जो issues मेरे पास पड़े हुए हैं, ये issues आपके पास हैं, this can be discussed by a third party. Thank you very much.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill No. 65 of 2021, the Mines And Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill,

2021, should not be passed in its present form. I request the hon. Minister to consider the suggestions, if you feel that I am competent to make a suggestion to you. Then, take a call on whether this legislation, without amendments, should be passed or not. In fact, Ashwiniji has elaborately spoken in support of the Bill because he is part of the Government.

Sir, I would like to highlight certain infirmities and concerns in so far as this Bill is concerned in the interest of the public, because I honestly feel that it is pro-private sector and anti-public sector and, therefore, could be construed as anti-people, at large. I draw your kind attention to Clause 4, amendment to Section 4, which says that the Bill provides 'that private entities may be notified.' I would like to read this verbatim: "'Other entities including private entities that may be notified for this purpose, subject to such conditions as may be specified by the Central Government' shall be substituted." Therefore, I honestly feel that this definitely is giving a boost to the private sector. I am not opposing the Government giving a boost to the private sector but it should not be at the cost of the public sector undertakings.

Sir, there is nothing in this legislation to ensure that the mineral should be allocated to the Government-owned entities. According to me, the first and top priority should be given to the public sector undertakings and not to the private sector companies. Sir, therefore, the Bill should be suitably amended first to allocate the mines completely to the extent the public sector requires and thereafter, if there are any mines that are still pending allocation, those mines can be allocated to the private sector. It is because of two reasons. There are so many public sector undertakings, which are fulfilling social responsibility, social obligation and also providing employment to millions of people. The public sector is fulfilling the social obligation and also providing employment to the needy whereas the private sector has the sole object of making profit while generating some employment. Therefore, priority should be given to public sector and suitable amendments are required to be made in this regard, and I request the hon. Minister to do so. The next point which I would like to highlight is this. The hon. Finance Minister says that she will allow commercial mining on revenue sharing mechanism instead of the regime of fixed rupee/tonne and nearly 50 blocks will be up for bidding, and the Government will invest Rs. 50,000 crores for building evacuation infrastructure. My suggestion in this regard is this. Instead of allocating 50 blocks up for competitive bidding, why don't you give it to the public sector? Give it to hundred per cent owned Government undertakings and thereafter, if there are remaining mines, then those mines can be considered for putting them to

auction. I would like to quote a few examples. I will not take much time; I will only mention relevant points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude in one minute.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I expect you would give me some time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No, no; I have given you five minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Instead of restructuring, revamping and reviving the State-run public sector undertakings, what the Government of India is doing right now is, it is contemplating to privatise the public sector undertakings, which is not acceptable to the public at large. The Government of India's decision is to privatise State-run PSUs just like Vizag Steel Plant; I am just giving an example, Vizag Steel Plant is a public sector undertaking with a capacity of 7.3 million capacity and one of the *navratnas* which the Government of India is contemplating to privatise and it is incurring losses for two reasons. One is, it doesn't have captive mines and second is, it has got debt burden of Rs. 20,000 crores on which 14 per cent interest is being paid. If these two concerns are addressed and if loan that has been borrowed for expansion of Rs. 20,000 crores...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, please give me two more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude in one minute.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, just because I am in the opposition, I cannot be denied of the opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Your allotted time is five minutes. You have already taken seven minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: No, Sir, please listen to me. This is very important. It is related to Andhra Pradesh.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: So, these are the two concerns. The Government of India should give the captive mines to Vizag Plant and also convert the equity debt into equity. Thereby, the loss-making unit will be converted into a profit making unit and privatisation can be avoided. Similarly, Coal India. In Coal India, Rs. 17,000 crores which are due from the power producing plants...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I am coming to my final point. This Bill gives a right to -- it is a very important point -- this Bill gives a right to the Central Government to conduct the auction process of mineral concession. If the State Government is unable to complete the auction process within the specified time, the Central Government can do it. It is nothing but usurping the powers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you, Vijayasaiji. I am calling the next speaker.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: For example, seven years back, the AP Reorganisation Act had been passed and the...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: ...the Central Government has taken seven years and it is yet to be completed. Vizag headquarter railway zone is yet to be completed. Can the State Government take over... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude. Next, Prof. Ram Gopal Yadav. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... Nothing, except what Prof. Ram Gopal Yadav says, will go on record. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... Nothing is going on

record. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, समय के साथ-साथ कानून बनाने वाले लोग इतने होशियार हो गये हैं कि कानून जैसा दिखता है, वैसा होता नहीं है और जैसा दिखता नहीं है, वैसा होता है। वह इस कानून के साथ भी है। मैं जब वैष्णव साहब को सुन रहा था, तब ऐसा लगा कि इससे जाने कितना रोज़गार दे देंगे। वे बहुत ही बढ़िया बोले, उन्होंने बहुत explain किया और गवर्नमेंट को जिस तरह से बिल को defend करना चाहिए, वैसे बेहतर तरीके से उन्होंने defend भी किया, लेकिन मुझे यह लगता है कि ultimately यह बिल सारे mining sector को प्राइवेटाइज़ करने की तरफ ले जा रहा है।

सन् 1973 में, for example, coal mines को लें, तो वे सब प्राइवेट हाथों में थीं और इस आधार पर कि वहाँ लेबर्स का और अन्य लोगों का बहुत बड़ा exploitation होता था, गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज़ किया और कोल इंडिया का गठन किया। यह चलता रहा। इसके बाद 1996 में coal blocks के आवंटन का एक नया concept आया। जब इसमें करप्शन उजागर हुआ, तो गवर्नमेंट को यह बहाना मिला कि इसको खत्म किया जाए और अब नये सिरे से एक कानून लाया जाए। इसमें और चीज़ें हैं या नहीं हैं, वह तो कानून को जानने वाले ज्यादा समझते हैं, लेकिन मुझे as a layman मान लीजिए, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आपने जो 50:50 की व्यवस्था कर दी है, इसका क्या अर्थ है? यह ultimately आपको किस तरफ ले जाता है? कोल के क्षेत्र में कोल इंडिया खत्म हो जायेगी और प्राइवेट वाले हावी हो जायेंगे। इसी तरह से mine sector के अन्य मिनरल्स से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वे सब भी धीरे-धीरे privatize हो जायेंगी, क्योंकि जो सरकारी या Public Sector Undertakings हैं, उनकी लागत थोड़ी-सी ज्यादा होगी और प्राइवेट सेक्टर वाले जो माइनिंग वगैरह करेंगे, उनकी लागत कम होगी, तो वे धीरे-धीरे उनको खत्म कर देंगे। यह जो आपका बिल है, आप भले ही कहें कि यह बहुत अच्छा बिल है, रोज़गार देगा और राज्यों को भी - आपने जो Cooperative Federalism की बात कही है, वह उसके आधार पर कही है, लेकिन मुझे इस बात में आशंका है। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें, तो इस बात को जरूर स्पष्ट करें कि आपने captive से हट कर यह जो 50 परसेंट को बेचने की व्यवस्था की है, क्या वह गवर्नमेंट की इन public undertakings को जिन्दा रहने देगी या नहीं रहने देगी? इसमें यही सबसे बड़ा खतरा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशी: पब्लिक सेक्टर किसलिए रहता है? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): नहीं, प्लीज़।...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: पब्लिक सेक्टर कहाँ रह जायेगा? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): मंत्री जी, आप यह अपने रिप्लाई में बताइएगा।

प्रो. राम गोपाल यादव: जब निजी सेक्टर वाले सरवाइव करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसलिए जो केशव राव साहब ने कहा, जो विजयसाई रेड्डी साहब ने कहा और जो शुरू में दिग्विजय सिंह जी ने कहा, बहुत जल्दबाजी में कानून बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप इसे एक बार सेलेक्ट कमेटी में भेज दें और लोगों के संदेहों को दूर कर दें, तो बेहतर होगा। हम लोगों ने किसानों के बिल पर भी यही तो कहा था कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। तब ऐसा कोई झमेला नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलेक्ट कमेटी के द्वारा लाये गये कानून पर फिर कहीं कोई आन्दोलन नहीं होता। इसलिए केशव राव ने यह बहुत फंडामेंटल बात कही कि आप किसी को माइन दे देंगे और जमीन वाला कहेगा कि हम नहीं दे रहे हैं, आप बोरिया-बिस्तर बांधिए और हटिए। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सारी technicalities हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय भी लेनी पड़ेगी, कमेटी सबको बुलाती है और पूछती है। उसमें टाइम लग सकता है। मान लीजिए कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अगले सत्र में पारित हो जाए, तो कौन-सा पहाड़ टूटा जा रहा है? अगर आप ऐसा करेंगे, तो इससे न लोगों को कोई शिकायत होगी, न लोगों के मन में आशंका होगी। अभी लोगों के मन में आशंका है। अभी लोगों के मन यह आशंका है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। आप कोल इंडिया को तो नंबर एक पर ही खत्म कर देंगे। राजकुमार जी, इस कानून के आने के कुछ वर्षों के बाद कोल इंडिया नहीं बचेगी, वह खत्म हो जाएगी।

श्रीमन्, ऐसा है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसा बाउंसर फेंकते हैं कि बैट्समैन देखता रह जाता है और गेंद ऊपर से चली जाती है। ये ऐसा ही बिल लेकर आए हैं।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार) : वाइस चेयरमैन महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने पूरी पृष्ठभूमि बता दी और उसके बाद हमारे मित्र अश्वनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार से सभी बातों को रखा है, उससे स्पष्ट है कि यह बिल प्रोग्रेसिव बिल है। इससे देश में माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और जीडीपी में माइनिंग सेक्टर का जो contribution है, वह निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसलिए यह बहुत ही अच्छा बिल है। बाकी बातों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बात, जिसकी चर्चा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने की है, वह डीएमएफ के बारे में है और उन्होंने खास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में बोला है। इस सदन में अभी भी कुछ माननीय सदस्य बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह चुके हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप स्वयं भी रहे हैं।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह : अब मैं जरा उस पर बता दूँ। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको समझिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन बनाएगा? उसको कौन appoint करेगा? क्या यहाँ डीओपीटी वाले करेंगे? यह तो राज्य सरकार ही बनाएगी, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। अब यह बात आती है कि केन्द्र का interference होगा। दिग्विजय बाबू, हम लोगों को

interference और involvement में फर्क समझना चाहिए। जो कोई भी बॉडी है, उसमें जितने लोगों को लाते हैं, जितने भी डोमेन नॉलेज वालों को लाते हैं, एक्सपर्ट लोगों को लाते हैं, तो उनका उसमें involvement होता है, इससे निश्चित रूप से बेहतर इनपुट आता है और निर्णय लेने में सहूलियत होती है, यह involvement हुआ। यह involve किया जा रहा है, यह interference नहीं है, बल्कि आप उसमें और contribute कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग आएँगे, जिनके पास डोमेन नॉलेज होगी, एक्सपर्ट होंगे, तो डिसीज़न लेने में और सहूलियत होगी, इसलिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए। आपने एक बात कही कि कमीशन का भी मामला होता है। आपने कमीशन की बात बोली। देखिए, सारे कलेक्टर्स वैसे नहीं होते हैं और यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि अगर उनका कलेक्टर इधर-उधर करता है, तो वह क्यों है? चूँकि उनके पास सारी एजेंसीज़ हैं, इसलिए उस पर कस कर प्रहार करना चाहिए।

सर, मैं तो बिहार से आता हूँ और बिहार में बहुत ज्यादा माइन्स नहीं बचे हैं। मेरा इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि बिहार में सर्वे कराया गया था, खास करके हमारा जो कोसी का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, जिसमें यह संभावना व्यक्त की गई थी कि हमारे यहाँ गैस मिल सकती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल सकता है, इस तरह का बहुत सर्वे चला है, लेकिन हम लोगों को यह पता नहीं लग पा रहा है कि क्या हुआ। इसके अलावा गोल्ड के बारे में भी वहाँ सर्वे हुआ था तथा और भी माइन्स के बारे में सर्वे हुआ था, इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जरा इस पर विचार करेंगे कि अगर बिहार में भी माइन्स मिल जाएँगे, तो बिहार को भी लगेगा कि मेरे पास यह संपत्ति है। आजकल हमारे पास जो एक माइन है, वह है बालू, यानी सैंड और यह उत्तर प्रदेश में भी है।

4.00 P.M.

मेरा एक अनुरोध होगा कि जैसे रेलवे में आपने एक freight corridor बनाया है, वह क्यों बनाया है? वह इसलिए बनाया है, ताकि जो हमारा मेन सेक्शन है, जो passenger traffic है, वह affect नहीं हो और उसकी efficiency बढ़े। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए, वहाँ उस ज़माने में जो गन्ने की मिलें लगाई गई थीं, तो जिस सड़क पर बैलगाड़ी चलती थी और गन्ने की ढुलाई होती थी, उसके लिए एक सड़क, मेन सड़क से अलग बनाई गई थी, जिससे कि सड़क -- अगर आज आप बिहार-उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जाएंगे, तो देखेंगे कि वहाँ बहुत ट्रक्स चलते हैं। उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और उससे सभी प्रभावित होते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए और इस प्रकार की जो ढुलाई होती है, उसके लिए एक अलग से सड़क बनानी चाहिए, जिससे कि जो main thoroughfare है, वह डिस्टर्ब न हो और साथ ही, हमारा environment clear रहे।

मेरा एक अनुरोध और है कि हम जिन भी mines और minerals की बात करते हैं, उसमें हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि in the long run, जैसी फिगर्स अश्वनी जी दे रहे थे, हमारे पास जो भी mineral resources हैं, वे हमारे लिए future में भी उपयोगी रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी सब बेच दें और पता चले कि आगे जाकर हम पीछे रह जाएं। दूसरा, खासकर

हमारे environment की बात है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, Shrimati Jharna Das Baidya. You have four minutes.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for letting me speak on the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.

Sir, the key points of the Bill are: First is the removal of restriction on end-use of minerals. Second is the sale of minerals by captive mines. Third key point relates to the auction by the Central Government in certain cases. Fourth is the transfer of statutory clearnace. Fifth point is the allocation of mines with expired leases. Sixth point relates to the rights of certain existing concession holders. Seventh is the extension of leases to Government companies. There are conditions for lapse of mining leases and non-exclusive reconnaissance permit. There are a few areas of improvement, which I would like to put forward. According to para 4(i) of the Statement of Objects and Reasons, the Ministry of Mines is proposing to allow captive mine holders to sell up to 50 per cent of the minerals excavated during the current year, after meeting the requirement of the attached plant.

The other provision is that the captive mines, which are there, are now being allowed to sell 50 per cent of their produce to private parties. That is also not good because the idea of captive mines will go away totally. So far, the State Governments were auctioning their mines. Now, this amendment says that if the State Government delays the auction, then, the Central Government may take over the auction and the Central Government may also transfer the statutory clearances. I will not go into all aspects of the Bill. All I want to impress upon the Minister is that it is a good idea to open up the mining sector. But, minerals are permanent assets of the country. We should see that they are properly utilised for the benefit of the country and not for the profit of a few people. We must ensure that the tribals, who live on the land where the mines are being set up, are not displaced. If they are displaced, total rehabilitation must be promised and ensured. We must see that our minerals do not go away without any conversion.

I hope the hon. Minister would make note of these suggestions and incorporate them accordingly. With these words, I would say that for further discussion, the Bill should be sent to a select committee. Thank you.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे राज्य से आता हूँ, जहाँ झारखंड बँट जाने के बाद बालू, धूप और वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। बहरहाल, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सहकारी संघवाद के बारे में बहुत सुन रहा हूँ और हर बिल में उसका कत्ल होते हुए भी देख रहा हूँ। सर, 3 अप्रैल को इस हाउस में मेरे तीन वर्ष होने वाले हैं। मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई बिल नहीं देखा, जो सहकारी संघवाद की नींव को पुख्ता करता हो, बल्कि वह उसे कहीं न कहीं कमजोर करता ही करता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने कॉलेज के दिनों में मैंने एक फिल्म देखी थी- 'काला पत्थर' और हाल के दिनों में एक फिल्म देखी- Gangs of Wasseypur 1 and 2. सर, हमारे परमप्रिय मित्र, अश्वनी जी 13 रिफॉर्म्स बता रहे थे। उन्होंने बहुत खुबसूरत अंदाज में विश्वविद्यालय के एक पॉपुलर शिक्षक की तरह बोला, लेकिन फिर वही, रामगोपाल जी वाली बात सामने आ जाती है कि जो दिखता है, वह होता नहीं। ये जो 13 रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें मैं 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' बनता हुआ देख रहा हूँ। 'काला पत्थर' - यहाँ पर अभी जया जी नहीं हैं, वे और विस्तार से बतातीं।

महोदय, मैं एक और चीज़ यह कहूँगा कि इन संसाधनों के मध्य जो लोग रहते हैं, उनका इसमें कहीं ज़िक्र नहीं है। आपने बड़े अच्छे से कहा, अस्पताल किसके लिए बनेगा, स्कूल किसके लिए बनेगा? सर, आप इस charitable framework से सहभागिता मत देखिए। यह न हो कि कोई निजी हाथ सब पूँजी बटोरकर ले जाए और चार दाने छींट दे कि यह लो, यह तुम गरीब लोगों के लिए है, यह तुम आदिवासियों के लिए है। सर, उनके संसाधन पर हम अपनी नीति और नीयत बना रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि न नीति बेहतर, न नीयत बेहतर।

सर, DMF के बारे में बहुत बातें हुई हैं। इसमें मैं सिर्फ यह कहूँगा कि language itself in the Statement of Objects and Reasons, इस लैंग्वेज़ पर चाहे आप जितना पर्दा डाल लीजिए, इस पर पर्दा नहीं पड़ेगा। "To empower the Central Government." Who is to be empowered? "The Central Government is being empowered to issue directions regarding composition and utilization of fund by DMF." इसमें आप नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुनिश्चित कर रहे हैं और वह आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। आजकल मैं आपका बिल देखते ही समझ जाता हूँ कि आप किसके लिए बिल ला रहे हैं, इसके beneficiaries आगे चलकर कौन होंगे और हम लोग पब्लिक सेक्टर की obituary में शामिल होंगे, आप भी आएँगे। आज नहीं तो कल आप भी मानेंगे कि इस फेयरवेल समारोह में हम सब शामिल हों।

सर, Section 3, 9B MMDR Act में एक दूसरा proviso जोड़ा गया है, "The new Bill seeks to add a proviso to sub-section that the Central Government may give direction." सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह बड़ा निर्गुण-सा लगता है- 'may give'. 'May' बड़ी निर्गुण-सी चीज़ होती है, लेकिन इस हुकूमत को जानते हुए इनका डायरेक्शन बड़ा कठोर होता है। ...(**व्यवधान**)... निर्गुण नहीं है सर, सगुण है और भारी सगुण है। वह शगुन है, इसलिए चिन्ता का विषय है। सर, एक तो राज्य pandemic, GST वगैरह चीज़ों से वैसे ही मारे जा

रहे हैं। सर, झरना मैडम का एक मिनट का समय बचा हुआ था, वह मेरे समय में डाल दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं एक और चीज़ कहूँगा। The Bill talks about automatic transfer of lease. क्या यह environmental clearance के बगैर होगा? There is absolutely no clarity on it. जब आप इस हाथ से उस हाथ में दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें clarity बेहद आवश्यक है। सर, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन Vizag Steel Plant से मैं हर तीसरे दिन representation receive करता हूँ। मैंने वह प्लांट देखा है, वह marvel है। ऐसे लोग, जो यह कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वे एक बार Vizag Steel Plant जैसी चीज़ों को जाकर देख लें। सर, मैं एक मिनट और लूँगा।

सर, मंत्री महोदय ने कहा कि यह बड़ा progressive Bill है। मंत्री महोदय, मैंने तुरंत 'Development Dictionary' चेक की और उसमें देखा कि 'progressive' का क्या मतलब होता है? मेरा मानना है कि शायद आप 'regressive' कहना चाहते थे, 'progressive' कह गए। खैर, कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियाँ होती हैं - 'फटी जींस', 'British imperialism', 'American imperialism' वगैरह, वगैरह। मैंने अगर ठीक से सुना हो, तो मंत्री जी ने कहा कि 55 लाख रोज़गार का सृजन होगा। मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिसने 6 वर्षों में पहली बार रोज़गार की बात कही है, यह 2 करोड़ रोज़गार वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका हश्र दो करोड़ रोज़गार वाला न हो। माननीय मंत्री महोदय केशव जी से कह रहे थे कि आप सपोर्ट कीजिए, यह आपके फेवर में है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आप आनन-फानन में बिल पास करवा लेते हैं, brute majority है, बाद में किसानों से कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, यह आपके फेवर में है। आपके पास ऐसा कौन सा यंत्र है कि मुझे ही नहीं मालूम कि आप मेरी भलाई चाहते हैं। मैं समझता हूं ...(**व्यवधान**)...

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): देश की 80 करोड़ जनता ने ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): I am allowing him. Manoj*ji*, please. *(Interruptions)*

श्री प्रकाश जावडेकर : देश की 80 करोड़ जनता ने जिस सरकार को चुनकर भेजा है, उसके बारे में brute majority कहना, यह भी असंसदीय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ठीक है, इसको दिखवा लेंगे। मनोज जी, प्लीज़ conclude. अगर कुछ भी unparliamentarily है, तो दिखवा लेंगे।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, प्लीज़ मुझे सुन लिया जाए। मेरे बहुत वरिष्ठ मंत्री ने बात कही है। सर, दुनिया की किसी पार्लियामेंट में अगर ब्रूट शब्द unparliamentarily होगा, तो I will apologise.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : एक बार इसको दिखवा लेंगे। आप प्लीज़ conclude कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मैं सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। अश्वनी जी ने एक बात कही कि informally कई राज्यों ने शेयर किया कि हमें दिक्कत हो रही है। हम सोच रहे थे कि आपकी सरकार formal principles पर चलती है, formal rules पर चलती है, formal communication पर चलती है। सर, मैं अंत में टिप्पणी करूंगा कि

"खुश न हो उपलब्धियों पर, यह भी तो पड़ताल कर,
नाम भी है, शोहरत भी है, तू कहां बाकी रहा।
वक्त की इस धुंध में सारे सिकन्दर खो गए,
यह ज़मीन बाकी रही, आसमां बाकी रहा।।"

सिर्फ इस ज़मीन को मत बेचिएगा। जय-हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Dr. W. Kharlukhi; not present. Shri K. Ravindra Kumar; you have five minutes.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Hon. Vice-Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion and passing of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill.

The principal Act empowers the Central Government to reserve any mine, other than coal, lignite and atomic minerals, to be leased out through an auction for a particular end use such as iron ore mine and steel plant. Such mines are known as captive mines. The Bill provides that no mine would be reserved for particular end use.

Sir, the Bill provides that captive mines other than those for atomic minerals may sell up to 50 per cent of their annual mineral production in the open market after meeting their own needs. The Central Government may increase the threshold through a notification. The lessee will have to pay additional charges for minerals sold in the open market. We see that a lot of these raw materials are lying under-utilized.

Sir, I come from Andhra Pradesh and the Vizag Steel Plant is a major issue. Now, the Government is planning to privatize the industry, which has secured the employment of two lakh persons and lakhs of crores of properties. It was started after sacrifices made by the then legislators under the leadership of T. Nagi Reddy, the Leader of Opposition at that time, who got the project under the slogan *Visakha*

Ukku Andhrula Hakku. There were a series of agitations and even our hon. Chairman also led and participated in the agitations while he was a student. Ultimately they got it. Now, the Government wants to privatize it, saying that it is running into losses.

Sir, I wish to bring to the notice of the House that the Vizag Steel Plant does not have its own captive mine. Due to this, it incurs losses. If the Government ensures supply of adequate iron ore for the Vizag Steel Plant, there is chance for revival of the Plant without incurring losses. The sale of minerals including iron ore for steel plants, particularly the Vizag Steel Plant, can also be explored. The Iron ore that is being bought by the Vizag Steel Plant is bought for Rs. 7,000 per ton whereas other plants which have captive mines are spending up to Rs. 1,500 only.

It means that the Vizag Steel Plant currently spends 65 per cent of the production cost on raw material alone. Therefore, I request the hon. Minister to take into consideration the absence of captive mines in the Vizag Steel Plant. You allocate captive mines and then run the Vizag Steel Plant for two years. If it still incurs losses, then you can take a decision to privatise it. Without allocating captive mines, how can you expect the steel plant to run without loss? Due to this only, the product cost increases. In 2007 itself, the Parliamentary Committee recommended that the Vizag Steel Plant should have its own captive mines just like other PSUs. Since then, this demand has been pending with the Central Government. Till now, the Government has not taken any decision. Unless the Government wants to kill the Vizag Steel Plant from being a PSU, it is better to drop the proposal of privatisation of Vizag Steel Plant. Our State Government is also demanding not to privatise the Vizag Steel Plant, though there is lack of *bona fides*. So, it is immaterial, but they are demanding it. Now, the priority should be given to the PSUs instead of private sector. Then it will generate employment and profit. I see that all these clauses are advancing a hand to the private players saying that they are there for them. If there is any problem, then we are extending a hand. When you are extending such a good hand to the private players, why don't you look after the PSUs which are under your control? The clause for ending captive mines is not relevant at this juncture. So, I want to see the process of auction by the Central Government. This is where the spirit of cooperative federalism also comes into play. As far as our State is concerned, there is a lack of specific policy in respect of mines and minerals. Due to lack of supply of sand since June 2019, the people of Andhra Pradesh are suffering like anything. They have been suffering till now due to lack of supply of material and rise in prices, and yesterday, they have introduced one policy to bring a private company into the picture. The Central Government has to look into and take care of such things, but not privatise

the mines and minerals. Finally, I urge the Government to look into these types of allegations instead of making amendment to the existing Act. I request the Central Government not to take steps to privatise the Vizag Steel Plant.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Shri Ashok Siddharth; not present. The next is Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Hon. Vice-Chairman, Sir, due to paucity of time, I shall try to limit myself to a few concerns only. However, there are innumerable concerns and complexities which need deliberation, particularly with different stakeholders as this is going to impact crores of different people and has very wide repercussions. Therefore, we are of the opinion that this Bill should go to a Select Committee and it must be scrutinised thoroughly. I would like to emphasise that natural resources of our country are the actual wealth of that country. These resources are our permanent assets which nobody can snatch away from us. No demonetisation can make them valueless in a minute, or no entity can carry it away unless, of course, we ourselves sell them off to outsiders. You are aware that 235 million metric tonnes of coal was imported last year, out of which, 100 million metric tonnes was non-substitutable coking coal. That is a very large quantity and this alone has cost us Rs.1.5 lakh crore.

This is a lot of money, especially in these trying times. And while new thermal plants have been banned and the existing thermal plants, like the BHEL, have been asked to function at a much lower capacity, I wonder as to where this large amount of coal has been used. Don't you think we, as a nation, must move towards renewable sources of energy at a faster pace? However, this is the fourth consecutive Amendment to this Bill? Why is the Government indecisive regarding this? Why is this piecemeal approach being followed? Why are we coming again and again with Amendments? The Bill, of course, liberates the captive mines and permits the end-users to sell upto 50 per cent of their resource in the open market at an additional premium paid to the Government, which was earlier restricted. This will surely allow the end-users to sell their second and third grade mining produce and avoid heaping of materials and causing environmental hazards. But, will this not open the doors for privatisation to exploit the allotment system and get larger mines allotted than their capacity? This issue needs to be addressed because a dilution in the eligibility process of the allotment can result in not so prudent decisions which can have a

disastrous impact on the environmental balance. The Bill also lacks in addressing the environmental hazards caused by the process of mining itself. For instance, several forests and national sanctuaries may be adversely affected. It does not address the transportation involved, especially in the transportation of coal and other minerals. This has to be regulated and must be addressed.

We must be very careful while exposing our valuable natural resources to the FDI and the security concerns relating to them must be deliberated and addressed. We must not land ourselves in State-Centre conflicts that take us nowhere and again and again make us take legal recourse.

At the end, what about the large-scale dispossession of Adivasis that leads to the pauperization and destruction of their communities? This Bill would impact both the environment as well as the tribal culture.

Monitoring is very important. A third-party monitoring mechanism must be brought in for the monitoring of transfer of licences from the old lessee to the new. All this is a complex process and it would be very much advisable to refer this Bill to a select committee so that all the complexities can be studied at length. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, Shri Sanjay Singh, you have five minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। पूरे देश में अवैध खनन के तमाम मामले समय-समय पर सामने देखने को मिले हैं और जिसमें हज़ारों करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाले अवैध खनन के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए हैं और उनकी रिपोर्ट तैयार हुई है। उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है, इसे सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से गोवा के विषय में जानना चाहता हूं। गोवा में अवैध खनन को लेकर वर्ष 2012 में जस्टिस एम बी शाह कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि 35 हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला अवैध खनन में हुआ है। उस रिपोर्ट के आधार पर वहां पर सारी माइनिंग बंद कर दी गई। 88 खदानें, जो लीज़ पर दी गई थीं, वह एम. बी. शाह कमीशन की उस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आने के बाद बंद की गईं। गोवा की 30 प्रतिशत इकोनॉमी, 30 प्रतिशत अर्थव्यवस्था माइनिंग के माध्यम से चलती है। तीन लाख परिवार उन 88 खादानों के जरिए अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे थे।

महोदय, 2012 से लेकर आज तक 9 साल हो गए, लेकिन वे खदानें दुबारा शुरू नहीं हो पाईं, माइनिंग दोबारा शुरू नहीं हो पाई। मान्यवर, आज गोवा के वे परिवार, वहाँ पर काम करने वाले वे कर्मचारी, उसके आस-पास दुकान लगाने वाले लोग, वे चाहे चाय की दुकान लगाने वाले

हों, डंपर ऑपरेटर्स हों या माइन्स के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हों, वे लोग पिछले नौ सालों से बेरोज़गार हैं। मान्यवर, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई, लेकिन वहाँ पर माइनिंग दोबारा शुरू नहीं हो पाई। सर, वह दोबारा शुरू क्यों नहीं हो पाई? वह दोबारा इसलिए शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप खदानों की ऑक्शन कराइए। लेकिन वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए, उसको किनारा करते हुए वहाँ पर फिर से, दोबारा लीज़ देने का और फिर लीज़ को रिन्यू करने का काम किया। इस लीज़ को रिन्यू क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया, क्योंकि वहाँ पर सत्ताधारी दल के नेताओं और उनके रिश्तेदारों की माइनिंग चल रही है, जिनके कारण आज 3 लाख परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर दोबारा माइनिंग शुरू नहीं हो पाई है।

मान्यवर, भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार से बात की है? वहाँ पर आपकी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 3 लाख परिवारों की तक़लीफ़ के बारे में सोचिए और राज्य की माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन कराकर, वहाँ पर दुबारा माइनिंग शुरू कराइए, जिससे वे 3 लाख परिवार, जो आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, वे दोबारा रोज़गार पा सकें और उनकी ज़िंदगी दोबारा आगे बढ़ सके।

महोदय, इसके साथ-साथ अगर आप सरकार से उस 35 हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में पूछिएगा कि क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो मैं बताता हूं कि उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक कोई नेता, उसका कोई रिश्तेदार, इल्लीगल माइनिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया, किसी को कोई सजा नहीं हुई। महोदय, कार्रवाई किस पर हुई? जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई ग़लती नहीं थी, जिनका कोई दोष नहीं था, जो परिश्रम करके गोवा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मान्यवर, उनको भुखमरी की कगार पर पहुंचाया गया। आज ऐसा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ बड़े-बड़े दावे और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

मान्यवर, यहाँ पर विशाखापत्तनम का जिक्र हुआ है। वह स्टील प्लांट 1971 में लगा था। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है, लेकिन आज उस स्टील प्लांट का 100 per cent disinvestment हो रहा है। आप उसका 100 प्रतिशत disinvestment कर रहे हैं! वह शहर उस स्टील प्लांट के नाम पर बसा था। आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का घाटा कहाँ से दिखाते हैं? जो मुनाफे की कंपनी है, जिसको आपकी सरकार ने "महारत्न" में शामिल किया, आपकी सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को "नवरत्न" से हटाकर "महारत्न" की श्रेणी में शामिल किया ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : संजय सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, बस खत्म कर रहा हूं। आपने सभी पर कृपा बरसाई है, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। मेरा पाँच मिनट का टाइम है, थोड़ा-सा टाइम और दे दीजिए। ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, already आपके छह मिनट हो चुके हैं।

श्री संजय सिंह : सर, अभी चार मिनट हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, छह मिनट हो चुके हैं।

श्री संजय सिंह : सर, अभी चार मिनट हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, आपने 22 मिनट पर स्टार्ट किया था। आप आगे बोलिए।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, सब हमारा ही टाइम देखते रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, आप बोलिए। प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए। एक मिनट तो आपको बिल पर बोलने में ही लग गया।

श्री संजय सिंह : मैं बिल पर ही बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ठीक है।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार से कहिए कि अपने अंदर थोड़ी सद्बुद्धि लाए। पूरे देश को बेचने से हिन्दुस्तान तरक्की नहीं करेगा, पूरे देश को बेचने की व्यवस्था से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपने स्टील प्लांट का बेड़ा गर्क कैसे किया, मैं यही बताकर अपनी बात खत्म करूंगा।

महोदय, आपने ऐसी-ऐसी जगहों पर प्राइवेट स्टील प्लांट्स खोल दिए, जहाँ पर रॉ मैटीरियल है ही नहीं । आपने अपनी राजनीति के चक्कर में पूरे देश में घूम-घूमकर स्टील प्लांट्स अपने प्राइवेट मित्रों को दे दिए। यद्यपि वे स्टील प्लाइंट्स तो खुले, लेकिन वहाँ रॉ मैटीरियल था नहीं, इसलिए वे घाटे में चले गए और उनका घाटा किसको सहना पड़ा? वह सेल को सहना पड़ा। अविनाश जी यहाँ बैठे हैं, वे मेरी बात से सहमत होंगे। राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : संजय सिंह जी, प्लीज़ अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं खुद माइनिंग क्षेत्र से पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूं। मैं ओडिशा में रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से माइनिंग को चौपट किया गया, बरबाद किया गया, उस स्टील प्लांट को बरबाद किया गया। इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : संजय सिंह जी, धन्यवाद। ..(**व्यवधान**)..

श्री संजय सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः निवेदन करूंगा ..(**व्यवधान**)..आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलना है। ..(**व्यवधान**)..आप मुझे खत्म कर लेने दीजिए। ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सिंह: मैं आपके माध्यम से दो निवेदन और करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, वे गोवा के सम्बन्ध में जल्द ही कोई निर्णय लें, क्योंकि वहां नौ साल से माइनिंग बंद है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि विशाखापट्टनम् स्टील प्लांट बंद नहीं होना चाहिए। आप डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के तहत उसका 100 प्रतिशत विनिवेश करने जा रहे हैं, वह न करें।

श्री विजय दीनू तेंदुलकर (गोवा) : गोवा के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : उसे देख लेंगे। श्री राम विचार नेताम।

श्री संजय सिंह : मैंने 100 प्रतिशत सही जानकारी दी है...(**व्यवधान**)... मैंने गोवा में इल्लीगल माइनिंग के बारे में कहा था।...(**व्यवधान**)...

श्री विजय दीनू तेंदुलकर : आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): मैंने कहा है कि उसे दिखवा लेंगे। संजय सिंह जी, अब आप बैठ जाएं...(**व्यवधान**)...आपस में बात न करें।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज हम एमएमडीआर (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी को और देश के माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी को इस विधेयक पर हो रही चर्चा के दौरान हृदय से बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय खान मंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण बिल को लाकर इस

देश की तस्वीर और गरीबों की तकदीर को बदलने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं।

महोदय, मैं शुरू से ही इस विधेयक पर हो रही चर्चा को सुन रहा हूं। हमारे विपक्ष की ओर से लगातार कई वरिष्ठ माननीय सदस्य इस बिल पर बोल रहे थे। मैंने उन सबका भाषण सुना। माननीय अश्वनी जी की भी स्पीच मैंने सुनी और सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इस विषय पर किसी को बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहने की या शंका करने का या किसी प्रकार की मीन-मेख निकालने का औचित्य नहीं है, फिर भी यह आपका अधिकार है। हमारी सरकार गरीबों के लिए, इस देश के 130 करोड़ लोगों की सेवा के लिए, गांवों के किसानों, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की चिंता करते हुए एक के बाद एक योजनाएं चला रही हैं। इसके बावजूद भी आपको सरकार की नीतियां रास नहीं आ रही हैं, उस पर भी टीका-टिप्पणी करते हैं और उसमें भी बुराई खोजते हैं कि यह गड़बड़ हो रही है।

महोदय, यह बहुत अच्छा विधेयक है। इस विधेयक के बारे में तमाम राज्यों की सहमति ली गई है। लोगों ने अपने-अपने फोरम से इस पर सहमति दी है। कई राज्यों ने इसकी तारीफ की। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा की गई। हमारी संसदीय कमेटीज़ का जो प्रतिवेदन आता है, उसमें भी इस पर डिसकशन हुआ। उसके बाद लगातार एक साल, दो साल से इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के बाद तमाम राज्यों से चर्चा करने के बाद, तमाम अलग-अलग विभागों की तमाम कमिटियों के साथ, उद्योग संघों के साथ, आम जनता से भी public domain में, उनका विचार लिया गया है, तब जाकर इसे अन्तिम रूप दे कर इस विधेयक को लाया गया, जिससे हमारे देश की जो स्थिति है, उसमें हम सुधार ला सकें। महोदय, हम सब यह जानते हैं कि हमारी इस अमीर धरती पर गरीब लोग निवास करते हैं, लेकिन इस गरीबी का कारण क्या है, हम उस ओर क्यों नहीं जाते हैं? आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र तमाम तरह की खनिज सम्पदा से प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, चाहे हम बस्तर का क्षेत्र लें, चाहे ओडिशा प्रान्त के सुदूरांचल की बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों में, जहाँ भी खनिज पाए जाते हैं, अधिकांशतः वे हमारे remote areas हैं, scheduled areas हैं, tribal areas हैं। उन क्षेत्रों में आजादी के इतने सालों तक विकास क्यों नहीं हो पाया? आखिर आज वहाँ जल, जंगल, जमीन की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? आज यदि वहाँ लोगों को शुद्ध जल प्राप्त नहीं हुआ, अगर लोगों के लिए आवागमन की सुविधा नहीं मिली, अगर वहाँ लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं, तो यह किसकी देन है? आजादी के इतने सालों के बाद अधिकांश समय तक आपने राज किया। आपने राज क्या किया, आपने खानों की जिस प्रकार से बंदरबाँट की, खानों की जिस प्रकार से नीलामी की जाती थी, खानों को जिस प्रकार से मनमाने तरीके से अपने चहेते लोगों को देने का उपक्रम किया जाता था, उस समय की तमाम तरह की मीडिया में और इसी पार्लियामेंट में इस विषय पर बहुत लंबी बहस हो चुकी है। महोदय, इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार यह विधेयक लाई है, जिससे कि पारदर्शिता आ सके, उत्पादन हो सके और उत्पादन होने के बाद मार्केट में उसका flow बना रहे, जिससे कि कीमत भी न बढ़ सके। इन सब स्थितियों को देखते हुए ही यह विधेयक लाया गया है। इसलिए आज हम यह कह सकते हैं कि यह जो हमारा विधेयक है, यह प्रगतिगामी विधेयक है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से इस खनन क्षेत्र के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि खनन क्षेत्र लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, हम तो कह सकते हैं कि इससे भी अधिक रोजगार मिलता। इसका कारण क्या है? जहाँ खनन होता है, वहाँ industries लगती हैं, वहाँ लघु उद्योग होते हैं, वहाँ तमाम तरह के व्यवसाय बढ़ते हैं, मार्केट बढ़ती है, तरह-तरह के उद्योग-धंधे लगते हैं, वहाँ पर बहुत सारे businesses बढ़ते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जहाँ हम 5.5 करोड़ लोगों को आजीविका सुनिश्चित करते हैं, हम इस क्षेत्र में इससे भी अधिक रोजगार दे सकते हैं। खनन क्षेत्र में जहाँ तक आने वाले 5 वर्षों में खनिज उत्पादन को दोगुना करने की बात है, हमारी सरकार की सोच है कि जब तक हम खनन को नहीं बढ़ाएँगे, तब तक और अधिक रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिल सके, लोगों को हम रोजगार कैसे उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम खनन क्षेत्र को खोलना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो प्रस्तावित सुधार नीति है, इसमें हम 500 अतिरिक्त ब्लॉकों की नीलामी को सुविधाजनक बनाएँगे।

जब पांच सौ ब्लॉक बिकेंगे तो राज्य सरकार के पास जो आज संसाधन की कमी हो रही है, तमाम राज्यों में जो आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, मैं समझता हूं कि उस संकट से भी छुटकारा मिलेगा, उन राज्यों की स्थिति सुधरेगी, वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो हमारे देश में बहुत सारी प्रगति होगी। हमारे देश में सब कुछ होने के बावजूद भी लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये की कीमत वाले खनिजों का हम आयात करते हैं। इसके बावजूद हम खनन नहीं कर पा रहे हैं और हम विदेशों पर निर्भर हैं। हम क्यों नहीं अपने यहां उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते है, हम क्यों नहीं बढ़ायें? ऐसा सोच कर यह विधेयक लाया गया है। 2018-19 में हमारा आयात सवा लाख करोड़ रुपये का था। इतना ज्यादा आयात हम करते रहे।

महोदय, इसके साथ-साथ इस विधेयक को लाने से हमें जो लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। इस विधेयक के आने से, पारित होने से, यद्यपि यह लोक सभा में पारित हो गया है, राज्य सभा में भी आप सबके सहयोग से यह पारित होना है। इस विधेयक के आने से कैप्टिव संयंत्रों द्वारा खनिजों की बिक्री, खनिजों का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने में सहायता होगी। खनिज उत्पादन में वृद्धि होने से लागत में कमी आएगी, बाजार में अयस्क कीमतों में स्थिरता आएगी और राज्यों में अतिरिक्त राजस्व का सृजन होगा। जिस प्रकार से आज खनिजों की कमी से कहीं पर अधिक रेट हो जाते हैं, कहीं पर कम रेट हो जाते हैं, तो जब इसका फ्लो बना रहेगा, पर्याप्त खनिज रहेगा तो मूल्य भी स्थिर रहेगा और जब मूल्य स्थिर होगा तो उसका सीधा लाभ हमारे देशवासियों को मिलेगा। यह संशोधन खनिजों के कैप्टिव प्रयोग के प्रतिबंध के बिना भविष्य में खनिजों की नीलामी की व्यवस्था करके कैप्टिव कोयला खानों सहित मौजूदा कैप्टिव खानों को 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति देकर कैप्टिव एवं मर्चेन्ट खानों के बीच के अंतर को दूर करेगा। यह नीलाम की गई खानों और सरकारी कम्पनियों को खानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कम्पनियों के पट्टे के विस्तार और पट्टा प्रदान किये जाने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान करेगा। इस बिल में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि केन्द्र सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। जो भी नीलामी होगी, प्रदेश सरकार की सहमति से होगी। नीलामी में जो भी राशि प्राप्त होगी, वह राज्य के विकास के लिए राज्य में खर्च होगी। यह

इतना अच्छा विधेयक लाया गया है, उसके बावजूद आप अनेक तरह की विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सभी को समर्थन करते हुए इसे पास करना चाहिए। यह नीलाम की गई खानों और सरकारी खानों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी कम्पनियों के खनन पट्टे के विस्तार और पट्टा प्रदान किये जाने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान करेगा। यह पट्टेदार बदलने पर खनन कार्यों में निरन्तरता और खनिज के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा और उसी खदान के लिए फिर से मंजूरी प्राप्त करने की निरर्थक प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। खनिज क्षेत्र को जब हम नीलाम करेंगे तो उसके साथ-साथ उसके पहले इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं, साथ में उनके भी ट्रांसफर होने से इन सबकी मंजूरी के लिए जो अनावश्यक समय लगता था, वह समय बच जाएगा और उसका लाभ सीधे प्रदेश को मिलेगा और उनके खाते में सीधे राशि आएगी।

यह उन परिस्थितियों में सरकारी कम्पनियों को अल्पकालिक खनन पट्टे प्रदान करेगा, जहाँ धारा 8 की उपधारा (4) के अनुसरण में की गयी खानों की नीलामी विफल रही है। महोदय, बहुत सारे राज्यों में आज भी नीलामी के लिए मामले पेंडिंग पड़े हैं। उन राज्य सरकारों ने केन्द्र की ओर से इतना आग्रह करने के बावजूद अपनी रुचि नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उन खनन क्षेत्रों की नीलामी नहीं हो पायी। आखिर में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो राज्यों का ही हो रहा है। राज्यों के खाते में इतनी बड़ी धनराशि जो उन्हें प्राप्त होने वाली थी, उस धनराशि से वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की बेहतरी के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जातीं, लेकिन यह सब नहीं हो पाया। इसलिए इसमें नीलामी में सुविधा मिलेगी और सरकारी कम्पनियों को - जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा था कि सरकारी कम्पनियों की स्थिति खराब हो जाएगी, तो ऐसा कहीं नहीं है। उनके लिए प्रदेश सरकार कभी भी आवंटित कर सकती है।

महोदय, यह जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा निधि की स्थापना और उपयोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकारिता प्रदान करता है। यह बहुत जरूरी था। बहुत सारे राज्यों में जिस प्रकार से DMF का दुरुपयोग हुआ, उसकी विस्तृत चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन जिस प्रकार से DMF fund का दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार से राशियों की हेराफेरी की गयी, अभी-अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा भी यह कहा गया कि एक collector किस प्रकार से मनमानी करता है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में, कमीशनखोरी में लगा हुआ है, बाकी सदस्य भी इस बात की सहमति दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसी से छुटकारा पाने के लिए केन्द्र द्वारा इस विधेयक में अभी एक नया प्रावधान किया जा रहा है कि माननीय सांसदों का जो इसमें कोई रोल नहीं होता था, तो राज्य सभा के माननीय सांसद, लोक सभा के माननीय सांसद भी उसमें मेम्बर रहेंगे। इससे निश्चित तौर पर पारदर्शिता भी आयेगी। अब इसके लिए नयी guidelines बनेंगी कि हमें किन-किन मदों में कितना खर्च करना है, ये guidelines बननी बहुत जरूरी हैं, वरना यह प्रदेश और जिले के कलेक्टरों की मनमानी की वजह से नहीं हो पाएगा। DMF fund जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है - उन गाँव, गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए, उन जरूरतमंद लोगों के लिए, जो विस्थापन की समस्या झेलते हैं, जहाँ mining होती है, वहाँ तरह-तरह की समस्याएँ झेलते हैं, उन क्षेत्रों में कैसे विकास हो सके, वहाँ के लोगों की बेहतरी के

लिए, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास की योजनाएँ, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके तमाम तरह के इलाज के लिए, अन्य सब संसाधनों के लिए उनके लिए क्या-क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसके लिए आगे आने वाले समय में DMF में प्रावधान किया जाएगा, इसलिए मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक को सब मिल कर स्वीकृत करें।

महोदय, इसके साथ ही साथ इसमें नीलाम नहीं की गई खानों के रियायतधारकों के ऐसे लम्बित मामले बन्द होंगे, जहाँ 5 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद भी खनन पट्टे नहीं दिये गये। लम्बित मामलों के बन्द होने से सरकार राष्ट्रहित में बड़ी संख्या में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी कर पायेगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ब्लॉक्स में शीघ्र कार्य शुरू किया जा सकेगा और राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। महोदय, उन्हें जो समय दिया गया है, जो अनुबंधित समय है, उस समय में अनिवार्य रूप से उन्हें mining करनी ही होगी और सिर्फ mining ही नहीं करनी होगी, बल्कि उत्पादन के बाद उसे dispatch भी करना होगा। इसके लिए उन्हें इसमें बाध्य किया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की शंका-आशंका की बात नहीं है। यह सही सोच लेकर लाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि इस देश को कैसे प्रगति के पथ पर हम आगे ले जाएँ, आगे आने वाले 5 सालों में हम किस प्रकार से इस देश को खड़ा कर सकें, जहाँ गाँव, गरीब, किसान, मजदूर कभी अपने आपको असहाय महसूस न करें, बल्कि उन विस्थापित क्षेत्रों में भी, उत्खनन क्षेत्रों में भी, वहाँ के लोगों को भी बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, Shri Syed Nasir Hussain. You have seven minutes to speak.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to oppose the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021.

Sir, I come from a mining district called Bellary in Karnataka. Karnataka contributes about one-fourth of the country's annual iron production and 60 per cent of that come from Bellary, from the 124 mines which are in the forest area. सर, मैं अभी खास करके मंत्री जी को सुन रहा था, ये बार-बार कह रहे थे कि 2015 के पहले, 2015 के पहले-- 2015 के पहले बहुत कुछ हुआ। 2015 के पहले कर्णाटक में एक लाख करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम हुआ। 2011 में कर्णाटक के लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को indict किया गया था और अभी जो करेंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनको 2011 में resign करना पड़ा था and he was arrested in that case. उसके बाद बेल्लारी के बीजेपी के जितने भी मंत्री थे या एमएलएज़ थे या एमएलसीज़ थे, उनमें से ज्यादातर लोग जेल जाकर आए हैं और उनमें से कुछ लोग अभी भी मंत्री हैं। मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि इस बार भी कुछ दिन पहले जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसमें एक मंत्री, जो indicted हैं, उनको फॉरेस्ट

मिनिस्ट्री दी गई थी and there was such a huge uproar from the civil society groups and then, he had to be divested from that portfolio. आज ये लोग यहां पर लगातार ऐसी बात कर रहे हैं...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Nasir Hussain*ji*,... ...*(Interruptions)*...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, allegations cannot be made against the State....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Under which rule? ...*(Interruptions)*... Hussain*ji*, you please carry on.

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक) : सर, लोकायुक्त की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें इनके जो 'हम दो, हमारे दो' में से एक, अदानी इंटरप्राइजेज़ indict रहे थे। मैं यह बात बार-बार इसलिए सामने ला रहा हूँ ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर**) : नासिर हुसैन जी, better होगा कि आप बिल पर रहें। राज्य के विषय में नहीं, बल्कि बिल के बारे में बोलें।

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, यह बिल का हिस्सा है। Sir, the House would remember that the Supreme Court had to step in to ban mining on the basis of report by the Central Empowered Committee. I would like to emphasize, that in 2011 story, it was not the mining mafia and it was not the political class but it was the people of Bellary and the environment which was suffering. Once again, through this Bill, the losers of unfettered mining operations would be the people and the environment which the big corporate players would leech off their precious resources and capitalize on them.

Sir, the Bill opens more mining sites to private players including re-allocating current public sector owner sites to private players and is basically trying to benefit the mining barons in this country. सर, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें इतनी बार, यानी 2015 में, 2016 में, 2020 में और 2021 में अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं? क्या यह मिनिस्ट्री capable नहीं है कि एक बार सारे अमेंडमेंट्स लाकर, उन पर डिस्कशन करवा कर, इसमें अमेंडमेंट करवा दे? माननीय सदस्य चिदम्बरम साहब ने बजट पर जो reaction दिया था, मुझे उनकी एक बात याद आती है, 'The most important thing about this Government is the incompetence and because of the incompetence that this economy of our country which was one of the fastest-growing economies during the UPA time is now one of the fastest-declining economies in the world.' ये बार-बार जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं,

आखिर इसके पीछे कौन-सी लॉबी है? आखिर इनको कौन बार-बार फोर्स कर रहा है कि हर साल, हर 6 महीने पर ये इसमें अमेंडमेंट लेकर आते हैं?

अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि 2015 के पहले चिट्ठी आती थी और माइनिंग ब्लॉक दिया जाता था। इन्होंने 2014 के चुनाव से लेकर अब तक सिर्फ allegations लगाए हैं, लेकिन आज तक किसी को भी prove नहीं कर पाए कि किसने किसको चिट्ठी दी थी और किसकी वजह से क्या आया है, लेकिन इतना साफ है कि अब कुछ लोगों से, 'हम दो, हमारे दो' से चिट्ठी आ रही है, तो ब्लॉक नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी मदद करने के लिए अमेंडमेंट ही हो रहा है। उनके लिए कानून बन रहा है।

सर, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हर साल amendment क्यों आता है? हमारे हिन्दुस्तान में pre-legislative consultancy है, हमारे हिन्दुस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, part of our Parliamentary democracy, part of our parliamentary process, उनमें consultancy होती है, wide-ranging consultations होते हैं और फिर scrutiny होने के बाद ही बिल्स पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। यहाँ पर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आरटीआई एप्लीकेशन को रेफर किया था। एक आरटीआई एप्लीकेशन के हिसाब से इन्हीं की मिनिस्ट्री ने कहा है कि 12,000 से ज्यादा सब्मिशंस हुए थे, लेकिन जब मिनिस्ट्री से पूछा गया, the Ministry responded that the submissions committed for reforms have only been considered. महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि what is the definition of 'committed for reforms'? मतलब, जो आपसे हामी रखते हैं, जो आपसे इत्तेफ़ाक़ रखते हैं, सिर्फ वे ही committed to reforms हैं और जो लोग आपसे differ करते हैं, जिनका opinion आपसे differ करता है, जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता है, इसमें कोई और प्रावधान होना चाहिए, वे committed to reforms नहीं हैं?

सर, यह बात लगातार हो रही है कि हम federal structure को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बैठकर स्टेट्स को strengthen करना चाह रहे हैं, हम यहाँ बैठकर डिस्ट्रिक्ट्स को strengthen करना चाह रहे हैं। सर, मैं डीएमएफ (Districts Mineral Foundation) की बात करना चाहता हूँ, मैं Bellary में उसका मेम्बर भी हूँ। यह डीएमएफ क्या करता है? जहाँ भी mining activity की वजह से environment खराब होता है, crops खराब होती हैं, एग्रीकल्चर में दिक्कतें पैदा होती हैं, पॉल्युशन बढ़ जाता है, जो migrant labours के issue होते हैं, जो displaced communities होती हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, इस डीएमएफ का इस्तेमाल उनकी मदद करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस करने के लिए किया जाता है। डीएमएफ के मेम्बर्स कौन होते हैं? लोकल एमएलएज़, एमएलसीज़, लोक सभा और राज्य सभा मेम्बर्स होते हैं। ये जो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करता है, सर, डीएमएफ के मेम्बर्स elected representatives हैं। अगर वे बैठकर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तय नहीं करेंगे, तो क्या आप दिल्ली में बैठकर तय करेंगे? आप 2015 से पहले बार-बार कहते थे कि दिल्ली से तय होता है, दिल्ली से तय होता है। आखिरकार, यह जो आपकी सोच है, यह जो one nation, one election; one nation, one culture; one nation, one party; one nation, one leader की सोच है, आप amendments को उसी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सर, अलग-अलग

स्टेट्स की, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग-अलग समस्याएं होती हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, district-specific और State-specific प्रॉब्लम्स होती हैं। डीएमएफ को डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट के representatives के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह उन्हें ही डिसाइड करना चाहिए कि वहाँ पर लोकल क्या होना चाहिए।

सर, इसके अलावा, इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन शायद एक विषय को किसी ने रेफर नहीं किया था। The Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill, 2011, इंट्रोड्यूस किया गया था। 15वीं लोक सभा के dissolution की वजह से वह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसमें National and State Mining Regulatory Authorities का recommendation था। इस बिल में किसी regulatory authority का recommendation नहीं है। अगर पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को level-playing field कराना है, तो हमें एक regulatory authority चाहिए। जब यह electricity में है, telecom में है, और दूसरे सेक्टर्स में है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा transparency भी होगी और फायदा भी होगा।

सर, captive mining की बात की गई है। पहले यह बोला गया था कि जिनका end usage है, सिर्फ उन्हीं को mines दी जाएंगी। इसके बाद, उन्हें पिछले साल ही 25 परसेंट सेल करने की आज़ादी दी गई थी और अब 50 परसेंट सेल करने की आज़ादी दे रहे हैं। आखिरकार, यह लॉबी कौन है, जिसकी वजह से आप यह amendment ला रहे हैं और इस तरह की छूट दे रहे हैं?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, मेरा कहना यह है कि सिर्फ कुछ लोगों को बेचने की आज़ादी नहीं देनी चाहिए। हिन्दुस्तान में transparency होनी चाहिए। तमाम वे लोग, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए इसे transparent भी कर दीजिए और ओपन भी कर दीजिए, ताकि इसमें और लोगों को level-playing field मिल जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : धन्यवाद। अब समाप्त कीजिए।

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, एक मिनट और दे दीजिए। सर, इसमें auction की बात की गई है। Sir, only the State can be the owner of the mine. Only the State can be the owner of the land. Only they have the right to auction. The Centre cannot interfere in that and this is, particularly, being done to help few crony capitalists. We have been continuously saying and we are again saying this, Sir.

5.00 P.M.

सर, फाइनली मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...1973 में इंदिरा गांधी जी ने nationalize करके Coal India Ltd. बनाया था, उसके बाद ही discipline आया था।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, अब आप समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : मैं इस सरकार से यह अपील करूँगा कि इसको सेलेक्ट कमिटी में भेजे, ताकि इस पर विस्तार से डिस्कशन हो, wide-ranging consultation हो ...(**व्यवधान**)... रिफॉर्म के नाम पर ये जो लूट मचाना चाह रहे हैं, उससे देश को बचाया जाए। Thank you so much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Shri Joginipally Santosh Kumar; not present. अशोक सिद्धार्थ जी, आपका नाम पुकारा गया था, लेकिन आप नहीं थे। आप दो मिनट बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...आप शुरू करें, नहीं तो दो मिनट ऐसे ही निकल जाएँगे।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : सर, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है। विकास और विनियम समय की माँग है, लेकिन उसमें नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। मान्यवर, जब मैंने इस बिल का अध्ययन किया, तो एक बात स्पष्ट हुई कि भारत में लगभग 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17.4 प्रतिशत क्षेत्र खनिज सम्पदा से भरपूर है, लेकिन मात्र 1.7 परसेंट क्षेत्र ही हम अन्वेषित कर पाए हैं और वर्तमान में मात्र 0.25 परसेंट क्षेत्र में ही उत्खनन का कार्य चल रहा है। उसका कारण यह है कि जो दोहन का तरीका रहा है, वह एकतरफा रहा है, बल्कि यह कहा जाए कि वह शोषण करता रहा है। माइनिंग सेक्टर देश के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा अनियमितता, भ्रष्टाचार इसी माइंस और मिनरल सेक्टर में रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमें आज भी 250 मिलियन टन कोयला आयात करना पड़ रहा है, जिससे 1.5 लाख करोड़ की हमारी विदेशी मुद्रा का क्षय होता है।

महोदय, भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया के चार शीर्ष देशों में शामिल है। एक सर्वे के अनुसार 326 मिलियन टन कोयला रिज़र्व है। आज भी देश की 70 से 80 परसेंट ऊर्जा की पूर्ति इसी सेक्टर के द्वारा होती है, लेकिन कुल कोयला उत्पादन का 84 प्रतिशत उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड करता है, जिसमें 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बिल के पास होने के उपरान्त, सबसे बड़ा अंदेशा इस बात का है कि जिस तरह से दूरसंचार के क्षेत्र में जब निजी कंपनियों का प्रवेश हुआ, जब जियो एवं तमाम अन्य कंपनियाँ आईं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान बीएसएनएल को पहुँचा, जो कि सरकारी और फायदे वाली कंपनी थी, उसी तरीके से, कोल इंडिया लिमिटेड में जो तीन लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें अगर हम 22.50 परसेंट एससी-एसटी के जोड़ें, तो उनकी हिस्सेदारी एक बड़ी मात्रा में बनती है, अगर कोल

इंडिया के साथ भी बीएसएनएल जैसा हश्र हुआ और वह बेचा गया, तो इस देश के सबसे बड़े वर्ग का सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अशोक सिद्धार्थ : मान्यवर, अब मैं सिर्फ एक मिनट ही लूँगा।

मान्यवर, इन बड़ी कंपनियों की तरफ झुकाव के बाद, जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वह एससी-एसटी के उन क्षेत्रों का होगा, जहाँ पर खनन होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि lease प्रक्रिया सरल बनाई जाए और तथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल एवं ज़ीरो-बेस्ड खनन सुनिश्चित किया जाए। जो हश्र बीएसएनएल का हुआ, वह हश्र कोल इंडिया का न हो, यह बात कहकर मैं चाहता हूँ कि इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Dr. Sasmit Patra; you have six minutes.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Thank you, hon. Vice Chairman, Sir, for allowing me to participate in discussion on this very important Bill which has great bearing on my mineral-rich State of Odisha. At the outset, I thank my leader and hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik for his strong and dynamic leadership in taking several innovative and radical measures to streamline and bring in more transparency in the mining sector. I take this opportunity to thank the hon. Prime Minister for allotting two mines for Odisha. I also thank the hon. Union Minister of Mines, Shri Pralhad Joshi*ji* for incorporating most of the recommendations sent by our Odisha Government. His efforts in reforming the mining sector through this Bill, is very praiseworthy and I congratulate him for that.

My senior colleague and our Parliamentary party leader in Lok Sabha, Shri Pinaki Misra has already placed on record in the Lok Sabha, a couple of days back, the views of my party in a very descriptive and holistic manner. Since, I have a few minutes left; I will try to be very brief. Under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik Odisha has undertaken path breaking innovations and reforms in the mining sector. The enactment of OMPTS Rules, 2007 to check illegal activities in mineral sector, development and operationalization of i3MS software platform to digitise the entire gamut of transactions of the mineral sector, the introduction of Vehicle Tracking system to track all ore-carrying vehicles are just a few of the interventions that have made Odisha proud.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.]

Odisha is among the few States to have successfully conducted auction of mineral blocks and ensured commencement of production. The 5T mantra of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has become the backbone of the entire effort to streamline the production and despatch. Use of augmented reality technology for sampling grid, drone imagery for stacking evidence, modern tools and machineries for sampling will ensure faster sampling, analysis, transparency while safeguarding Government revenues. The present set of reforms proposed by the Ministry of Mines are aimed at enabling the sector realise its true potential. The prospecting regime and exploration of mineral resources has been one of the major roadblocks facing the sector. The proposal to delete section 10 A (2) (b) and Section 10 A (2) (c) is a step in the right direction and our State Government completely agrees with this proposal. Similarly the proposal to allow private entities to be engaged in the exploration work is a very welcome step. There is no denying the fact that some of the amendments proposed in the Bill had been long overdue. The substituting of the words "composite licence" against the words "prospecting licence-cum-mining lease" wherever they occur except in Clause (a) of Section 31, is a very welcome step. Similarly, redefining "composite licence" to mean "prospecting licence-cum-mining lease" which is a two-stage concession granted for the purpose of undertaking prospecting operations followed by mining operations in a seamless manner is likely to foster bringing in more number of mineral blocks to the auction fold. The proposal to substitute the words "production and dispatch" in place of "mining operations" in sub-section 4 of section 4A of the principal Act, will make the meaning of default very clear. Sir, there are two concerns which I would like to share with the hon. Minister and hope that he would clarify in his reply. Firstly, the proviso in which in cases where such auction or re-auction process is not completed by States within a given time, the Central Government may conduct auction for grant of mining lease for such area after the expiry of the period so specified. Another proposal is to provide the power to Central Government to conduct auction in cases where the State Government faces challenges in conduct of auction or fail to conduct auction. On this issue, we have the concerned and considered opinion that inclusions of these provisions give unbridled powers to the Central Government. It is, therefore, necessary that such powers are exercised judiciously, only in exceptional circumstances and after due consultation with the concerned State Government. Hon. Minister may please clarify. Another provision is regarding the proposed insertion of a proviso to Section 98 sub section

(3) which stipulates "Provided that the Central Government may give directions regarding composition and utilisation of fund by the District Mineral Foundation". Our State Government has been in consultation and has had disagreement on this issue. Both the Central and State Governments work for the welfare of our people. We are both partners in this process. Therefore trust must be there between both, and I see no reason why the State Government cannot take up a project which is beneficial for the people and is in accordance with the rules framed for DMF. I request the hon. Minister to kindly clarify. Before closing, Sir, I have one humble submission to make. Presently, the MLAs and Lok Sabha MPs of the DMF Districts have a say in planning DMF. It is necessary to have the Rajya Sabha MPs in the nodal districts to be a Member of the DMF District Committee so that convergence of resources and ideas can take place. This provision should also be made in the Bill itself. In closing, Sir, I wish I could have had more time to express in detail, but since my time is just over, and I have got another minute, in closing, I congratulate hon. Minister, Shri Pralhad Joshi, for his efforts as for as this Bill is concerned. I am sure that the concerns of the States like Odisha will be taken care of by this Bill. With these words, we support this Amendment Bill. Thank You.

श्री समीर उरांव (झारखंड) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक पर सदन में अपने विचार रखने के लिए जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत विश्व में खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहां पर 95 प्रकार के खनिज मिलते हैं। इस देश के अंदर खनन क्षेत्र में रोज़गार की बात होती है, तो तीसरे स्थान पर इस क्षेत्र से रोज़गार प्राप्त होता है।

उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस समय इस सदन के अंदर खनन क्षेत्र की बात हो रही थी कि आदिवासी समुदाय के लिए यह हुआ, यह नहीं हुआ, इस प्रकार की बातें सदस्यों के द्वारा की जा रही थीं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां-जहां खनिज है, वहां-वहां आदिवासी निवास कर रहे हैं और जहां-जहां आदिवासी निवास कर रहे हैं, वहीं पर खनिज का भंडारण है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जिन्होंने इस देश के अंदर सत्ता संभाली थी, उन लोगों ने इन सारे विषयों पर कभी चिंता नहीं की। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि झारखंड के अंदर सिंहभूम और ओडिशा के मयूरभंज के क्षेत्रों में आदिवासियों की आय कितनी है? केवल पांच हज़ार रुपये तक ही है। ये स्थिति इन दिनों तक क्यों बनी हुई थी? अगर इन सारे क्षेत्रों में उस समय बदलाव होता, उनके लिए लोग विचार करते, सोचते, योजना बनाते, तो निश्चित रूप से आज यह स्थिति नहीं होती। कुछ सीनियर लीडर्स यह भी कह रहे थे कि इस विधेयक के बारे में जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? कौन-सा पहाड़ टूटा जा रहा

था, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से इसके बारे में नहीं सोचा गया, इसको लेट किया गया, जल्दी नहीं की गई। आज देश के अंदर जितनी भी जगहों पर खनन क्षेत्र है, वहां आदिवासी रहते हैं, उनकी स्थिति बदतर बनी हुई है।

उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उन दिनों सदन के अंदर उनकी संवैधानिक स्थितियां कैसे ठीक हों, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे ठीक हो, कैसे विकास के रास्ते आगे बढ़ें, तो इस दिशा में हमारे झारखंड के आदिवासी लीडर स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी इन सारी समस्याओं का निदान करने के लिए स्वतंत्र विधेयक भी लाए थे। उनकी स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी आगे प्रगति कैसे हो सकती है, वे कैसे विकास के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को किसी षड्यंत्र के तहत इस सदन के अंदर ही दफन कर दिया गया। अगर ये सारी चीज़ें होतीं, तो आज जो यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये बातें कभी नहीं आतीं। वे समाज की मुख्य धारा में जुड़कर रहते और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते। इन सारी चीज़ों को ऐसा किसने किया?

उपसभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज के दिन में पूरे देश में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं। ये खनिज सम्पदा के भंडारण के क्षेत्र में रहते हैं, जहां से इस देश के विकास के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए खनिज संपदा उत्पादित की गई, उनके लिए इस देश के संसाधन का पहला अधिकार नहीं दिया गया, उनके लिए इस देश के संसाधन के पहले अधिकार की लोगों ने सिर्फ बातें कीं। अगर उस समय इन लोगों के लिए चिंता की होती, तो वे देश के संसाधनों का पहला अधिकार आदिवासियों को देने की बात करते, लेकिन उन दिनों यह बात नहीं की गई। आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने "सब का साथ", "सब का विकास" और "सब का विश्वास" के साथ यह विकास आगे बढ़े, इसी दृष्टि से खनन क्षेत्र के विनियमन में बदलाव होना चाहिए। वर्ष 2015 से पहले कई ऐसे विधेयक थे, नियमन थे, जिनमें त्रुटियां थीं, जिनके कारण उत्पादन में कमी हो रही थी। उत्पादन में कमी होने के कारण आयात करना पड़ रहा था और यहां उत्पादन में कमी होने के कारण रोज़गार भी नहीं मिल रहा था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री और आदरणीय खान मंत्री जी इस विधेयक को लाए हैं। यह बहुत ही सकारात्मक, रचनात्मक और विकासात्मक विधेयक है। इसलिए मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं।

उपसभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे उन दिनों के विधेयक में जो त्रुटि थी, उसके कारण प्रदेशों को जो माइनिंग की नीलामी करने के लिए अधिकार दिए गए थे, उसमें चाहे उस प्रदेश के अंदर कुछ चुनौतियां होंगी या असमर्थता होगी, जिसके कारण वे नीलामी का काम नहीं पाए और क्या हुआ कि खान क्षेत्रों में रहने वाले चाहे कोई भी हों, खासकर वहां ज्यादा आदिवासी भाई रहते हैं, वहां पर रोज़गार सृजन नहीं हुआ, राज्य के लिए राजस्व नहीं मिला, उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए आयात भी करना पड़ा और बेरोजगारी भी बढ़ी।

महोदय, मैं प्रकृति वैभव से सम्पन्न झारखंड राज्य से आता हूं, जिसके गर्भ में विभिन्न खनिज रत्नों का अनमोल खज़ाना है, मगर जिसकी गोद में आज भी भूख, गरीबी और बेरोजगारी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम जो सिंहभूम के चाईबासा की बात करते हैं, तो वहां इस प्रकार से

नहीं हुआ, जिसके कारण वहां हमारे हज़ारों आदिवासी भाई-बहन आज बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज जो नया विधेयक आ रहा है, अगर यह पारित हो जाता है, तो निश्चित रूप से वहां पर खदानें खुलेंगी, वहां के लोगों के रोज़गार मिलेगा, निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और वहां के लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे कोल माइन के क्षेत्र में झारखंड के अंदर भुरकुंडा, उरीमारी, बलकुदरा और उधर के सयाल डी जैसे माइन के जो क्षेत्र हैं, वहां बहुत पहले से कोल माइन्स हैं, लेकिन कई प्रकार के नियमनों, कई शर्तों को पूरा न करने के कारण आज वह भी बंद पड़ा हुआ है और आज वहां चार से पांच हज़ार से ज्यादा मजदूर रोज़ आंदोलन कर रहे हैं। वहां रोज़गार ठप हो गया है, उत्पादन ठप हो गया है, राज्य के राजस्व भी वहां पर ठप हो गए हैं। इस विधेयक में निश्चित रूप से जो प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान होने से पहले से जो अनुमति, अनापत्ति जो मिली हुई है, वही नियम फिर से आगे उनके लिए मान्य होगा। इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, इसीलिए निश्चित रूप से यह बहुत ही अच्छा विधेयक लाया गया है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार खनन से प्रभावित लोगों के विकास, खनन संबंधी कार्य को कर रहे श्रमिकों व व्यापारियों, खनन संबंधित नीतियों में सुधार के उद्देश्य से इस अधिनियम को संशोधन हेतु लाई है। अतः राष्ट्र हित व जनहित में लाए गए इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I am grateful to you for giving me five minutes. Sir, 14 parties have spoken today. Out of the 14 parties that have spoken, two have supported the Bill one hundred per cent, one party has supported the Bill, but with two serious concerns on two provisions and eleven parties have requested that it be referred to a Select Committee -- 11-2-1. The consensus, by any definition of the word 'consensus', today is that the Bill should go to a Select Committee. However, the Government is unlikely to agree and respect this consensus. I am well aware of it, but I do want to place on record that by passing this Bill today, we are going against the general consensus that exists this afternoon. Eleven out of 14 parties want it to be referred to a select committee and even the party that has supported this Bill has expressed two very serious reservations on this Bill. This is the first point I would like to make.

The second point I wanted to make is that my senior colleague, Digvijaya Singhji, has quoted two letters — one from the NITI Aayog and the second one from the Department of Economic Affairs — that have raised serious questions on Clause 13 of this Bill. And, my senior colleague will authenticate these letters and lay them on the Table of the House, so that they become part of the record that in spite of what the NITI Aayog has said and in spite of what the Finance Ministry has said, the Ministry of Mines has introduced Clause 13 in this Bill.

My concern on this Bill is this. We are all for reforms. Who can be against reforms? Reforms increase employment. Reforms protect environment. Reforms reduce corruption. Every political party will support these reforms. That is not the question. We are the Council of States and the test of any Bill in this House is: Does it respect the constitutional rights of States or does it violate the constitutional rights of States? I say with full authority and responsibility that Clause 10 proposed to amend Section 9B and Clause 14 proposed to amend Section 10B completely encroach upon the rights of the State Governments. And, we have seen today that political parties, normally supportive of the Government, have opposed this Bill on these two grounds. Clause 10(i) gives the Central Government blanket powers to determine composition and functioning of the District Mineral Foundation. Today, the District Mineral Foundation has a corpus of something like Rs. 37,000 crores and every year this increases by Rs. 6,000 crores to Rs. 7,000 crores. The Central Government, through Clause 10(i), is telling the State Governments, is telling the district administration, 'we, the Central Government, have the powers to determine the composition and the manner of utilization of funds of the District Mineral Foundation.' If this is not a slap on the face of State Government, I fail to say what else constitutes a slap. So, Clause 10(i) is a poisonous provision that abrogates the rights of States.

Finally, I come to Clause 14 (iii). My friend, Sasmit Patraji, has raised this. He has supported this Bill enthusiastically. But, he has also raised this question that Clause 14(iii), basically, provides powers to the Central Government to decide on auction when the State Government is unable to auction. Now, Sir, a very funny word, 'consultation' is used. Does 'consultation' mean 'concurrence?' Or, does 'consultation' mean just informing the States? The experience has been 'consultation' means telling the States this is what needs to be done.

So, Sir, Clause 10(i) is violative of States' rights and Clause 14(iii) is a complete mockery of the State Government's powers and responsibilities. And, because of this fact and because this Bill completely negates the powers, responsibilities and constitutional obligations of State Governments, eleven political parties have requested that this Bill go to a Select Committee. I am not even talking about other issues of privatization, weakening of public sector, etc. They are completely separate issues. But, only on the ground that it violates the rights of States, this Bill must be referred to a Select Committee. The Rajya Sabha would be failing in its duty if this Bill does not go to a Select Committee.

I request the hon. Minister, who unfortunately is not present as I am speaking, to think again. But, I am sure, the sentiment will be conveyed to him. He has just entered. I am sure, the sentiment will be conveyed to him that 11 out of 14 political parties want this Bill to go to a Select Committee and even one political party that has supported you completely has serious reservations on two of the provisions which make a mockery of the rights and responsibilities of the State Governments. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Minister's reply. ...*(Interruptions)*...

एक माननीय सदस्य: हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री उपसभापति : आपने नाम नहीं दिया, बिना नाम दिए मौका नहीं मिलेगा।

SHRI PRALHAD JOSHI: Mr. Deputy Chairman, Sir, almost eighteen hon. Members have participated in this discussion. I am thankful to all of them.

First, I would like to refer to some of the points which have been either knowingly opposed or convincingly opposed or, sometimes, they might have opposed confusingly. This is what I believe. 4 (a) के बारे में विजयसाई रेड्डी जी भी कह रहे थे, और हमारे साथी भी कह रहे थे कि एक्सप्लोरेशन में NMET में अभी तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है, it is almost around Rs. 2,300 and odd crores. Out of this, only Rs. 308 crores have been used. NMET का पैसा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसीज़ को देते हैं और एक्सप्लोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से एम्पेनलमेंट करके we are giving it to the private people, so that if there is more exploration, there will be more mines available for auction. And, when these mines will be auctioned, the entire revenue will go to the State. This was one issue that had been raised.

The second issue was with regard to sale of minerals by captive mines. इसमें यह कहा गया कि पीएसयू को आप नुकसान पहुंचाते हैं। पीएसयू भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 50 प्रतिशत तक सेल कर सकते हैं। I will tell you an example. Recently, there was shortage of iron ore because 2020 में मर्चेंट mines खत्म हुआ था। उसके खत्म होने के बाद हमने कुछ प्रयास किए थे और प्रयास करके सभी क्लियरेंसेज़ को ट्रांसफर भी कराया था। फिर भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ऑक्शन की रिजीम fail करने के लिए बहुत हाई प्राइस quote किया, लेकिन बाद में उसे प्रोडक्शन और ऑपरेशन में नहीं लाए। इस कारण प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हमने सेल इंडिया को 75 मिलियन टन सेल करने के लिए अनुमति दी। यह ऐसे ही पड़ा था। बरसों से बरसों तक। What was that? Over the years, it had accumulated because they were not able to sell that as that was a captive mine and they used to use only a particular grade बाकी सब ऐसे ही पड़ा था, पहाड़ जैसा बन गया था। It was creating environmental

hazard too. Now, after meeting their requirements, we are allowing them to sale 50 per cent. वह पैसा राज्यों को जाता है, सेंटर को नहीं मिलता है। हम तो यह संशोधन करके राज्यों की मदद कर रहे हैं। States will get the benefit. जैसे अश्वनी जी ने बताया, मैं कहना चाहता हूं कि यह 50 प्रतिशत हम लोग कर रहे हैं। अगर हम आयरन ओर का mine देते हैं, तो उधर मैंग्नीज़ भी मिल सकता है। वह manganese ore. As per the existing law, that manganese ore cannot be sold. Consequently, that remains stocked as it is and is going to be wasted. इसमें बदलाव लाकर हम क्या गलती कर रहे हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आंध्र प्रदेश के बारे में विजयसाई रेड्डी जी जिक्र कर रहे थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अभी सदन में नहीं हैं। I would like to tell Vijayasai Reddy*ji* that your Government has supported all the reforms. इसमें यह कहना कि राज्य सरकार से कंसल्ट नहीं किया, तो हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा था और इसके लिए हमने 15 दिन दिए थे। जैसा दिग्विजय सिंह साहब बता रहे थे, that was for supplementary amendments. The original amendments were sent in the month of, I think, June or July last year. Consultations for over eight to ten months were held. We reminded the State Governments to give their views. About 13 State Governments have given their views. आप 10A(2)(b) के बारे में कह रहे थे। 10A(2)(b) के बारे में छत्तीसगढ़, वहाँ आपकी गवर्नमेंट है, झारखंड में आप गवर्नमेंट में भागीदार हैं, they have supported us. Not only have they supported but, in turn, they have written; in advance, they have written कि आप 10A(2)(b) को खत्म कर दो। हम खत्म कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरा निवेदन इतना ही है कि आपकी पार्टी में भी पहले तो आपके बहुत बड़े ...(**व्यवधान**)... मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो नेता हैं, आप तो पहले उन लोगों को बहुत सलाह देते थे, वे आपकी सलाह बहुत मानते थे, लेकिन शायद आज-कल नहीं मान रहे हैं। आपके साथ consultation नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो सबके साथ consultation कर रहे हैं। इसके कारण ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, उन्होंने जो comment किया ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : आप बिल पर बोलिए।

श्री प्रहलाद जोशी : मैं बिल पर ...(**व्यवधान**)... उन्होंने मुझसे जो कहा, मैं उसका reply दे रहा हूँ कि हमने consultation नहीं किया है और बीच में हमारे कर्णाटक के मित्र कह कर गए कि "हम दो, हमारे दो", क्या यह सब बिल के बारे में था? मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरा argument थोड़ा सुनिए। ...(**व्यवधान**)... आप कृपया मेरा argument सुनिए। दिग्विजय सिंह साहब और सबको मैंने यहाँ बैठ कर सुना है। Kindly listen to me. When you were saying that, 'you did not consult', मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने आपके साथ consult नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। They have left

you out. अभी वे जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी को ज्यादा consult कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब, इसमें मेरी गलती क्या है, आप पूछ कर आइए न! छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट इसको support करते हैं, तो मैं क्या करूँ? They have supported us. आपने यह भी कहा, actually मैं politics में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा बोला है। 'One Party, One Nation, One Leader' ठीक है, जो हमारे one leader हैं, हम मानते हैं कि वे leader हैं, leader रहेंगे, और कई सालों तक रहेंगे, आप उधर ही रहेंगे, लेकिन वे leader लोगों के द्वारा चुने हुए leader हैं। हमने "One Nation, One Family" तो नहीं किया है! इसीलिए इसमें मत जाइए, यह जो बिल है, technicality के ऊपर है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशी : मैं बिल के ऊपर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़, बैठ कर आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... बैठ कर आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी, आप चेयर को सम्बोधित करें, प्लीज़।

श्री प्रहलाद जोशी : खरगे साहब, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपका सम्मान भी बहुत करता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं थे, इधर यही बातचीत हुई है। ...(**व्यवधान**)... नहीं सर, आपने सुना नहीं। ठीक है, सर, छोड़िए, मैं छोड़ देता हूँ।

महोदय, यहाँ सभी लोगों ने DMF के बारे में कहा है। DMF के बारे में हमने, even now, दो बातों में direction issue किया है। एक तो, आप बहुत बार Standing Committee की बात करते हैं। The Standing Committee, in its Report, has stressed upon spending the DMF on the people in directly affected areas. मंत्रालय को बहुत कम्प्लेन्ट्स आई हैं, माइनिंग हमारे इसमें होता है और कहीं काम होता है, इसलिए हम प्राइयॉरिटी बनाकर डायरेक्शंस, गाइडेन्स भेज रहे हैं। Ultimately, rules-making authority is with the State Government, and it will be spent there itself. We are not asking them to spend out of that district. उसमें लोक सभा और राज्य सभा के एमपीज़ और एमएलएज़ रहेंगे। कर्णाटक के हमारे मित्र कह रहे थे कि डीएमएफ में हम मेम्बर हैं, कर्नाटक में होंगे, लेकिन बहुत से राज्यों में मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेन्ट are not the members of the DMF Committee. इसलिए हम इसमें इनसिस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा पावर लेकर हम क्या कर सकते हैं?

पात्रा जी, मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं, we are not taking away any power. रूल मेकिंग पावर आपके पास रहेगी, और एक्चुअली डायरेक्ट्ली अफेक्टेड एरियाज़ में कितना करना चाहिए, नेशनल प्राइयॉरिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल, माल न्युट्रिशन में कितना रहना चाहिए, इसमें हम कुछ डायरेक्शन्स और गाइडेन्स देते हैं, बाकी सब स्टेट गवर्नमेन्ट्स ही करेंगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। We know that because ultimately it is the District Mineral Fund which is normally headed by the District Magistrate. उसमें एमएलएज़ मेम्बर होंगे, एमपीज़

मेम्बर होंगे और हम रूल्स में इन्क्लूड करके राज्य सभा के मेम्बर्स को नोडल डिस्ट्रिक्ट्स में इन्क्लूड करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि पांच हजार रुपये एक परिवार की आय है, हां ठीक है, उधर गरीबी बहुत है और गरीबी अधिक होने के कारण वहां डेवलपमेन्ट हो, उधर के लोगों को रोजगार मिले, यही सोचकर डीएमएफ बना, इससे पहले डीएमएफ नहीं था। हमें आए हुए छः वर्ष हो गये, अभी सातवां साल चल रहा है। 50-60 सालों से आप ही थे, आप तो डायरेक्ट्ली देते थे, एलोकेशन रूट में देते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन्स नहीं थी, डीएमएफ नहीं था, NMET नहीं था, कुछ नहीं था। मुझे आपने सलाह दी, आप बहुत बुज़ुर्ग नेता हैं, आपकी एडवाइस को मैं बहुत गम्भीरता से लेता हूं, नतमस्तक रहता हूं।..(**व्यवधान**)... आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ...(**व्यवधान**).. बुज़ुर्ग भी हैं, इसमें क्या है, क्या गलती है? ...(**व्यवधान**).. युवा नेता हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आप मोदी-मोदी का जप छोड़कर थोड़ा पढ़ो, तो मैं जरूर पढ़ता हूं, आपकी बात पूरी पढ़ता हूं, फिर से एक बार पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, चूंकि मैं छोटा हूं, क्योंकि जब आप मुख्य मंत्री थे, तब मैं कॉलेज़ में पढ़ता था, इसलिए मैं बहुत छोटा हूं, मैं यह मानता हूं। लेकिन NMET और DMF अलग हैं, आप इतना समझिये। Please understand that. You asked me, एनमेट से आप डीएमपफ में पैसा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, एनमेट अलग है, डीएमएफ अलग है। आपने बताया, आप रिकॉर्ड निकालकर देखिये। As per Section 9(4) "While making the rules for DMF, provisions of 5th and 6th Schedule, PESA, Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act and Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 shall be the guiding principle. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। There is absolutely no compromise; and while acquiring the land, the law of the land is the paramount. इसमें क्या है, whether it is given through auction route or through allotment route, ultimately, it is bounded by the rule of the law. So, there is no question. रीहैबिलिटेशन हो, सब कुछ हो, it will be done as per the law.

फिर आप कह रहे थे कि ऑक्शन का प्रोसेस हमने शुरू किया, यह हमारा ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कॉन्सेप्ट्स बहुत थे, लेकिन कभी इम्प्लिमेन्ट नहीं हुए। On 28.06.2004, the concept of allocation of the captive block through competitive bidding was first made public -- 2004 में। Please note these dates. In 2010, necessary amendments in MMDR Act were made after six years. 6 साल के बाद एक्ट में अमेन्डमेन्ट हुआ। 2004 में कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया, 2010 में amendment किया, and these amendments came into effect from 13.02.2012. Methodology of auction was notified in 2013; 2014 में इलेक्शन आ गया, means, from 2006 to 2014, in 8 years, ऑक्शन करने के कायदे बनाना, रूल्स बनाना, उनका नोटिफिकेशन करना, ऐसा करके आपने 2006 में कितने ऑक्शन किये, 2006 में आपने चालू किया, लेकिन 2014 में ज़ीरो रहा। इस बीच, from 2004 to 2011, amendment करने के बाद 89 mines were allotted in a discretionary manner. ..*(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it was not discretionary. It was through a committee. Committee does not mean discretionary. ..*(Interruptions)*..

श्री प्रहलाद जोशी: Auction तो नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... मैं बताता हूँ। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: It was through a committee. It was an inter-ministerial committee. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रहलाद जोशी: नहीं, नहीं। मैं यह कह रहा हूँ कि auction तो नहीं किया, तो चिट्ठी कहाँ से आयी, उनको दे दिया। ...(**व्यवधान**)... ठीक है, आपने दिया था। बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ...(**व्यवधान**)... अगर आपने जो किया, वह ठीक था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कैंसिल किया? ...(**व्यवधान**)... मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं तथा खाने के और होते हैं। ...(**व्यवधान**)...

सर, कंसल्टेशन की बात हुई। Talking about consultation, more than 10,500 comments were received and consultation note was also circulated to all States. Thirteen mineral-rich States and ten associations have given a reply and six NGOs recorded their comments. Till February, 2021, the total collection made by NMET was Rs. 2,699 crore. यह आपने पूछा था। Expenditure incurred was Rs. 308 crore. Out of Rs. 2,699 crore that were collected, we were able to spend just Rs. 308 crore. Why? इसमें कुछ liberty ही नहीं थी। सारी दुनिया में जहाँ अच्छी माइनिंग हो रही है, चाहे वह आस्ट्रेलिया में हो या साउथ अफ्रीका में हो, प्राइवेट लोग involve हुए थे। ऐसे प्राइवेट लोगों को हम ऐसे discretion पर नहीं दे रहे हैं। उसमें सिर्फ exploration के लिए दे रहे हैं। यह exploration का पैसा NMET से empanelment हो कर एक transparent system में हमें देंगे। Exploration करने के बाद वह mine स्टेट गवर्नमेंट के पास आयेगी और State Government will auction it. इसमें क्या गलती है? ...(**व्यवधान**)... अभी जितनी माइंस पब्लिक सेक्टर को दी गयी हैं, उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सुनिए। हमारे आने के बाद 105 mines का, other than coal, हमने auction किया है। आप पूछ रहे थे। आपने इतना भाषण दिया था कि कितना revenue आपको मिला है, यह बताइए। दिग्विजय सिंह साहब, total revenue was Rs. 8,27,982 crore for States and... ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, just a clarification. Have you received that money or is it just hypothetical?

श्री प्रहलाद जोशी: मैं बताता हूँ, आप बैठिए। हर वर्ष जो खनन होता है, खनन होते ही वह पैसा स्टेट गवर्नमेंट को royalty में, हमारे कालखंड में अभी जो premium शुरू हुआ है, premium, DMF, NMET, सबमें जायेगा और उसके ऊपर GST भी मिलेगा। मैंने इसमें GST calculate नहीं किया है। इस प्रकार पैसा तो आ रहा है। 10A(2)(b) में आपने नीति आयोग के बारे में कहा। नीति आयोग ने पहले oppose किया था, क्योंकि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, यह democratic government है। नीति आयोग को हम नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा ही opinion मिलेगा। हमने सबको distribute किया था। NITI Aayog had opposed it. I agree with that. But, later on, we went and told them what 10A(2)(b) was, how many cases were pending, what the impact of these things would be and that two regimes cannot work because we were already into auction. We said that we have now carried out auction of only 105 mines and if you give 572 mines without auction, in such a big way, no one would come for an auction. That would have become most scandalous. That is why we said that this was needed. Please understand, Digvijaya Singh*ji*. दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको बता रहा हूँ, your own Chhattisgarh Government and your own Jharkhand Government will not accept it because they have written to me that we should not do it; we are not going to do it. क्या यह मेरा mistake है? वहाँ आपके मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। पहले छत्तीसगढ़ वाले आपके साथ थे, इसलिए आपका अच्छा रिश्ता है, आप उनसे बात कीजिए। अगर वे अपोज़ करेंगे, तो बाद में देखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि NITI Aayog has clarified its stand after consultation, discussion and everything. Auction की पावर के संबंध में मैंने पहले भी इसलिए बताया कि there should not be any misconception. I have already quoted the figure. 334 merchant mines got cancelled; out of these, 46 mines were working. हमारी पूरी कोशिश के बावजूद, सिर्फ दो स्टेट्स - ओडिशा और कर्णाटक ने auction किया है। ओडिशा ने सिर्फ auction ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने auction के experience के बारे में बहुत अच्छा सुझाव भारत सरकार को दिया है और हमने उसको incorporate किया है, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हम यह पावर लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन 143 virgin mines have been given to the various State Governments. For the last six years, from 2015, these mines are with the State Government. They are neither allotted nor auctioned. किसको नुकसान होगा? We are importing gold in such a big way. गोल्ड तो छोड़िए, we have the fourth largest resource of coal in the world. अभी तक हम कोल इम्पोर्ट करते हैं and we have lost the foreign exchange of almost Rs.1,50,000 crore. Yes, I can understand the coking coal. We don't have much resources; we are importing it. I can also agree that we are importing crude oil. It is okay because we do not have resources. You are importing coal, but you don't want to give it for exploration. हम प्राइवेट को exploration के लिए नहीं जाना चाहते हैं, auction नहीं करना चाहते हैं, 50 परसेंट सेल करने नहीं देते हैं। हम कोई प्राइवेट को मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बिना auction के किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं यह भी

कहना चाहता हूँ कि जो हमारा allocation route for PSU, it stands good even today. We are not withdrawing that. I would like to tell Andhra Pradesh, especially, that recently you have requested for a mine to be allocated for APMDC. As soon as the Chief Minister spoke to me and the Mines Minister spoke to me and send a request, we allocated it and the PSU is doing it. As and when the request comes, the Government of India is open. Recently, in Odisha, working mines' auction failed because of some vested interests. Then they suggested something and we amended the rules and given it within 20 days. हम पीएसयूज़ को कहाँ बंद कर रहे हैं? हम अभी तक कुल 267 माइन्स पीएसयूज़ को दे चुके हैं। यह कितने वर्षों से है? यह 1980 से, 1990 से ऐसे ही पड़ा है। क्या इसको ऐसे ही छोड़ देना है? जो काम नहीं कर रहे हैं, shouldn't we take it back and auction it? Isn't it our responsibility to do it? ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हम अभी 1,25,000 करोड़ worth produce कर रहे हैं और 2,50,000 करोड़ worth इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या देश ऐसे ही चलाना चाहिए? मैं अपील करता हूँ कि हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हम इसमें कोई politics नहीं कर रहे हैं और स्टेट की कोई पावर withdraw नहीं कर रहे हैं। आप auction के बारे में बहुत stress देकर कह रहे हैं, मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम auction के विषय पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ consultation करेंगे। इसमें कितना समय चाहिए? अगर हम एक बार स्टेट गवर्नमेंट को एक महीना देते हैं -- We will sit with the State Government. We will ask them as to how much time they need to auction it. If they say that they need one year or two years, it is okay, but perpetually हम नहीं करेंगे। Is it the way of governance in the 21st century? Is it not the duty of the State and the Centre together to auction it? We should bring out our minerals. मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कंट्री को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहिए? इसमें यही सोच है, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, Whatever we are giving under clause 4 that is only for exploration, nothing more than that. मुझे इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना है।

महोदय, राम गोपाल यादव साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। I have a lot of respect and regard for him. आपने privatisation of coal के बारे में कहा। We are strengthening the Coal India Limited. For the 'first mile connectivity', I think, we have invested more than Rs.36,000 crores and I have given target to Coal India that by 2023-24 -- because of Covid, it may extend by one year -- that they have to produce one billion ton of coal. Whatever avoidable import is there, I have directed them to stop it. I have told Coal India people, मैंने कोल इंडिया ऑफिसर को बताया कि ऐसे सो जाने से काम नहीं चलेगा। जहाँ भी इम्पोर्ट हो रहा है, Director (Marketing) should go, approach them and he should tell that we will give this type of coal at this rate. I also had a detailed discussion with Shri Piyush Goyal. He was also the Coal Minister and he has guided me also -- Hon. Prime Minister has also guided me -- and he has also considered our request of reducing some of the freight because transportation was a

big cost and we are trying to further work it out. हम भी कोल इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए हम surface mineral mining में कुछ बदलाव ला रहे हैं, G-4 level पर दे रहे हैं। G-4 level पर composite licence दे रहे हैं, G-3 level पर mining lease दे रहे हैं।

महोदय, दिग्विजय सिंह साहब और एक और माननीय सदस्य ने Action Taken Report के बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूँ कि Action Taken Report है, जो कुछ भी हुआ है, उसके अनुसार action लिया गया है।

महोदय, DMF के बारे में पूछा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि total Rs.45,000 crores accumulate हुआ है और उसमें से अभी तक Rs.20,000 crores ही खर्च हुए हैं, almost 45 per cent. हमने कुछ national programme, जैसे malnutrition है या ऐसे और भी विषय हैं, जहाँ actually effect हुआ है -- मैं राज्य का नाम नहीं लूँगा, मैं एक जगह गया था, वहाँ मैंने देखा कि जहाँ mining हो रही है, वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन District Headquarter में एक बहुत बड़ा गार्डन है। यह अच्छा काम है, I am not disputing that, लेकिन पहले District Headquarter में गार्डन होना जरूरी है या पहले जहाँ mining हो रही है, वहाँ पानी होना जरूरी है? हम ऐसे directions देने वाले हैं। There is a complaint that 55 per cent of money is not spent. This is what we are telling and हमारे नासिर हुसैन साहब भी यहाँ बैठे हैं and he was talking about Karnataka. कर्णाटक के विषय में आपने जो कुछ भी बोला है -- उसके बाद 2017 में इलेक्शन हुए, 2018 में इलेक्शन हुए, 2019 में इलेक्शन हुए, तब आपकी स्थिति क्या हुई, यह आपको पता है। अगर आप politically बात करना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन : मैंने जो बोला, वह गलत नहीं था। ...(**व्यवधान**)... मैंने एकदम सही कहा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Mantriji.

श्री प्रहलाद जोशी : हम Mining Bill में G-4 level पर composite licence और G-3 level पर mining licence देने की बात कर रहे हैं। आपको शायद यह जी-3, जी-4 याद नहीं होगा, केवल 2जी का याद होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक 2जी है। ...(**व्यवधान**)... दो 'जी' है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन :*

श्री उपसभापति : कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ मंत्री जी का जवाब रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

श्री प्रहलाद जोशी : जब टेक्निकल बिल पर बात करते हैं, तो उसके टेक्निकल इश्यूज़ पर बात कीजिए। ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि it is one of the most progressive Bills. Hon. Prime Minister, who has personally taken a lot of pain, guided us in this regard. We want to make India better even in the mining sector and through this sector, we want to make good plants and through these plants, we want to generate more employment. This is the vision of the hon. Prime Minister, who has always guided us. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन :*

श्री उपसभापति : प्लीज़, सीट पर बैठकर न बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रहलाद जोशी : जो बड़े-बड़े industrialists हैं, उनका आप नाम मत लीजिए, क्योंकि ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद नासिर हुसैन :*

श्री प्रहलाद जोशी : मैं नहीं लूँगा, आप ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... उनको जो कुछ भी बनाया है, वह आपने ही बनाया है। ...(**व्यवधान**)...Those people were there in your time also. ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. *(Interruptions)*सिर्फ मंत्री जी का बयान रिकॉर्ड पर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: I once again appeal to the House to pass this Bill. I assure that not even a single iota of power of the States will be snatched or taken back. This is my assurance to the House. So, kindly support and pass this progressive Bill. Thank you very much, Sir.

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendment moved by Shri Digvijaya Singh for reference of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill, 2021, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha, to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:

1. Prof. Manoj Kumar Jha
2. Shri T.K.S. Elangovan
3. Shrimati Vandana Chavan
4. Shri Sanjay Singh
5. Shri Binoy Viswam
6. Shri Elamaram Kareem
7. Shri Digvijaya Singh
8. Shri Syed Nasir Hussain
9. Shrimati Chhaya Verma
10. Shri Naranbhai J. Rathwa
11. Shri Sanjay Raut

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha."

...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण, मिला-जुला भाषण था।

श्री उपसभापति : पहले यह हो जाने दीजिए, मैं आपको मौका दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, before you put it to vote, it is my right to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This is what I am saying. For God's sake, don't rush it. सर, किसान बिल में हम लोगों की जो हालत हुई है, वैसी हालत न हो। उपसभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का मिला-जुला भाषण हुआ। उसके अंदर दो, तीन,

चार बातों के बारे में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह एक बहुत व्यापक विषय है। इस व्यापक विषय को यदि आप सेलेक्ट कमिटी को सौंप देते हैं, तो ऐसा कौन-सा पहाड़ टूट जाएगा? माननीय राम गोपाल जी ने ठीक कहा है कि आप इस चर्चा करा लीजिए, सेलेक्ट कमिटी को दी दीजिए। जैसा कि जयराम जी ने बताया, अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसे सेलेक्ट कमिटी को सौंपने का समर्थन किया है। केवल बीजेडी और जेडीयू ने समर्थन नहीं किया है, जबकि बीजेडी ने भी उसमें कुछ आपत्ति की है और स्पष्टीकरण माँगा है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसका वही हाल मत कीजिए, जो हाल आपने किसान बिलों का किया है। मेरा आपसे दो-तीन बातों के लिए अनुरोध है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak in brief.

श्री दिग्विजय सिंह : NMET में पहले प्राइवेट से prospective licence, reconnaissance permit माँगा जाता था। क्या Institute of Mining Bureau को आप यह काम नहीं सौंप सकते कि exploration के काम में जो एक्सपर्ट्स हैं, वे public sector के enterprises करें, प्राइवेट को देने की क्या आवश्यकता है? आप राज्य सरकारों को यह फंड दें, वह इसके अंदर सर्वे करवाएँगी। आपको इसे directly प्राइवेट को देने की क्या जरूरत है? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि NMET का फंड आप किसी निजी कम्पनी को न दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak in brief.

श्री दिग्विजय सिंह : दूसरी बात, मैंने एक विशेष इश्यू आपके सामने raise किया था कि मूल रूप से District Mineral Foundation का जो खर्चा है, वह beneficiaries पर होना चाहिए।

6.00 P.M.

लैंड oustees पर होना चाहिए और जो यूपीए सरकार की मंशा थी कि शेयर इन प्रॉफिट देना चाहिए। यहां तक कि उनके प्राइवेट ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : 6 बज चुके हैं। Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, the discussion on The Mines and Minerals Amendment Bill is over. The Minister's reply is also over. ..*(Interruptions)*.. I suggest that the sitting of the House may be extended till the passing of this Bill. And also, in the Supplementary Business, we have listed The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021. That also is to be considered today. So, the House may sit till that Bill is also passed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Digvijay Singh ji, please speak.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the hon. Minister has said, 572 ऐसी कम्पनीज़ हैं, जिनको mining concession दिया जा चुका है, इस बिल के पास हो जाने से उनका राइट लैप्स हो जाएगा। मैं इनकी माइनिंग पॉलिसी का उल्लेख करना चाहता हूं। "The introduction of Right of First Refusal for RP and PL holders". They are all RP and PL holders. I would like to ask the hon. Minister: All those people whose concessionaires will lapse, will they also have the right of first refusal when you auction them? This is my question, Sir.

Ultimately, I would like to say that this Bill has to be sent to a select committee. वहां इस पर व्यापक चर्चा हो सके और उसमें अच्छे सुझाव आएंगे। विशेषकर हमारे जो mineral stakeholders हैं, हमारे जो नैसर्गिक साधनों के धनी राज्य हैं, उनको यह अधिकार होगा कि वे चर्चा करें, इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी को सौंपना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा व्यंग्य किया कि बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। A man is as old as he feels and I feel that I am only of the age of fifty. ..*(Interruptions)*.. So, I am young and would be there to ..*(Interruptions)*..

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठकर बात न करें।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, दिग्विजय सिंह जी ने exploration के बारे में जो कुछ भी कहा है, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. Nothing will go on record.

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के दिन भी, before the Amendment also, State PSUs and even Director of Mines in the States are involved. We are ready to give money to them also for exploration. In spite of that, out of Rs. 2,600 odd crores, only Rs. 308 crores have been spent because the States do not have that capacity to explore and they also do not have those agencies. This is number one. Number two, even after this Amendment, the States will have more liberty. I would like to assure you the States will empanel the private players, not the Central Government. The Central Government will also empanel and the States will also empanel. If a State says that we have empanelled somebody and he will do the exploration, the Centre will accept it. There is no issue in that. 10A (ii) (b) के बारे में दिग्विजय सिंह जी बहुत concerned हैं, I don't know why. But all the State Governments

are opposing. All the State Governments, including Chhattisgarh, Jharkhand and many other States which are being ruled by the Congress also are opposing. So, let there be a single opinion. ..*(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, all we are demanding is ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. No, no. ..*(Interruptions)*.. Please, please. ..*(Interruptions)*..

श्री प्रहलाद जोशी : सेलेक्ट कमेटी में भेजने से राज्य का और देश का भला होने वाला है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment regarding Motion for reference of the Bill to Select Committee moved by Shri Digvijays Singh to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Shri Pralhad Joshi to vote. The question is:

> "That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No.1) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

CLUASE 10 -- AMENDMENT OF SECTION 9B

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:

(1) That at page 5, clause 10 be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 10 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 11, there is one Amendment (No.2) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

CLAUSE 11 -- AMENDMENT OF SECTION 9C

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:

(2) That at page 5, clause 11 be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 11 was added to the Bill.
Clause 12 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 13, there is one Amendment (No.3) by Shri Digvijaya Singh. Are you moving it?

CLAUSE 13 -- AMENDMENT OF SECTION 10A

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I move:

(3) That at pages 5 and 6, clause 13 be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 13 was added to the Bill.
Clauses 14 to 21 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Pralhad Joshi to move that the Bill be passed.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the Motion was adopted.

MESSAGES FROM LOK SABHA – *Contd.*

(I) The Insurance (Amendment) Bill, 2021

(II) The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 22nd March, 2021, agreed without any amendment to the Insurance (Amendment) Bill, 2021, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 18th March, 2021."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021."

Sir, I lay a copy of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 on the Table.

GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावरचन्द गहलोत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु और संशोधन करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध सात जातियां यथा देवेन्द्रकुलथन - क्रम संख्या 17, कडङ्यन - क्रम संख्या 26, कल्लादि - क्रम संख्या 28, कुडुम्बन - क्रम संख्या 35, पल्लन - क्रम संख्या 49, पन्नाडी - क्रम संख्या 54 और वातिरैयान् - क्रम संख्या 72 को समूहित कर देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों के कडङ्यन जाति के सदस्यों को जो अपने आपको प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हों, को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक द्वारा न तो किसी जाति को शामिल किया जा रहा है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन सात समुदायों को re-group करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिले। महोदय, मैं विस्तृत जानकारी चर्चा के बाद उत्तर के दौरान देने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार करें।

The question was proposed.

श्री उपसभापति: माननीय एलओपी, श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी।

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): माननीय उपसभापति जी, यह 2021 का जो Constitution (Amendment) Bill है, इस बिल में तमिलनाडु की सात जातियों को मिलाकर एक ही लिस्ट में लाना चाहते हैं, वह देवेन्द्रकुला वेलालर है। इसका तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि यह इनका Scheduled Caste के लोगों को एक जगह डालने का प्रयास है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये लोग 2015 में delegation लेकर देश के प्रधान मंत्री श्री मोदी जी से मिले थे, लेकिन उस वक्त इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसके बारे में अपनी सहमति भी नहीं जताई। अब तमिलनाडु में इलेक्शन आए हैं, इसीलिए इन सात जातियों के लोगों का समाधान करने के लिए और उनकी जो डिमांड थी, वह डिमांड फुलफिल करने के लिए अब ये अमेंडमेंट बिल लाए हैं। इसमें नीयत ठीक नहीं है और नीति में भी ये लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर करना ही है - उनकी यह डिमांड बहुत दिनों से थी - तो आप 2015 में ला सकते थे। आज तो बहुत से बिल यहां आ रहे हैं कि वे दो दिन में तैयार होते हैं, तीसरे दिन वहां पर पेश होते हैं, चौथे दिन यहां पर भी पास होते हैं, लेकिन जिससे लाखों लोगों को फायदा होता है, वह बिल आप नहीं लाए। यह बात तो और है, लेकिन Scheduled Caste के लोग जिस दृष्टि से आज इस देश में जी रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी एक शायरी पेश करके अपने भाषण को शुरू करता हूं,

"जज़्बा है शोक़ शहादत का क्या कीजिए,
अब तो हमने भी हाथों में ये सर ले लिया,

क़त्ल होने से आखिर कब तक डरें,
जब क़ातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।"

अब तो हमारी हालत यह है। महोदय, हर जगह इन लोगों का कत्ल होता है, इन लोगों का खून होता है। क्या आप कभी उनके बारे में सोचकर इस हाउस में रोए हैं या नहीं रोए हैं? ..(**व्यवधान**)..जब आपको चाहिए, तब आप रोना भी सीखे हैं, हँसना भी सीखे हैं और दूसरों का मज़ाक उड़ाना भी सीखे हैं। ..(**व्यवधान**)..मैं एक बार हारा हूं, लेकिन आप सौ बार हारे हैं..(**व्यवधान**).. Don't talk that. मैं ज़िदगी में पहली बार हारा हूं, लेकिन आप हारते ही आए हैं। ..(**व्यवधान**)..

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : माननीय उपसभापति जी..

श्री उपसभापति : आप आपस में बैठकर बात नहीं कीजिए। ..(**व्यवधान**)..आप माननीय मंत्री हैं। ..(**व्यवधान**).. Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अठावले : उपसभापति महोदय..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : आप जो भी कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ..(**व्यवधान**)..माननीय मंत्री जी, प्लीज़ उन्हें बोलने दीजिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उपसभापति जी, thank you very much..(**व्यवधान**).. महोदय, यह देवेन्द्रकुला वेलालर पहले से ही शैड्यूल्ड कास्ट्स में है और इस वक्त इनको एक जगह पर लाया गया है, उस पर मैंने पहले ही बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम सबको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा शैड्यूल्ड कास्ट्स को कुछ देना है या शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में लाना भी हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आप यह नहीं सोचते कि यह जो शैड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट बनी, वह खासकर अछूतों के लिए बनी, जिनके लिए डा0 बाबासाहेब अम्बेडकर लड़े। यह रिज़र्वेशन सिर्फ संविधान के आने के बाद ही नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले बाबासाहेब अम्बेडकर ने 1919 में, जो Southborough Committee थी, उसके सामने अछूतों के लिए और उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने 1929 में साइमन कमीशन के सामने भी यह बात रखी। उसके बाद Round Table Conference में भी - उन्होंने 1930, 1931 और 1932 की तीनों Round Table Conferences में अपनी बात रखकर यह कहा कि ये जो अस्पृश्य लोग हैं, untouchables हैं, particularly इनके लिए political reservations होना चाहिए, इनके लिए education और employment में reservation होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने 1946 में भी Cabinet Mission के सामने यह बात रखी, उन्होंने 1947 में भी Constituent Assembly के

सामने यह बात पेश की। इससे पहले यह जो रिज़र्वेशन आया, इसको लेकर 1932 में महात्मा गाँधी जी नहीं चाहते थे कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, यानी अछूत लोग अलग से special यानी अपना separate reservation लें। यह ठीक नहीं है, क्योंकि वे अब part and parcel of Hindu हैं, इसीलिए उनको separate electorate reservation देना ठीक नहीं होगा, उनका ऐसा कहना था। वे चाहते थे कि देश को एकता में जोड़कर रखें और आज़ादी के लिए सभी मिलकर लड़ें, इसलिए ये जो बाकी चीज़ें हैं - जैसे सामाजिक न्याय की बात है या सामाजिक समानता की बात है या सामाजिक एकजुटता करने का काम है, हम ये सभी आज़ादी के बाद सुलझा सकते हैं। उस समय गाँधी जी की यह मंशा थी कि separate electorate नहीं हो, even reservation के बारे में भी उनको reservation था। लेकिन आखिर में, जब बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिद पकड़ी, तब श्री राजगोपालाचार्य, मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े-बड़े नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन सभी ने मिलकर गाँधी जी को मनाया। उन्होंने यह कहा कि देश के हित में हम separate electorate की बजाय reservation दे सकते हैं, तो 1932 में Yerawada Jail में Poona Pact हुआ और इस पैक्ट के आधार पर Constitution में भी इसे जगह मिली । यह किसी की देन नहीं है। हम इसके लिए 1919 से लड़ते आए हैं तब यह मिला है। लेकिन अब इधर क्या हो गया कि *...(**व्यवधान**)...* आप बैठिए ...(**व्यवधान**)...मैं बोलता हूं तारीख के साथ। कब बोले, कहां बोले, यह बताता हूं।...(**व्यवधान**)...*...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I have a point of order. *(Interruptions)*...Any reference to any organization or derogatory to any other organization should not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not derogatory, it is a fact. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: It is factual. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be looked into. *(Interruptions)* Please. ...*(Interruptions)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए यह बड़ी मेहनत के बाद मिला और इसका मज़ाक उड़ाते हैं । आज आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो रहा कि इनके रिज़र्वेशन को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए रेलवे को प्राइवेटाइज़ करो, एयर लाइन्स प्राइवेटाइज़ करो।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: आपका समय पूरा हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपसभापति: बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो समय तय हुआ था, एक घंटे का, वह पूरा हो गया है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह important है इसीलिए मैं यह बात रखना चाह रहा हूं। अगर आप समय नहीं देते हैं तो बात दूसरी है।

श्री उपसभापति: माननीय LOP, जब BAC में Business तय करते हैं तो आप सब वहां मौजूद होते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मैंने तय नहीं किया। यह Constitution Amendment है, इसके लिए तीन घंटे रखे गए हैं।

श्री उपसभापति: आपका जो टाइम मेन्शन्ड है, मैंने वह उल्लेख किया, आप बोलें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं।

श्री उपसभापति: मैंने टाइम इसलिए मेन्शन किया, जो आप लोगों ने तय किया। तीन घंटे या चार घंटे आप लोगों ने तय किया था, मैंने नहीं तय किया।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : आपके सामने ही सब हुआ था।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : एलओपी बोल रहे हैं, आप कृपया बैठ जाएं। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(**व्यवधान**)... माननीय एलओपी बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि रिज़र्वेशंस भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं चंद आंकड़े देना चाहता हूं, जिससे उधर के साथियों को भी पता चले कि अब केन्द्र सरकार में कितनी वेकेंसीज़ हैं। मैं यह नहीं कहता कि रेलवे में कितनी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितनी हैं, डिफेंस में कितनी हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ में कितनी हैं, एटॉमिक एनर्जी में कितनी हैं, सर्विस और रेवेन्यू में कितनी हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा वेकेंसीज़ शैड्यूल्ड कास्ट्स की हैं। शायद गोयल साहब सदन में नहीं हैं। रेलवे में टोटल वेकेंसीज 9,767 एससीज़ के लिए हैं,

उनमें से 5,559 अनफिल्ड हैं यानी 56 प्रतिशत वेकेंसीज़ भरी नहीं गई हैं। डिफेंस में 1,649 में से 1,413 पोस्ट्स एससीज़ की खाली हैं। इसी तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट में 1,379 में से 393 वेकेंसीज़ हैं, जो कि 28 प्रतिशत हैं। एटॉमिक एनर्जी में 72 प्रतिशत वेकेंसीज़ हैं...(**व्यवधान**)... 2014 तक क्या थीं, इसीलिए आप वहां बैठे हैं। मैं मानता हूं कि अगर हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे।

श्री उपसभापति : माननीय एलओपी, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, इसके बाद Central Universities में SC की total 2,251 posts हैं, जबकि vacancies 1,084 हैं, यह 48 परसेंट है; ...(**व्यवधान**)... ST की 1,117 posts हैं, उनमें 604 vacant हैं, 54 per cent vacancies हैं; OBC की 2,991 पोस्ट्स हैं, उनमें 1,684 vacant हैं, 56 per cent vacancies हैं। ये सब vacancies क्यों हैं, क्योंकि वे भर्ती नहीं करना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि assured job ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, this is not allowed; please let him continue his speech. Nothing is going on record, please. *(Interruptions)*...आप अपनी बात कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: Scheduled castes को जो assured jobs मिलते हैं, उन assured jobs को खत्म करने की एक साज़िश चल रही है। इस साज़िश के पीछे मुख्य बात यही है कि इन लोगों को कोई assured job न मिले, ये financially weak रहें और फिर पहले जैसे ये गुलामगिरी में थे, वैसे ही रहें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह उनकी मंशा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा और आखिर में यही बात कह कर अपनी बात को खत्म करूँगा। "How long shall we continue to live" -- यह बाबासाहेब अम्बेडकर ने कहा है -- "How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up." बाबासाहेब अम्बेडकर Constituent Assembly में जिस वक्त संविधान पेश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने यह भाषण दिया था। ...(**व्यवधान**)... उनको कैसे हरवाया, आप मुझसे argument करो, मैं बोलता हूँ।

श्री उपसभापति : प्लीज़ आप conclude करें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : उपसभापति महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, कभी-कभी ये ऐसी बात करते हैं, जो लोग उस movement में भी नहीं थे। जब डा. बाबासाहेब की statue यहाँ पर खड़ी करने की बात आई, तब हम लोग 8-8 दिन जेल गए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे और आप बात करते हैं अम्बेडकर के बारे में!

श्री उपसभापति : आप अपनी बात conclude करें, already आप निर्धारित समय से अधिक बोल चुके हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए मेरा कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी, महात्मा गाँधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ...(**व्यवधान**)... इन सब ने मिल कर बाबासाहेब अम्बेडकर को Constituent Assembly की Drafting Committee का Chairman बना कर यह संविधान दिया है। इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, democracy को बरबाद करने वाले आप लोग हैं और आज democracy की जगह autocracy ला रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : इसीलिए मैं यह चाहूँगा कि इसके साथ ही आप ये सब vacancies fill up करने की कोशिश कीजिए। आप हर स्टेट को भी instruction दीजिए, क्योंकि जब तक आप instruction नहीं देंगे, अगर हर स्टेट में भी vacancies भरी नहीं जाएँगी, तो मैं समझता हूँ कि यह reservation देकर भी, नहीं देने जैसा होता है। एक तरफ आप इसे एक हाथ से दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं उनसे अपील करता हूँ। प्रश्न का जवाब, सब देते रहेंगे, लेकिन पहले यह काम करिए। आप हमको यह काम करके दिखाइए, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. माननीय भूपेन्द्र यादव जी। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठ कर बात न करें।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : सम्माननीय उपसभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता, सम्माननीय खरगे जी ने भारत के संविधान की रक्षा की बात, भारत के संविधान के सम्मान की बात, भारत के संविधान को लागू करने की बात कही। अब भारत के संविधान के लागू होने को और भारत की आज़ादी को 75 साल हो जाएँगे। इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि संविधान के सारे मौलिक अधिकारों को यदि एक बार ही सस्पेन्ड किया गया है, वह तभी किया गया था, जब कांग्रेस इस देश में सत्ता में रहकर इमरजेन्सी लेकर आई थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठकर बात न करें।

श्री भूपेन्द्र यादव: एक ही बार हुआ, बाकी नहीं हुआ।..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति: प्लीज़, बैठकर बातें न करें, माननीय सदस्य को बोलने दें, केवल उन्हीं की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। ..(**व्यवधान**)..

श्री भूपेन्द्र यादव: दूसरा विषय ..(**व्यवधान**) बिल पर भी बोल रहे हैं। ..(**व्यवधान**)... निश्चित रूप से इस देश के संविधान को बनाने और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डा. बाबासाहेब का योगदान रहा, लेकिन डा. बाबासाहेब ने जब पहला चुनाव लड़ा तो वह लोक सभा में न आएं, उनको हराने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। उसके बाद मैं यह सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम डा. बाबासाहेब को पूरा नमन करते हैं और इसलिए डा. बाबासाहेब को भारत रत्न तभी मिला, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। कांग्रेस आज वोटों की राजनीति के लिए तरह-तरह की गलतबयानी करने का काम करती है। उस कांग्रेस को यह ध्यान में आना चाहिए कि बाबासाहब के पंचतीर्थों को सम्मान देने का काम तभी मिला, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े, दलित और जनजाति समाज के वर्ग के लिए आर्टिकल 340, 341 और 342 की एक पूरी व्यवस्था की थी। आज आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो कांस्टिट्यूशन ऑर्डर है, हमने इसकी पावर विधायिका को दी और यह पावर हमने संसद को इसलिए दी, ताकि इसका उपयोग बहुत सोच-समझकर हो। जब इस देश में 1935 में ब्रिटिशर्स के समय में एक्ट आया था, तब डा. बाबासाहेब ने यह कहा था कि काफी सारा समाज ऐसा है, जो समाज में अनटचेबिलिटी का शिकार है और उस अनटचेबिलिटी के निराकरण के लिए जब यह संविधान बना तो हम शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए ऑर्डर लेकर आए और शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिज़र्वेशन दिया, लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में शेड्यूल्ड कास्ट रिज़र्वेशन को रिलिजन बेस्ड करने का जो * कर रही है, उससे बचना चाहिए। यह रिज़र्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट का है और उनके लिए लागू रहना चाहिए। क्योंकि सदियों से जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनको समतामूलक जगह देने का काम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैं खरगे साहब मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब कोई सदस्य बनता है तो उसकी पंचनिष्ठाओं में से एक निष्ठा है समतामूलक समाज की स्थापना करना, यह हमारे विचार के मूल में है। कांग्रेस का सदस्य बनने पर आपकी क्या निष्ठा है, आप कभी बता दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने पर जो पांच निष्ठाएं ली जाती हैं, वे समतामूलक समाज के निर्माण की हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की यह प्रतिबद्धता है कि हम संविधान के द्वारा दिये गये आरक्षण को जारी रखेंगे और समाज को समता के स्तर पर लेकर भी आएंगे। इसलिए आर्टिकल 341 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, आप यह भी तो देखिये कि कोई एक समाज इतने लम्बे समय तक इस व्यवस्था में आने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए वंचित था, तमिलनाडु में उस समाज को जोड़ने का काम जो सरकार ने किया है, उसके लिए मैं हमारे मंत्री, श्री थावरचन्द

---

* Expunged as ordered by the Chair.

गहलोत जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 ..**(व्यवधान)**..

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): 6 साल पुराना है।

श्री भूपेन्द्र यादव: आपने तो नहीं किया। आर्टिकल 341 जहां शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है, आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। कांग्रेस को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप जो समता की बात करते हैं, आर्टिकल 340 में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो पहचान की व्यवस्था की और जैसे ही आज़ादी मिली, काका कालेलकर कमीशन को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। उसके बाद इस देश के राजनीतिक इतिहास में लिखा गया है कि जब कांग्रेस सत्ता से गई तो दूसरा बैकवर्ड क्लास कमीशन 'मंडल आयोग' तभी बना, जब कांग्रेस इस देश में सत्ता से चली गई। उसके बाद 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट को भी आपने लागू नहीं किया। 'मंडल आयोग' की रिपोर्ट भी तभी लागू हुई, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई और ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा-खरगे साहब, आपकी सरकार दस साल रही, आप भी उसमें मंत्री रहे। दस साल तक ओबीसी वाले लोग कहते रहे कि ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाए, उनको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा तभी मिला है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। इतना ही नहीं, सामाजिक समता का जो हमारा विषय है, जो हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, जो हमारा मिशन है, भारत को बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम कभी समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के संघर्ष की बात नहीं करते। हमने शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी को भी रिज़र्वेशन दिया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी 10 प्रतिशत रिज़र्वेशन दिया। समाज में जिसको आगे बढ़ाने का affirmative action है, उसको लेकर हम सरकार में आये हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर आप जैसा वरिष्ठ नेता भाषण दे और वरिष्ठ नेता के रूप में आपने समाज में बहुत लम्बे समय तक इस दर्दपूर्ण जीवन को देखा है, तो निश्चित रूप से उन विषयों को भी आप यहाँ पर प्रतिपादित करने का, आगे बढ़ाने का काम करिए, जिसको लेकर 6 साल में हमारी सरकार ने काम किया है।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): मंडल कमीशन का विरोध तो बीजेपी ने ही किया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: कभी नहीं किया है। ...**(व्यवधान)**... यह on record है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपेन्द्र यादव: यह on record है। ...**(व्यवधान)**... आप लोक सभा की डिबेट उठाकर देखिए। लोक सभा की डिबेट में उस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता, राजीव गांधी जी का भाषण उठाकर

पढ़ लीजिए। आपको पता लग जायेगा कि मंडल आयोग का विरोध किसने किया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: आप रिकॉर्ड देखिए। ...(**व्यवधान**)... बीएसपी तो तब लोक सभा में थी भी या नहीं थी, किसी को पता नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश में आप आये ही भारतीय जनता पार्टी के कारण ...(**व्यवधान**)... कौन वहाँ ला रहा था? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप लोग आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... कृपया आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: आप आज मुझे डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। आप नागराज केस का जजमेंट पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को प्रमोशन में रिज़र्वेशन के लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि बीएसपी की सरकार थी, वह स्टेट का डेटा उपलब्ध कराने में विफल रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं on record कह रहा हूँ, जो आपकी सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। आप किस की बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: आपके लिए observation लिखी हुई है। ...(**व्यवधान**)...आप मत सिखाइए। आपके लिए observation लिखी हुई है। ...(**व्यवधान**)... आप लोक सभा की डिबेट उठा कर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामाजिक समता की बात की है।

श्री उपसभापति: माननीय भूपेन्द्र जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री भूपेन्द्र यादव: इसलिए ये जो आज तरह-तरह का मिथ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यह जो आज कांग्रेस को बाबासाहेब की याद आने लगी है, 50 साल तक इनको कभी बाबासाहेब की याद नहीं आयी। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि 70 सालों में समाज के जिन वर्गों को उसने

वंचित रखा है, आज समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करने का काम इस सरकार ने, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारा यह पूरा मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में हमने जो तीनों न्याय की संकल्पना की है - सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय - उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए ही यह नया संवैधानिक ऑर्डर तमिलनाडु की जिन कुछ जातियों को आज वापस सम्मिलित करने के लिए आ रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। यह एक ऐसा आदेश है, जिसके द्वारा सदियों से वंचित समाज को उसका हक मिल सकेगा, इसलिए हमको इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए, धन्यवाद।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank hon. Prime Minister for bringing this Constitution Amendment Bill in relation to Devendrakula Velalar. What is meant by Devendrakula Velalar? I hope, our senior Member, Shri Jairam Ramesh, will translate it properly. Anyhow, on my part, I want to do it. Devendran is Lord Indra. Kulam is family or descendents. Velalar means agriculturists. They are all descendents of Lord Indra and they are the best agriculturists. That is the meaning. What a fine Bill it is! Devendrakula Velalar Bill today being brought by our hon. Prime Minister is a timely action. We may say it is late, but it is the latest. It is appropriate and a timely action, a timely intervention by our hon. Prime Minister. Tamil Nadu is known for social justice and our hon. Amma is known as *samuha neethi katha veeranganai*, a savior of social justice. She brought in 69 per cent reservation in education/admissions and also employment. Now many people are occupying very high positions in Tamil Nadu as well as in the Central Government, in judiciary and in all walks of life. It is because of the best efforts taken by hon. Amma. My humble submission would be, this is the right Bill, the right step in the right direction towards achieving and further the cause of social justice. Thank you, Sir.

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, the Bill proposes to replace the entry for the Devendra Kulathan community with Devendrakula Velalar which includes communities that are currently listed separately within this Act. These are some of the seven communities. They are coming into one name, one nomenclature. The demand has been pending for a long time before Tamil Nadu. What is the timing? Elections are announced in Tamil Nadu. Elections are going on. Election code is there in Tamil Nadu. We are discussing this Bill now. This is the urgency! I wish to bring to the kind notice of the Minister of Social Justice and Empowerment, for the last four years, there is a Bill from Telangana. We have requested to include some communities in ST category. We have constituted a Commission and our Assembly

recommended that Bill also. That also is pending. When elections are coming, you are accelerating and putting it before Parliament. I request the hon. Minister, where there is no election also for social justice sake, kindly consider such Bills for Telangana and other States also.

One thing I wanted to mention in the House is, last week I mentioned about the implementation of reservation of 60 per cent in higher educational institutions. Sir, SC, ST and OBC posts are vacant. Vacancies are not filled. Even ST vacancies are 80 per cent. That is not filled. Sir, last time also I even requested that the Standing Committees should be given instructions to review all institutions once in three months. I request through you, Sir, that Parliament, at least, once in a year, should hold discussion on the reservation issue. Thank you, Sir.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Sir, I rise today to express my support on behalf of YSR Congress Party for The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, which seeks to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order of 1950. The background for supporting this Bill is, as we today talk about reservations for the Scheduled Castes, we must remind ourselves of the famous saying by Dr Ambedkar, and I quote, "So long as we do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to us." Thus, reservations under Article 15(4) and Article 16(4) of the Constitution have come to a great respite to undo such injustices of history. Sir, to achieve social liberty, our hon. Chief Minister has taken certain measures to improve economic growth of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

In the light of this, I must also take this opportunity to highlight schemes and measures being implemented by the Government of Andhra Pradesh, like YSR Pension Kanuka, YSR Aasara, Amma Vodi and Jagananna Vidya Deevana among various others and has ensured continued support for the people belonging to the Scheduled Castes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Subhas Chandra Boseji.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, apart from this, recently, our hon. Chief Minister has, in the State's new Industrial Policy...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is over.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: ...insisted upon providing for an additional push to the aspiring entrepreneurs, especially among underprivileged communities, particularly SCs and STs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Subhas Chandra Boseji, please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: I am concluding, Sir.

Sir, there are so many schemes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your allotted time is already over. Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, since there is no time, I am not able to mention various schemes and programmes being implemented in Andhra Pradesh by our hon. Chief Minister.

With these words, I conclude by saying that our YSRC party supports this Bill. Thank you.

श्री उपसभापति : माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद - Not present. प्रो. मनोज कुमार झा जी, आपके पास एक मिनट है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं क्या कह सकता हूँ? ...(**व्यवधान**)... खैर, उस दिन मुरलीधरन जी ने बीजू बाबू जनता दल को अपनी तरफ से कुछ वक्त दे दिया था। सर, ये नज़रे इनायत हो। ...(**व्यवधान**)...

माननीय उपसभापति महोदय, ऐसा कम ही होता है, जब मैं सरकार द्वारा लाए किसी बिल के पक्ष में खड़ा होता हूँ, और इसका समर्थन करता हूँ। ...(**व्यवधान**)... नहीं, यह दूसरी बार है।

महोदय, समय को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन अब इनके वक्त के चयन पर आशंका करने का भी दिल नहीं करता है। तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में आसमान की बुलंदी तक पहुंचने वाले जो कुछ संस्थान हैं, जो कभी last hope हुआ करते थे, वे अब lost hope में तब्दील हो रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर उन संस्थानों से यह कहा जाए कि 70 वर्ष हो गए, कितना और चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि यह सदन के लिए भी अच्छा संकेत नहीं हैं। हममें से कोई कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन संस्थानों से आने वाली आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व का हाल देखना हो, तो सदन और मंत्रालय से लेकर संस्थानों में देख लें।

महोदय, मैं आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म ही कर दूँगा, आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि डा. बाबासाहेब पर बहुत बात होती है, कभी इधर से होती है, कभी उधर से होती है। आप counterfactually सोचिए, अगर डा. बाबासाहेब आएंगे, तो अपनी

मूर्ति नहीं देखना चाहेंगे, अपने लिए भवन नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि सहभागिता और प्रतिनिधित्व देखना चाहेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से आखिरी टिप्पणी यह कर रहा हूँ कि हममें से कोई कहीं भी बैठा हो, अब वक्त आ गया है कि 1932 के पूना पैक्ट पर एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि अगर बापू आ जाएंगे, तो वे भी कहेंगे कि भीम तुम सही थे, मैं गलत था।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मान्यवर, अभी इस सदन में कई बातें कही गईं, एलोओपी जी के द्वारा भी कही गईं और मनोज जी ने भी सवाल उठाया। जहाँ तक इस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, अगर हिन्दुस्तान में दलितों और पिछड़ों की कोई सबसे ज्यादा विरोधी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार है। मैं यह बात आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूँ। आपने रेल के अंदर नौकरियाँ खत्म करके आरक्षण खत्म किया, सेल के अंदर नौकरियाँ खत्म करके आरक्षण खत्म किया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया। अभी यहाँ पर बड़ी हास्यास्पद बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मंडल कमीशन के समर्थन में थी। सर, पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि मंडल के खिलाफ कमंडल ये लोग लेकर आए और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार अगर किसी ने गिराई, तो भारतीय जनता पार्टी ने वह महापाप और अपराध किया। आप आरक्षण की बात कैसे करते हैं? आपके राज्यों में दलितों की हालत क्या है? मान्यवर, हाथरस कांड हुआ। वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ दरिंदगी और बर्बरता की गई और * ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : सरकार पर टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... गुजरात के अंदर एक दलित समाज का बच्चा मूँछ रख के जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर बैठकर एक दलित शादी करने जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं। आपके राज्यों में यह हो रहा है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहता हूँ कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर, आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन-सा अध्यक्ष आज तक दलित समाज से हुआ है? आज आप इसको बताइए। सर, मेरा अभी दो मिनट समय बाकी है। आपकी इतने राज्यों में सरकारें बनीं, आज आप इस सदन में बताइए, दलित समाज के किसी एक व्यक्ति को आपने किसी राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्री बनाया हो? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : संजय सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : आपकी 94 साल पुरानी विचारधारा है। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

श्री उपसभापति : माननीय संजय सिंह जी, कन्क्लूड कीजिए, आपका समय खत्म हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : आपने आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित समाज से बनाया हो, आप इसको बताइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : थैंक यू। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : यह पार्टी अपनी विचारधारा में, अपने मूल में दलितों की, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। ...(**व्यवधान**)...इसलिए आज पूरे देश में सरकारी संस्थानों को बेचकर, चन्द पूंजीपतियों के हवाले करके आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। यह एक गंभीर सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूँगा। भारतीय समाज में हम लोग एक शब्द सुनते आए हैं-'पतिव्रता पत्नियाँ।' यह सरकार 'पूंजीपतिव्रता सरकार' बन गई है। मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. फौजिया खान जी, आपके पास दो मिनट का समय है।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र) **:** उपसभापति महोदय, तमिलनाडु में वंचित समाज को आरक्षण देने का जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। समता-आधारित समाज की बात हो रही है। मैं यही कहूँगी कि:

"चमन में इख्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है,
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।"

अगर इस तरह का समाज बनाना हो, तो तमिलनाडु में तो इलेक्शन है, लेकिन महाराष्ट्र में भी मराठा समाज बहुत दिनों से, 2014 से आरक्षण के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए रुका हुआ है। मैं सरकार से इस बहाने यह कहना चाहती हूँ कि यह बात कोर्ट में जरूर है, लेकिन यह अधिकार पार्लियामेंट का है। हमेशा कहा जाता है कि 50 परसेंट उसकी लिमिट है, लेकिन किसी भी संवैधानिक प्रोविज़न में 50 परसेंट लिमिट नहीं कही गई है। जैसे, शाहबानो केस में एक निर्णय पार्लियामेंट ने लिया था, मैं यह विनती करना चाहती हूँ कि मराठा आरक्षण के लिए भी एक निर्णय पार्लियामेंट को लेना चाहिए और एक बार महाराष्ट्र के इस वंचित समाज को आरक्षण देना चाहिए।

जो-जो वंचित समाज हैं, चाहे वह मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इनके आरक्षण के लिए भी हमारे पार्लियामेंट में पहल होनी चाहिए। मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय रामदास अठावले जी, आपके पास दो मिनट का समय है।

श्री रामदास अठावले : उपसभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी को समाज को तोड़ने की आदत नहीं है, उनको समाज को जोड़ने की आदत है। मोदी जी को दलितों के लिए राजनीति करने की आदत नहीं है, उनको समतावादी समाज के निर्माण की आदत है। कांग्रेस को बदनाम करने की भी मोदी जी को आदत नहीं है, संविधान की रक्षा करने की मोदी जी को आदत है।

आर्टिकल 341 के मुताबिक, तमिलनाडु में जो सात जातियाँ हैं, उनमें देवेन्द्रकुलथन है, कडुयन है, कल्लादि है, कुडुम्बन है, पल्लन है, पन्नाडी है, वातिरैयान् है। इन सात जातियों को अंतर्भूत करने का अधिकार इस पार्लियामेंट को है और इसीलिए यह बिल लाया गया है। इन जातियों पर कई सालों से अन्याय हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में यह काम होना चाहिए था। मेरे मन में मल्लिकार्जुन खरगे साहब के बारे में आदर है कि वे विरोधी पक्ष के नेता बन गए हैं। आपको सोनिया गांधी जी ने यहाँ के विरोधी पक्ष का नेता बनाया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : कृपया कन्क्लूड करें।

श्री रामदास अठावले : नरेन्द्र मोदी जी ने माननीय रामनाथ कोविन्द जी को राष्ट्रपति बनाया है, हमारे थावरचन्द गहलोत जी को इस सभागृह का नेता बनाया है, मुझे मंत्री बनाया है। नरेन्द्र मोदी जी सभी वर्गों को लेकर चलना चाहते हैं। हमें समाज में झगड़ा पैदा करने का काम नहीं करना है, बल्कि समाज को जोड़ने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी वर्गों को न्याय देने वाली है। प्राइवेटाइज़ेशन की पॉलिसी कांग्रेस के कार्यकाल से आयी है। प्राइवेटाइज़ेशन में रिज़र्वेशन होना चाहिए, यह हमारी मांग है, जिसके लिए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। रिज़र्वेशन खत्म करने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। दलितों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी। आपके पास दो मिनट का समय है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं चाहता था कि माननीय भूपेन्द्र यादव जी यहां होते, लेकिन वे अभी मौजूद नहीं हैं।

श्री उपसभापति : आप बोलें, आपकी बात उन तक पहुंच जाएगी।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : उपसभापति महोदय, मैं उनकी मौजूदगी में बोलना चाहता था। आप अभी किसी और को बोलने का मौका दे दीजिए।

श्री उपसभापति : आप लास्ट वक्ता हैं, आपके बाद माननीय मंत्री जी का रिप्लाई होगा।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि जब वे बोल रहे थे, तब मैं उनका भाषण सुन रहा था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको कानून और constitution का बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं यह admit करता हूं, लेकिन आज उन्होंने अपने वक्तव्य में एक ऐसी बात कह दी, जब हमारे साथी ने इधर से कुछ कमेंट किया, कमेंट जो भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने reaction में एक ऐसी बात कही, जो कि रिकॉर्ड में चूंकि आ गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसको सही करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि, 'नागराज के केस के बाद, उन्होंने कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी के ऊपर कमेंट किया'। मैं यह चाहूंगा कि वे मुझे वह पैराग्राफ पढ़कर सुना दें - भूपेन्द्र जी आ गए हैं, मैं उन्हीं की मौजूदगी में बात कहना चाहता था, जिससे कि यह न हो कि मैं पीठ पीछे बात कर रहा हूं। उन्होंने बीएसपी के ऊपर हमलावर होते हुए यह कहा कि आप खुलवाइए नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की गई है। महोदय, यह पूरे सदन को, राज्य सभा और लोक सभा, सभी को मालूम है कि वे जिस judgement का ज़िक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किसी गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी। संविधान का जो provision था, उसको उन्होंने गलत interpretation करते हुए और जो 13 जजेज़ की बेंच थी, उसको overrule करते हुए 5 जजेज़ ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनका यहां पर determination होना चाहिए कि इनको कितनी quantification है और इनको वहां पर कितना advantage मिल रहा है, कितने लोग इसमें already हैं या नहीं हैं, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वह बात किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं थी। उससे पहले इसी चीज़ को लेकर हिमाचल प्रदेश और एक अन्य प्रदेश का judgement आ चुका था। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर बात उठायी, लोक सभा में बात उठायी, राज्य सभा में बात उठायी, हमारी पार्टी की लीडर ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इसमें संविधान का संशोधन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें review file होना चाहिए, लेकिन review file नहीं हुआ और उसके बाद जब हम लोग संविधान संशोधन के लिए आंदोलित हुए, हम लोगों ने बात उठायी तो संविधान संशोधन के लिए यहां पर बिल लाया गया और यह इसी बात का संविधान संशोधन बिल है। मैं चाहूंगा कि भूपेन्द्र यादव जी इस बिल को उठाकर देख लें, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी judgement को, जिस जजमेंट में उन्होंने एक नई व्यवस्था की थी, उसको खत्म करने के लिए और जो सही व्यवस्था थी, उसको लागू करने के लिए संविधान का संशोधन बिल आया था। वह राज्य सभा में किस तरह से पास हुआ था, यह पूरे देश ने देखा था। वह बिल यहां से पास होने के बाद जब लोक सभा में गया था, तब भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने खड़े होकर उसको oppose किया था। उस बिल को पास नहीं होने दिया। आज आठवां साल चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी पावर में थी, हम लोगों ने 8 साल बात उठायी, जब-जब all-party meeting हुई, उसमें मैंने स्वयं यह बात उठायी कि यह बिल कहां डस्टबिन में पड़ा हुआ है?

इसको निकालिए और इसको भी लेकर आइए। इस पर बहस कराकर इसको पास कराइए, जिससे कि पूरे देश के जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वह खत्म हो सके। वह बिल आज तक नहीं लाया गया, वह क्यों नहीं लाया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और अभी की तत्कालीन सरकार देना चाहेगी।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं भूपेन्द्र यादव जी से यह कहना चाहूंगा कि इन्हीं की सरकार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आज जो आदेश जारी हुआ है, गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया कि Scheduled Caste का कोई reservation नहीं होगा, किसी भी जगह Scheduled Caste का reservation नहीं होगा। वहां पर यह कानून व्यवस्था चल रही है। आप quantification की बात छोड़िए, अमेंडमेंट की बात छोड़िए, अन्य चीज़ों की बात छोड़िए, लेकिन उत्तराखंड में there is no reservation for Scheduled Caste. इसका जवाब कौन देगा, भारतीय जनता पार्टी देगी या बीएसपी देगी? इतना ही नहीं, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो लोग हमारे साथ इधर बैठे हैं, इनकी सरकार से यह सिस्टम शुरू हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया कि आप यह रिज़र्वेशन क्यों खत्म कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी आयी तो उसने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया।

श्री उपसभापति : आपका समय बहुत पहले खत्म हो चुका है।

7.00 P.M.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : महोदय, इस बिल के संबंध में सभी चर्चा कर चुके हैं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था, क्योंकि यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनकी बहुत respect करता हूं, regard करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन अपनी बात कहनी पड़ी।

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, मैं केवल दो वाक्य कहना चाहता हूं। पहला विषय यह है कि सतीश मिश्रा जी, बीएसपी के सदस्य हैं, जब मैं भाषण दे रहा था, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा ने मंडल का विरोध किया। मैंने तब भी उन्हें लोक सभा की डिबेट पढ़ने के लिए कहा था और मैं आज भी बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रिज़र्वेशन के समर्थन में रहा। इस पर अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, तो आप लाइए। मैंने उनको लोक सभा की डिबेट पढ़ने के लिए कहा था। दूसरा, जब राज्य सभा में 'Promotion in Reservation' पर बहस हुई थी, तो जो पैराग्राफ मैंने आज क्वोट किया है, वह as it is मेरी उस स्पीच में भी है। अगर आप कोई रिकॉर्ड रखने के लिए कहेंगे, तो मैं उसको रखूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि मेरी स्पीच राज्य सभा की वेबसाइट पर है। आप भी उस समय सदन में थे, मैं भी उस समय सदन में था। आप उसे पढ़ लीजिए, मैं उसी को reiterate कर रहा हूं।

श्री थावरचन्द गहलोत : माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहले मूल विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद, माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। अभी वर्तमान में तमिलनाडु में जो सात जातियां हैं, वे अलग-अलग क्रम पर उल्लिखित हैं। उनके उल्लेख के बारे में मैंने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। इस बिल का उद्देश्य, ये जो सात जातियां हैं, इन सातों जातियों के आम लोग अपने आपको 'देवेन्द्रकुला वेलालर' के नाम से मानते हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव भेजा कि इन सातों जातियों को समाहित करके एक नाम 'देवेन्द्रकुला वेलालर' दे दिया जाए। यह प्रक्रिया है कि किसी राज्य सरकार से अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो हम उस प्रस्ताव को RGI के पास भेजते हैं। अगर RGI सहमति देता है, तो फिर हम उसको आयोग के पास भेजते हैं और यदि आयोग भी सहमत हो जाता है, तो फिर सरकार उस पर कार्रवाई करती है। वह विषय कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृति आने के बाद विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हमने उसी प्रक्रिया का पालन किया है। इसका राजनीति से या तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं है। वर्ष 2015 से यह प्रक्रिया चलते-चलते अब पूरी हुई और इस कारण से इसे सदन में लाया गया। यह आरोप कि तमिलनाडु में चुनाव हैं, इस कारण से इस बिल को लाया गया है, तो यह इन तथ्यों से परे है, सत्य से परे है और इसमें कोई सत्यता नहीं है। इस बिल के कारण जो स्थिति बनने वाली है, जो कानून बनने वाला है, वह केवल दो क्रमांक में इन जातियों का समावेश करने वाला है। सर, प्रविष्टि (क) 17 में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी। 'देवेन्द्रकुला वेलालर', (देवेन्द्रकुलथन, कडड्यन, तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों के तट्टवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर) इन जिलों में लागू रहेगी, लेकिन इन क्षेत्रों के जो तट्टवर्ती क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर, कल्लादि, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान् जातियां क्रमांक 17 में समाहित हो जाएंगी।

दूसरा इसका (ख) भाग है। प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् - कडड्यन (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों में), क्योंकि कडड्यन जाति के समूह ने यह कहा कि इन जिलों में हमको कडड्यन नाम से ही पुकारा जाए। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि इन जिलों में कडड्यन जाति कडड्यन के नाम से ही पहचानी जाएगी। इन जातियों को एक जाति में समाहित कर देने के बाद भी विलोपन नहीं किया गया। अलग-अलग समूह में, अलग-अलग क्रम पर दर्ज़ थीं, उनको केवल एक क्रमांक 17 में दर्ज़ कर दिया गया है, ताकि अभी तक जिनके प्रमाण-पत्र बने हुए हैं, भविष्य में भी वे उपयोगी सिद्ध होते रहें और इस नाम का उल्लेख करने के बाद भी, 'देवेन्द्रकुला वेलालर' जाति के नाम का प्रमाण-पत्र उनको मिलेगा, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आएगा। यह प्रावधान होने के कारण प्रविष्टि 28, 35, 49, 54, और 72 का लोप हो जाएगा। विधेयक तो केवल इस आशय का है, परंतु इस विधेयक पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए हैं। मैं उन अन्य मुद्दों पर बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि भूपेन्द्र जी ने, जो मल्लिकार्जुन खरगे साहब ने कुछ विषय उठाए, उनमें से बहुत सारी बातों का उल्लेख कर दिया है। मैं इस अवसर पर यह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार ही अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक

हितैषी थी, है और आगे भी हितैषी रहेगी। इसके लिए अगर लंबा विचार-विमर्श करने का अवसर हो, तो मैं एक नहीं, अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो अटल जी की सरकार ने लिए और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लिए, उनका उल्लेख करके सिद्ध कर सकता हूं। खरगे जी ने बोला कि 2015 में ये लोग प्रधान मंत्री जी से मिले थे, उस समय इसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। जैसा मैंने बताया कि यह प्रक्रिया है, प्रक्रिया में राज्य सरकार ने जब हमारे पास प्रस्ताव भेजा, उसके बाद सिलसिला चालू हुआ। जैसा मैंने बताया कि यह आरजीआई में गया, आरजीआई ने सहमति दी और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। इस कारण से यह प्रक्रिया पूरी होते-होते अब सदन में यह बिल आया है। इसमें शंका, आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार खरगे साहब उस सरकार के हिस्सेदार थे और नहीं भी हों, तो वह यूपीए की सरकार थी। आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहीं भी आरक्षण को समाप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया, सोचा भी नहीं और सोचेंगे भी नहीं। यूपीए की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को, जो केंद्रीय विश्यविद्यालय थे, उनको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय घोषित कर दिया और वहां जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलता था, वह आरक्षण समाप्त कर दिया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किसने किया? अगर खरगे जी को याद हो, तो वे बताएं कि यह किसने किया? इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। अटल जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उनको मीडियाकर्मियों ने, प्रेस वालों ने पूछा कि आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी? उन्होंने कहा कि मेरी सरकार डा. अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर चलेगी। उन्होंने सीधे ही यह कहा था कि भीमवाद पर चलेगी, पर उसका सीधा-सीधा आशय यह था कि मेरी सरकार संविधान के अनुसार चलेगी और उन्होंने संविधान के अनुसार छह साल सरकार चलाने का प्रयास किया, यह रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान जानता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी लोग जानते हैं कि अटल जी की कार्यशैली की हर जगह प्रशंसा की गई थी और इसकी प्रशंसा हुई भी है। जैसा कि मैंने कहा है, सरकार आरक्षण की पक्षधर है, आरक्षण की पक्षधर थी और आगे भी पक्षधर रहेगी। यह हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, यह माननीय अटल जी ने भी कहा था और नरेन्द्र मोदी जी ने भी इसको कहा है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने एक नहीं, बल्कि अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनके कारण डा. अम्बेडकर साहब को सम्मान मिला है।

महोदय, यह विषय सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के सरकार में 50 साल रहने के बाद भी तैल चित्र क्यों नहीं लगे थे? कांग्रेस की सरकार रहते हुए सैंट्रल हॉल में अम्बेडकर जी के चित्र क्यों नहीं लगे थे? जब कांग्रेस की सरकार गई और वी.पी. सिंह साहब की सरकार आई, तभी जाकर ये चित्र क्यों लगे थे? इस प्रश्न का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब डा. अम्बेडकर जी लोक सभा का चुनाव लड़े थे, तो उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके किसने उन्हें हराया था? ..(व्यवधान)..खरगे साहब, आप यह बात भली-भाँति जानते हैं, पंरतु आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए सरकार के कामों की आलोचना करना उनकी मजबूरी है और आलोचना भी ऐसी, जो तथ्यों से दूर है, सत्यता से दूर है। उनको एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद इस प्रकार का कथन, इस प्रकार का बयान देने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक पर दस माननीय सदस्यों ने अपने

विचार व्यक्त किए हैं। सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया है। यह समय पर क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, इनकी भी चर्चा करने की जरूर कोशिश की है। आरक्षण या संविधान का अपमान करने का उल्लेख - इसके बारे में भूपेन्द्र यादव जी ने बता दिया है। जब आपातकाल लगाया था, तो इस देश में संविधान नाम की चीज़ नहीं बची थी। उस वक्त न कानून, न वक़ील, न दलील कुछ भी नहीं बचा था। उस वक्त यहाँ तक निर्णय ले लिया गया था कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति - वैसे संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई भी अपराध करेगा, तो उसे संविधान और कानून के हिसाब से दंड मिलेगा, परंतु उस समय एक कानून बना दिया गया था कि देश के प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष आदि के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं किया जा सकेगा अर्थात् एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा सकेगी। जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसमें संशोधन करने का काम किया गया और फिर से जो पुरानी व्यवस्था थी, उसको बहाल करने का काम किया गया।

महोदय, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, अभी खरगे साहब ने यह कहा कि आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। महोदय, इस सम्बन्ध में डीओपीटी आंकड़े रखता है। डीओपीटी ने 2019-20 की अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी है, जो 1.1.2018 की स्थिति को लेकर है, मैं उससे सम्बन्धित कुछ आंकड़े बताकर अपनी बात कहना चाहूंगा। हालांकि रिक्तियाँ हमेशा होती रहती हैं और उनकी पूर्ति करने का प्रयास भी समय-समय पर होता रहता है, क्योंकि यह एक रूटीन प्रक्रिया है, किंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में भी रिक्तियाँ रही थीं, वर्तमान सरकार में भी रिक्तियाँ हो सकती हैं, परंतु रिक्तियों की पूर्ति का ईमानदारी से प्रयास करना आरक्षण को बचाने का एक बड़ा उदाहरण है। जो डीओपीटी की रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि ग्रुप "ए" की सेवा में कुल 53 हज़ार, 252 अधिकारियों में से 7 हज़ार 272 अधिकारी अनुसूचित जाति से हैं। जिनका 13.66 प्रतिशत है, जो निर्धारित 15 प्रतिशत की तुलना में 1.34 प्रतिशत कम है। मैं यह उस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। इसी तरह ग्रुप 'बी' की सेवा में 1,44,281 कर्मचारी हैं, उनमें से कुल 27,757 कर्मचारी अर्थात् 17.16 प्रतिशत एससी के हैं, जो कि निर्धारित 15 प्रतिशत से 2.16 प्रतिशत अधिक हैं। ग्रुप 'सी' की सेवा में 17,27,271 कर्मचारियों में से 2,93,252 एससी के हैं यानी 16.98 प्रतिशत हैं, जो कि निर्धारित प्रतिशत से 1.28 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रुप 'सी' में सफाई कर्मचारियों की जहां तक बात है तो कुल 44,329 कर्मचारियों में से 17,574 कर्मचारी एससी के हैं यानी 39.64 प्रतिशत हैं। यह निर्धारित प्रतिशत से 24.64 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2018 हेतु अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस के लिए एससी के लिए निर्धारित 27.1 पद हैं, आईएफएस के लिए पांच पद और आईपीएस के लिए एससी वर्ग के लिए 24 पद निर्धारित हैं, जो शत प्रतिशत तक दर्शाते हैं।

मैं ये आंकड़े डीओपीटी की रिपोर्ट के आधार पर सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि रिक्तियां बहुत नई हैं और सरकार ने ईमानदारी से भर्ती के प्रयास किए हैं। पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी केस के बारे में चर्चा हो चुकी है। कुछ विषय ये भी निकले थे कि कुछ राज्यों से जो प्रस्ताव आए, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नमोशूद्र, पोंडरा, पोन, जो कि बंगाली रिफ्यूजी हैं, वे आए और उन्हें अनुसूचित जाति में लेने का प्रस्ताव 2015 और 2016 में पत्रों द्वारा हमारे पास आया। आरजीआई

और फिर एससी आयोग ने इस पर सहमति दे दी है और यह विभाग में विचाराधीन है। अगर सब कुछ सही रहा, तो निश्चित रूप से वह भी इस प्रकार से संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीएससी के पास भी कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं। उनमें से एक ओडिशा सरकार का है। वर्ष 2018 में ओडिशा सरकार ने ओडिशा की मंगली जाति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें क्षेत्र का प्रतिबंध हटाने की बात थी। वह जाति कुछ क्षेत्रों में है इसलिए वह प्रतिबंध हटाकर पूरे राज्य में करने सम्बन्धी मांग है। आरजीआई के सहमत होने के बाद एससी आयोग के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है। एससी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हमारा विभाग उस पर आगे कार्रवाई करेगा।

आरजीआई के पास जो लम्बित विषय हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। कर्णाटक सरकार में कोटेगर, मेत्री के पर्याय के रूप में, कोटेक्षत्रिय, कोटेगरा, कोटेगवा, रामक्षत्रिय, सेरूगरा, सेनवेगना को शामिल करने का प्रस्ताव है और यह आरजीआई के पास विचाराधीन है। वह सहमति देगा तो यह आयोग के पास जाएगा। आयोग सहमति देगा तो सरकार के पास आएगा और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम आगे कार्यवाही करेंगे। झारखंड की अनुसूचित जातियों की सूची में भुइयां के पर्याय के रूप में पाइक, खंडित, खंडित पाईक, क्षत्रिय, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां, गडई, गरहई को शामिल करने का प्रस्ताव है, यह भी आरजीआई के पास विचाराधीन है। आरजीआई की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई करने का मैं विश्वास दिलाता हूं।

मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में 'बेलदार' के पर्याय के रूप में 'ओड बेलदार' को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह भी RGI की टिप्पणी के लिए विचाराधीन है। RGI की कार्रवाई के बाद आगे जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।

महोदय, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन 6-7 सालों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, सामाजिक समता और समरसता के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अम्बेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से हमने अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगाँठ साल भर बड़े धूमधाम से मनाई। इसके लिए एक नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। इतना ही नहीं, अम्बेडकर जी को सम्मान देने की दृष्टि से, उनका आदर-सत्कार हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने की दृष्टि से उनसे सम्बन्धित पाँच प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ घोषित किया गया। पहला स्थान उनका जन्मस्थान है। इन्दौर के पास महू में उनका जन्म हुआ था। उस जन्मस्थल पर भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, किसी और सरकार ने नहीं किया। अगर किया हो, तो विरोधी पक्ष के लोग बता दें। हमने 1991 में उसकी शुरुआत की थी, अटल जी ने उसका भूमिपूजन किया था और सरकार 1992 में चली गई। फिर दूसरी सरकार आई। उस सरकार ने उसमें एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया। फिर से भाजपा की सरकार बनी। 14 करोड़ से अधिक खर्च करके वह भव्य स्मारक बनाने का काम हमने किया। दूसरा स्थान उनकी शिक्षा भूमि है। वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन में जहाँ पढ़ते थे, उस शिक्षा भूमि को, वे जिस मकान में रहते थे, महाराष्ट्र की शिव सेना-भाजपा सरकार ने खरीद कर उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया, यह प्रश्न खड़ा होता है, उनको इसका उत्तर देने की जरूरत है। तीसरा स्थान उनकी दीक्षा भूमि है। नागपुर में

जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, वहाँ भव्य स्मारक बना है। उस भव्य स्मारक को और विस्तार देने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। 9.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करके हमने उसका विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने का काम किया है। ...(**व्यवधान**)... फिर अम्बेडकर जी जब दिल्ली में रहते थे, तो वे एक किराए के मकान में रहते थे। ...(**व्यवधान**)... मैं बोल रहा हूँ। वे 26, अलीपुर रोड में रहते थे। लंबे समय से माँग की जा रही थी कि उस 26, अलीपुर रोड को अम्बेडकर स्मारक का दर्जा देकर वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम किया जाए। यह काम किसी ने नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी, उन्होंने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, नरेन्द्र मोदी जी ने उसका भूमिपूजन किया, वह बन कर तैयार हो गया और नरेन्द्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी समय निकाल कर उस भव्य स्मारक को देखने का कष्ट करें। निश्चित रूप से आप उसकी तारीफ करेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि इतना अच्छा भवन बनाने का काम किया गया है। यह काम हमने किया है। ...(**व्यवधान**)... इसी प्रकार से चैत्य भूमि है, जहाँ अम्बेडकर जी का अन्तिम संस्कार हुआ था। अब मैं याद नहीं दिलाना चाहता, कहना नहीं चाहता कि अम्बेडकर जी के अन्तिम संस्कार के लिए तत्कालीन सरकार ने दिल्ली में जगह नहीं दी थी, तो यहाँ से ले जाकर मुम्बई में चैत्य भूमि में उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। उस अन्तिम संस्कार वाले स्थल को भव्य स्मारक बनाने का काम पिछली सरकारों ने नहीं किया। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उस भव्य स्मारक के बगल में इंदु मिल, जो बंद पड़ी थी, उस जमीन का अधिग्रहण किया और लगभग 275 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ भव्य स्मारक बनाने का काम चल रहा है। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया था।

नरेन्द्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो सुरेन्द्रनगर में भारत के संविधान की सजावट करके उसको हाथी पर रखा गया और एक किलोमीटर की पदयात्रा की गई थी। नरेन्द्र मोदी जी स्वयं उस पदयात्रा में सम्मिलित थे। इस प्रकार से अम्बेडकर जी का सम्मान करने का काम भी हमने किया है। जैसा मैंने बताया कि अम्बेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ हमने सारे देश में धूमधाम से मनाई। ऐसे कुछ काम अगर दूसरी सरकारों, विशेषकर कांग्रेस सरकार ने किये हों, तो खरगे जी कभी बतायें, हमें बतायें, हम उस पर विचार करेंगे, अन्यथा इस प्रकार की असत्य बातें, अमर्यादित बातें, जिम्मेदार सदन में न कहें। यह उच्च सदन है, भारत की संसद प्रजातंत्र का मन्दिर है, इस प्रजातंत्र के मन्दिर की रक्षा करना, इसे सम्मान देना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। खरगे साहब को भी इस विचार करना चाहिए। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता - हालांकि कहने के लिए बहुत कुछ है, किन्तु समय की मर्यादा है, कभी ऐसे लम्बे विषय पर चर्चा करने का मौका मिलेगा तो ऐसे अनेक उदाहरण सहित जानकारी दूंगा। वर्तमान में मैं माननीय सदस्यों और सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु की सात जातियों को मिलाकर एक जाति 'देवेन्द्रकुला वेलालर' नाम देने का जो विधेयक है, इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए मैं विनती करता हूं और आप दिल पर हाथ रखकर कहें, दिल्ली में जो दो स्मारक हैं, एक अलीपुर रोड पर है और दूसरा होटल के पीछे है,

उन दोनों जगहों के बारे में किसने मीटिंग ली, पैसा किसने रखा और इन्हें परमिशन किसने दी? मैं रेलवे के साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर सिर्फ तीन महीने था। तीन महीने में मैंने बुलाकर मीटिंग लेकर क्लियर करके, वह जगह खाली करके रखी थी, आपने 14 अप्रैल को आकर फाउण्डेशन डाली। मैं वह आदमी हूं, जो 1977 में इन्दिरा गांधी जी को गुलबर्गा ले जाकर, जो स्टेच्यूज़ आपने यहां खड़े किये हैं और जिनके लिए आप नरेन्द्र मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैंने 1977 में वहां बनाए हैं। आप बार-बार कह रहे हैं कि खरगे साहब यह कह रहे हैं, खरगे साहब वह कह रहे हैं। हमने जितना किया, उतना करो तो बहुत है। ..(**व्यवधान**)..

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, for the sake of records. ...*(Interruptions)*...

श्री थावरचन्द गहलोत: फिर खरगे साहब ने असत्य बात कही है। ..(**व्यवधान**).. 26, अलीपुर रोड ..(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record, except what the Leader of the House says. *(Interruptions)*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Leader of the House is misleading the House. *(Interruptions)* He is misleading the House. ...*(Interruptions)*..

श्री थावरचन्द गहलोत: 26, अलीपुर रोड, जब अटल जी की सरकार थी, जिसकी वह निजी सम्पत्ति थी, वह अटल जी की सरकार ने खरीदी और उस समय उस स्मारक की शुरुआत की थी। 26, अलीपुर रोड अटल जी की सरकार के टाइम हुआ। यह रिकॉर्ड देख लें और रहा सवाल, खरगे साहब ने जो कहा कि ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उसकी प्रॉपर प्रक्रिया है।

श्री थावरचन्द गहलोत: खरगे साहब ने कहा कि ली मेरिडियन होटल के बगल में 15, जनपथ जो इंटरनेशनल सेन्टर हमने बनाया है, इसकी चर्चा इनके टाइम पर हुई थी, कोई जमीन अधिगृहीत नहीं हुई थी, यह हमारे टाइम की है,स्वीकृति हमारे टाइम में हुई, पैसा हमने मंजूर किया, भूमिपूजन हमने किया और उद्घाटन भी हमने किया। यह जो जानकारी दी है, वह सही नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"that the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu, as passed by Lok Saha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister to move that the Bill be passed.

श्री थावर चन्द गहलोत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGES FROM LOK SABHA – *Contd.*

The Marine Aids to Navigation Bill, 2021

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Marine Aids to Navigation Bill, 2021, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 1100 hrs on Tuesday, the 23rd March, 2021.

The House then adjourned at thirty-two minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 23rd March, 2021.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)